

# मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LTD.



वार्षिक विवरण 2015-2016  
Annual Report 2015 - 2016







**MC, MMRDA Mr. U.P.S Madan, MD MMRC, Ms. Ashwini Bhide and other senior officials of MMRC at releasing logo of MMRC.**



MD MMRC, Ms. Ashwini Bhide, Director (Projects) Mr. S.K. Gupta appreciating the paintings of participants.



(L-R): Executive Director (Planning) Mr. R. Ramana , Director (Projects) Mr. S.K. Gupta, MD MMRC, Ms. Ashwini Bhide, Director (Systems) Mr. A.A. Bhatt , Executive Director (Electrical) Mr. R. K. Sharma along with other senior officials releasing Newsletter of MMRC Metro Cube.





Hon'ble Chief Minister Shri. Devendra Fadnavis present along with MC, MMRDA Mr. U.P.S Madan, MD MMRC, Ms. Ashwini Bhide for signing of contract with GC.



Director (Projects) Mr. S.K. Gupta, delivering key note address during programme organized by MMRC to award civil contract of Metro-3.



**MMRC**

## क्रम-सूची

1.	निदेशक मंडल	1
2.	अध्यक्षीय भाषण	3
3.	वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	11
4.	बोर्ड की रिपोर्ट	23
5.	स्वतंत्र सचिवालय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	77
6.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	89
7.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	95
8.	३१ मार्च २०१६ तक का तुलन पत्र	109
9.	३१ मार्च २०१६ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण	111
10.	३१ मार्च २०१६ को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण	113
11.	वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार	115
12.	प्रोक्सी फॉर्म	143

## CONTENTS

<b>1.</b>	<b>Board of Directors</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Chairman's Speech</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Notice of AGM</b>	<b>12</b>
<b>4.</b>	<b>Directors' Report</b>	<b>24</b>
<b>5.</b>	<b>Report of the Independent Secretarial Auditor</b>	<b>78</b>
<b>6.</b>	<b>Comments of the Comptroller And Auditor General of India</b>	<b>90</b>
<b>7.</b>	<b>Independent Auditor's Report</b>	<b>96</b>
<b>8.</b>	<b>Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2016</b>	<b>110</b>
<b>9.</b>	<b>Statement of Profit &amp; Loss for the year ended 31<sup>st</sup> March 2016</b>	<b>112</b>
<b>10.</b>	<b>Cash Flow Statement for the year ended 31<sup>st</sup> March 2016</b>	<b>114</b>
<b>11.</b>	<b>Notes forming part of the Financial Statements</b>	<b>116</b>
<b>12.</b>	<b>Proxy Form</b>	<b>144</b>



## निदेशक बोर्ड

श्री मधुसूदन प्रसाद  
श्रीमती अश्विनी भिड़े  
श्रीमती झांजा त्रिपाठी  
श्री एम.के.सिन्हा

श्री ए.के.गुप्ता  
श्री शैलेंद्र शर्मा

श्री यू.पी.एस. मदान  
श्री अजोय मेहता

डॉ नितिन करीर

श्री एस.श्रीवास्तव

श्री एस.के.गुप्ता  
श्री ए.ए.भट्ट

अध्यक्ष, मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित- शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार  
प्रबंध निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित  
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार  
निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं ओ.एस.डी. (केंद्र शासित प्रदेश) तथा पदेन संयुक्त सचिव - शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार  
निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं विद्युत निदेशक, भारत सरकार  
निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं मंडल रेलवे प्रबन्धक, मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे, भारत सरकार  
निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं महानगर आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार  
निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं ग्रेटर मुंबई नगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार  
निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं प्रधान सचिव शहरीविकास-1, महाराष्ट्र सरकार  
निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित एवं अपर मुख्य सचिव वित्त, महाराष्ट्र सरकार  
निदेशक (परियोजना), मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित  
निदेशक (प्रणाली), मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

## मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री इंद्रनील सरकार

## कंपनी सचिव

कुमारी ऋतु देब

## सांविधिक लेखापरीक्षक

मै. आर.एस.वी.ए. एंड कं.  
सनदी लेखाकार,  
ब्लॉक- १,3 तल,  
खैतान चेंबर्स,  
१४३-१४५ मोदी स्ट्रीट, फोर्ट  
मुंबई- ४००००१

## सचिवालय लेखापरीक्षक

मै. डी.ए.कामत एंड कं.  
ए/३०८, रॉयल सेंड्स,  
शास्त्री नगर, फेम एडलव्स के पीछे,  
नया लिंक मार्ग,  
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई- ४०००५३

## बैंकर

- भारतीय स्टेट बैंक
- एच डी एफ सी बैंक

- भारतीय यूनाइटेड बैंक
- आय सी आय सी आय बैंक

## पंजीकृत कार्यालय

### मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

(भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त उद्यम)  
एम.एम.आर.डी.ए. बिल्डिंग, प्लॉट नं १४-१५, बी के सी, बांद्रा(पूर्व), मुंबई- ४०००५१

## BOARD OF DIRECTORS

Shri Madhusudan Prasad	Chairman, MMRCL & Secretary – Ministry of Urban Development Government of India
Smt. Ashwini Bhide Smt. Jhanja Tripathy	Managing Director, MMRCL Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Urban Development Government of India
Shri. M.K.Sinha	Director, MMRCL & OSD (UT) and Ex- officio Joint Secretary – Ministry of Urban Development, Government of India
Shri A.K.Gupta	Director, MMRCL & Director Electrical, Government of India
Shri. Shailedra Sharma	Director, MMRCL & Divisional Railway Manager, Mumbai Central Division, Western Railway, Government of India
Shri U P S Madan	Director, MMRCL & Metropolitan Commissioner, Government of Maharashtra
Shri Ajoy Mehta	Director, MMRCL & Municipal Commissioner of Greater Mumbai, Government of Maharashtra
Dr. Nitin Kareer	Director, MMRCL & Principal Secretary Urban Development-1, Government of Maharashtra
Shri. S.Shrivastava	Director, MMRCL & Additional Chief Secretary Finance, Government of Maharashtra
Shri S.K.Gupta Shri A.A.Bhatt	Director (Projects), MMRCL Director (Systems), MMRCL

## Chief Financial Officer

Mr. Indranil Sarkar

## COMPANY SECRETARY

Ms. Ritu Deb

## STATUTORY AUDITORS

M/s. RSVA & Co  
Chartered Accountants,  
Block – 1, 3<sup>rd</sup> floor, Shastri Nagar,  
Behind Fame Adlabs, Khaitan Chambers,  
143-145 Modi Street, Fort,  
Mumbai – 400 001

## SECRETARIAL AUDITOR

M/s. D.A.Kamat & Co  
A/308, Royal Sands,  
New Link Road,  
Andheri (West),  
Mumbai – 400 053

## BANKERS

1. State Bank of India
2. HDFC Bank
3. United Bank of India
4. ICICI Bank

## REGISTERED OFFICE

### MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(JV of Govt. of India and Govt. of Maharashtra)

MMRDA Building, Plot No.14-15, BKC, Bandra (E), Mumbai – 400 051.

## अध्यक्षीय भाषण

प्रिय शेयरधारकों,

वित्त वर्ष २०१५-१६ मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित के लिए उपलब्धियों तथा यादों से भरा वर्ष रहा है।

गत वर्ष कंपनी का इक्विटी प्रेरण रु ५,००,०००/- (पाँच लाख रुपए केवल) से बढ़कर रु ७३,२०,००,०००/- (तहतर करोड़ बीस लाख रुपए) हो गया है। बोर्ड में भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों तथा २ प्रयोजनमूलक निदेशकों को मिलाकर निदेशकों की संख्या १२ है।

वित्त वर्ष २०१५-१६ के लिए बोर्ड की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, पहले ही आपको परिचालित किए जा चुकी हैं तथा आपकी अनुमति से, उन्हें पढ़ा हुआ समझा गया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने परामर्शदाता सेवाओं हेतु दिनांक २६ मई २०१५ को करार किया है। परामर्शदाता ने दिनांक १ जून २०१५ से कार्य प्रारम्भ किया तथा सबसे कम कीमत वाले बोली लगाने वाले के साथ मोलभाव करने के बाद दिनांक १५ जनवरी २०१६ को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के साथ जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी(जिका) सिविल कार्य निविदा प्रक्रिया पूरी की। परामर्शदाता प्रणाली निर्माण के प्रापण के लिए भी कार्यरत है।

आपकी कंपनी को सिविल कार्य हेतु दिनांक १२ मई २०१५ को ९ पूर्वअर्हता प्राप्त बोली लगाने वालों से ३१ बोलियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रारम्भिक बोली के मूल्यांकन के उपरांत, सबसे कम बोली लगाने वाले के साथ कीमत में और अधिक गुंजाइश तथा निविदा शर्तों के लिए, जहां तक संभव हो सका, मोलभाव किए गए थे तथा बोली लगाने वालों ने उनके संशोधित भाव/बोलियाँ जमा की हैं। सामान्य परामर्श, निविदा मूल्यांकनसमिति तथा निविदा समिति ने संशोधित भावों का मूल्यांकन किया तथा स्वीकृति हेतु परामर्श दिया था। निविदा स्वीकृति समिति ने दिनांक २६ फरवरी २०१६ को परामर्श स्वीकार किए हैं।

सिविल कार्य निष्पादन कार्य को आसानी से चलाये रखने के लिए, आपकी कंपनी ने स्टेशनों तथा संबन्धित सविधाओं, कास्टिंग यार्ड्स, टीबीएम कार्य क्षेत्र, विनिर्माण डिपो, कार डिपो, गंदगी के निपटान इत्यादि हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से अग्रिम कब्जा या सैद्धांतिक अनुमोदन अधिकतर सरकारी ज़मीनों को दिया गया है। ९७ निजी ज़मीनों के मालिकों के साथ मोलभाव भी प्रारम्भ किया जा चुका है। मौजूदा कार्यालयों को विधान भवन स्टेशन में स्थानांतरित करने के लिए, राज्य सरकार ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया था। तदनुसार, निविदा आमंत्रित किए गए थे तथा नरीमन पॉइंट सेटर के आस पास कार्यालय स्थान के चयनका निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार/मुंबई शहरी परिवहन परियोजनापुनर्वास एवंपुनर्निपटान नीति के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों/व्यापार/व्यक्ति का पुनर्वास कार्य कंपनी द्वारा लिया गया है। लगभग २५७७ परिवार परियोजना से प्रभावित होने वाले हैं। परामर्शदाता द्वारा जनवरी २०१६ में अद्यतनित एस.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। अधिकतर प्रभावित बस्ती परिवारों के लिए लोक परामर्श का कार्य पूरा किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से, राज्य सरकार ने बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण योजना के अंतर्गत परियोजना प्रभावित लोगों के लिए विभिन्न स्थानों पर ४००० मकानों की अनुमति प्रदान की है। पुनर्वास एवंपुनर्निपटानप्रक्रिया में सहायता देने के लिए गैर सरकारी संगठन-स्पाक को नियुक्त किया गया है।

आपकी कंपनी ने मुंबई सेंट्रल पर अपेक्षित रेलवे जमीन के लिए पश्चिम रेलवे से सैद्धांतिक अनुमोदन तथा महालक्ष्मी तथा माहिम के समीप मेट्रो संरेखण क्रॉसिंग (९ जून २०१५) पश्चिम रेलवे के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। पश्चिम रेलवे को देय प्रभार राशि पर विचार किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे को देय प्रभार राशि को अंतिम रूप देने के उपरांत पट्टा करार बना लिया जाएगा।

## CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Shareholders,

The financial year 2015-16 has been a year of milestones and memories for Mumbai Metro Rail Corporation Limited.

The past year Company's Equity infusion has increased from Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lacs only) to Rs. 73,20,00,000/- (Rupees Seventy-Three Crores Twenty Lacs only). The number of Directors in the Board are 12 (Twelve) including representatives from Government of India and Government of Maharashtra and two functional Directors.

The Board's Report and the Audited Annual Accounts for the Financial year 2015-16, the Statutory Auditors' Report along with the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, have already been circulated to you and with your permission, I take them as read.

During the year, Company signed the Contract Agreement for General Consultancy (GC) services on 26<sup>th</sup> May 2015. General Consultant (GC) mobilized and started working from 1<sup>st</sup> June 2015 and completed tendering processes for Civil works Japan international cooperation agency (JICA) issued NOC (15<sup>th</sup> Jan. 2016) for negotiations with L1 bidders. General Consultant (GC) is also working on procurement of System works.

Your Company has received 31 bids from 9 prequalified bidders on 12<sup>th</sup> May 2015, as regards Civil works. After initial bid evaluation, negotiations were held with the L1 bidders for amended scope and tender conditions and bidders submitted their revised bids/offers. General Consultant (GC), Tender Appraisal committee and Tender Committee evaluated the revised offers and recommended for acceptance. Tender acceptance committee has accepted the recommendations on 26<sup>th</sup> Feb 2016.

For smooth progress of civil works execution, your Company has initiated acquisition of land required for Station & Allied facilities, Casting yards, TBM work sites, construction depots, car depot, Muck Disposal etc. With the intervention of Hon. Chief Minister advance possession or in-principle approvals are given of most Government lands. Negotiations with 97 private land owners have also been initiated. To relocate the existing offices in Vidhan Bhavan station, State Government directed MMRC to provide office space Accordingly, Tenders invited and office spaces finalized around Nariman Point area.

Rehabilitation & Resettlement of Project affected Families/business & individual has been taken up by the Company as per State Government/ Mumbai Urban Transport Project R&R policy. About 2577 families are likely to be affected by project. The updated Social Impact Assessment (SIA) report has been submitted by General Consultant (GC) in Jan 2016. Public consultations completed for most of the affected slum dweller families. With the intervention of Hon'ble Chief Minister, State Government, has approved 4000 Project Affected People's tenements from Slum Rehabilitation Authority (SRA) scheme at various locations. NGO- (SPARC) Society for the Promotion of Area Resource Centers has been appointed to assist in the R&R process.

Your Company has got in principle approval from Western Railway for Railway land required at Mumbai Central and NOC for Metro alignment crossing (9th June 2015) WR near Mahalaxmi and Mahim. Charges payable to Western Railway are being discussed. A lease agreement will be signed after finalizing the charges payable to WR.

वन तथा तटीय जॉन प्रबंध प्राधिकरण (CRZ) हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए, आपकी कंपनी ने धारावी तथा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशनों के संबंध में नागपुर नोडल कार्यालय को ऑनलाइन आवेदन भेजा है। महाराष्ट्र तटीय जॉन प्रबंध प्राधिकरण (MCZMA) ने प्रस्ताव दिनांक २४/११/२०१५ को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) को सौंपा है, कफ्रे परेड तथा विधान भवन पर २ भूमिगत स्टेशनों के विनिर्माण तथा अस्थायी क्रियाकलापों हेतु भी अपेक्षित भूमि हेतु कंपनी ने दिनांक ०९/१२/२०१५ को भी आवेदन भेजा है।

आपकी कंपनी द्वारा दिनांक १६ सितंबर २०१५ को मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन मर्यादित से एम.ओ.यू करार किया है। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ने मेट्रो लाइन ३ के लिए उनके शेयरधारकों के परामर्श के बाद छत्रपती शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर विकास शुल्क लगाए जाने हेतु दिनांक २८/०१/२०१६ को अनुमोदन प्रदान किया है। कंपनी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भी मेट्रो लाइन ३ के संरेखण हेतु अनुमति प्राप्त कर ली है। छत्रपती शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन टी २ स्टेशन हेतु अपेक्षित भूमि के टुकड़े के लिए, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा रेजेंसी कोनवोकेशन सेंटर & होटल के बीच के मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में मध्यस्थ याचिका दायर की है।

आपकी कंपनी ने हुतात्मा चौक, विज्ञान संग्रहालय पर स्टेशनों के विनिर्माण तथा सम्बद्ध सुविधाएं प्रदान करने हेतु सीप्ल स्टेशन तथा बिल्डिंग के संयुक्त विकास के लिए बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन के साथ एम.ओ.यू. करार किया है। एम.आय.डी.सी. स्टेशन के संयुक्त विकास के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त के साथ अन्य एम.ओ.यू. करार की प्रक्रिया जारी है।

डिपो पर, महाराष्ट्र सरकार ने प्रबंध अध्यक्ष, एम.एम.आर.डी.ए. की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की है जिसने डिपो के लिए वैकल्पिक स्थान की उचितता का अध्ययन करने के लिए, दिनांक १२ अगस्त २०१५ को रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में कार डिपो निर्माण के प्रस्ताव के विरोध में स्थानीय गैर सरकारी संस्था द्वारा याचिका दायर की गई है। आरे कॉलोनी में कार डिपो के लिए प्रस्तावित भूमि को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) द्वारा दिनांक २२ जनवरी २०१६ को जारी अधिसूचना में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। कार डिपो का निर्माण प्रतिबंधित क्रिया न होने के कारण, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने क्षेत्र को इको संवेदनशील क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए याचिका दायर की है। राज्य सरकार समिति द्वारा कांजुरमार्ग पर डिपो के लिए प्रस्तावित भूमि पर उच्च न्यायालय के दिनांक १४ जनवरी १९९७ के आदेश द्वारा रोक लगाई हुई है। गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी आरे कॉलोनी में कार डिपो के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा राज्य सरकार के साथ बातचीत में लगी है।

आपकी कंपनी ने कार डिपो के लिए अपेक्षित भूमि के हाइ टेंशन लाइन के स्थानांतरण का कार्य करने के लिए रिलायंस पावर के साथ एम.ओ.यू. का करार किया है।

आपकी कंपनी ने नियमित, प्रतिनियुक्ति तथा दीर्घावधि वर्ग में ७२ कर्मचारियों की नियुक्ति की है। कुल ७३ पद (नियमित, प्रतिनियुक्ति तथा दीर्घावधि वर्ग में भरने के लिए विज्ञापन दिया गया है) भरने की प्रक्रिया में हैं।

आपकी कंपनी ने विधान भवन, एम.आय.डी.सी. पुलिस हाउसिंग, बेस्ट सीप्ल डिपो पर सरकारी प्लॉट में परियोजना के साथ संयुक्त विकास के अवसरों की पहचान की है। कंपनी पहल करने के उद्देश्य से वास्तुकार/डिजाइनर की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।

आपकी कंपनी ने "Operations and Maintenance Strategies for Mumbai Metro Line 3" विषय पर दिनांक २८ अप्रैल २०१५ को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। लाइन ३ के लिए ओ & एम मॉडल पर निर्णय लेने के लिए, जापान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने जिक-टोकियो मेट्रो-पेडको के विशेषज्ञ अध्यक्ष वर्ग की नियुक्ति की है, जिसने उनकी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

मेट्रो रेलवे प्रणाली अवयव जैसे विद्युत संकर्षण तथा पावर आपूर्ति, रेल के डिब्बे, संकेतन एवं संचार, सुरंग में हवा का आवागमन तथा स्टेशन वातानुकूलन, लिफ्ट/चल सीढ़ी, स्वचालित किराया संग्रहण मशीन इत्यादि के लिए प्रापण प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। प्रापण की स्थिति निम्न प्रकार है:

- **संकर्षण/विद्युत आपूर्ति हेतु पूर्वअर्हता के दो पैकेज :** संकर्षण विद्युत आपूर्ति तथा ओ सी एस। संभावित आवेदक के साथ दिनांक २२/०१/२०१६ को पूर्वअर्हता अधिसूचना के साथ-साथ पूर्व आवेदन बैठक के आयोजन का प्रकाशन दिनांक ०५/०१/२०१६ को किया गया था।



On the Forest and Coastal Regulation Zone(CRZ)clearance front, your Company has submitted Online application to nodal officer in Nagpur regarding Dharavi and BKC Metro Stations. Maharashtra Coastal Zone Management Authority(MCZMA)has recommended the proposal to Ministry of Environment And Forests(MoEF)on 24/11/2015, Company also submitted application on 9/12/2015 for the Land required for construction of 2 Underground stations; Cuffe Parade and Vidhan Bhavan and land required for temporary activities also.

Your Company has signed an MoU with Mumbai International Airport Limited (MIAL) on 16th Sept. 2015. Airport Economic Regulatory Authority (AERA) of India accorded approval 28.01.2016 to Levy of Development Fees at Chhatrapati Shivaji International Airport (CSIA) for ML3 project after their stakeholders' consultation. Company has also got clearance from AAI for the Metro line 3 alignment. For a part of land required for alignment of Chhatrapati Shivaji International Airport (CSIA) T2 station, MMRC has filed an intervenor application in Hon'ble Bombay High Court in the case between Airport Authority of India (AAI) and Regency Convention Centre & Hotels Private Limited on disputed land at Chhatrapati Shivaji International Airport (CSIA) T2 Terminal required for ML3 project.

Your Company has entered into a MoU with Brihanmumbai Electric Supply and Transport(BEST) for joint development of SEEPZ depot & Alice building to facilitate construction of Stations and allied facilities at Hutatma Chowk, Science Museum. Another MoU with Commissioner of Police Mumbai for joint development of Maharashtra Industrial Development Corporation(MIDC) Station is under process.

On the Depot; Govt. of Maharashtra appointed committee under Chairmanship of Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority to study feasibility of alternate location for Depot, submitted its report on 12th Aug. 2015. A case has been filed by local NGO against proposed Car Depot in National Green Tribunal. Land proposed for Car Depot at Aarey Colony is declared as Eco-Sensitive Zone vide draft Notification dt. 22ndJan 2016 by Ministry of Environment and Forests(MoEF). MMRC Filed and objection to exclude the area from ESZ as Car depot is not a prohibited activity. The State Govt committee proposed land for depot at Kanjurmarg is still under High Court stay order since from 14th January 1997.In view of the complex situation, the company is still pursuing with National Green Tribunal case and State Government to allow the car depot at Aarey.

Your Company has entered into a MoU with Reliance Power to facilitate shifting (Grounding) of High Tension line infringing of the land required for Car Depot.

Your Company has filled up total no of 72employees in the category of Regular, Deputation and Long term contract. Total no. of 73posts are in process of appointment (advertisement given and post to be filled for Regular, Deputation and Long term contract).

Your Company has Identified opportunities for Joint Development with project in Government plot at Vidhan Bhavan, Maharashtra Industrial Development Corporation Police housing, Bombay Tramway Company Limited SEEPZ Depot. Company is in the process of appointment of architect/designers to be initiated.

Your Company has conducted one-day workshop on "Operations and Maintenance Strategies for Mumbai Metro Line 3" on 28.04.15. To decide on the Operations and Maintenance model for Line 3, JICA has appointed Expert study group of JICA-Tokyo Metro-Padeco, who has submitted their Interim report.

Procurement process for Metro Railway System components; consists of Electrical Traction & Power supply, Rolling Stock. Signaling & Telecom., Tunnel ventilation & Station Air-conditioning, Lifts/Escalators, Automated Fare Collectionetc. has been initiated. Status of the procurement is as follows:

- **Prequalification for Traction / Power supply** in two packages i.e. Traction Power Supply and OCS. Pre-Qualification notification was published on 05.01.2016, followed by pre-application meeting with prospective applicants held on 22.01.2016.

- **रेल के डिब्बों के लिए पूर्वअर्हता:** संभावित आवेदक के साथ दिनांक १५/१२/२०१५ को पूर्वअर्हता दस्तावजों का प्रकाशन के साथ-साथ पूर्व आवेदन बैठक के आयोजन दिनांक ०१/१२/२०१५ को किया गया था।
- **पाइलोन स्थानांतरण कार्य के लिए रिलायंस पावर के साथ एम.ओ.यू. करार:** २२० किलोवोल्टेज पाइलोन स्थानांतरण का कार्य जिससे डिपो कार्य में कठिनाई आती है को जल्द पूरा करने के लिए रिलायंस तथा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच एम.ओ.यू. करार किया है।
- **टाटा पावर से विद्युत आपूर्ति के लिए बंधन:** विवरित परियोजना रिपोर्ट परियोजना में परिकल्पित, टाटा पावर से ११० किलोवोल्टेज विद्युत आपूर्ति के लिए प्रस्ताव मंजूर हो गया है। ३ स्थानों, रेस कोर्स, धारावी तथा आरे में हाई टेंशन आपूर्ति की जा रही है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के कड़े अनुनय के बाद, टाटा पावर ने नाममात्र संवर्धन दर पर बिजली आपूर्ति के लिए सहमति जताई है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुरोध पर विचार करने के पश्चात, टाटा पावर ने वर्ष २०१९-२० तक की अवधि के लिए टैरिफ दर प्रस्तुत किया है जिसमें मेट्रो वर्ग टैरिफ कम से कम रखने पर प्रस्ताव किया गया है। ऊर्जा दर मौजूदा रु ७.९० प्रति यूनिट से घटाकर रु ६.६० प्रति यूनिट करने के प्रस्ताव है तथा वर्ष २०१९-२० में जब परियोजना प्रारम्भ होने की स्थिति में होगा तब दर रु ४.०२ प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है।

## हरित नीति का निर्माण:

हरियाली की तरफ अग्रसर होने के कारण, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अक्टूबर २०१५ में इसकी हरित नीति का निर्माण किया है जो मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में हरित ऊर्जा से संबंधित कार्यों की योजना बनाने में मार्गदर्शन करती है।

## मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को भारतीय हरित बिल्डिंग परिषद के संस्थापक सदस्यता की मंजूरी:

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को भारतीय हरित बिल्डिंग परिषद द्वारा मुंबई मेट्रो लाइन ३ परियोजना में हरियाली की तरफ पहल करने के कारण संस्थापक सदस्यता की पदवी दी गई है। इसके साथ-साथ, कार डिपो तथा सभी २७ स्टेशनों को भारतीय हरित बिल्डिंग परिषद ग्रीन रेटिंग के लिए पंजीकृत कर लिया गया है।

## मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा इसकी डिजिटल यात्रा में उठाए गए मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों को निम्न रूप से विस्तारित किया गया है:

कंपनी ने दिनांक १९/१०/२०१५ को इसकी वेबसाइट ([www.mmrcl.com](http://www.mmrcl.com)) का निर्माण किया था। जिसका लिंक शहरी विकास मंत्रालय के मुख पृष्ठ पर भी उपलब्ध है।

कंपनी ने इसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन भर्ती पोर्टल का विकास किया है जहां पर नई भर्ती के आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। कंपनी ने निविदा विजर्ड के प्लैटफॉर्म पर आई.टी.आई. के सहयोग से इसका स्वतंत्र ई-निविदा मोड्युल तैयार किया है। वर्तमान में हम ई-ऑफिस मोड्युल तैयार करने के लिए **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** का सहयोग ले रहे हैं।



## टाटा पावर के साथ एम.ओ.यू. का करार

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो लाइन-3 परियोजना के लिए समर्पित ११० किलोवोल्टेज विद्युत आपूर्ति के लिए टाटा पावर मर्यादित के साथ एम.ओ.यू. करार किया है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनको सितम्बर २०१९ से संकर्षण लोड के साथ-साथ अन्य अनुप्रयोगों

- **Prequalification for Rolling Stock:** Pre-Qualification document was published on 01.12.2015, followed by pre-application meeting with prospective applicants conducted on 15.12.2015.
- **MoU with Reliance Power for Pylon shifting works:** To facilitate early execution of 220Kv Pylon shifting which are infringing depot works, an MoU was signed between Reliance and MMRC.
- **Tie - up for Power supply from Tata Power:** As envisaged in project Detailed Project Report, proposal for availing 110 KV power supply from Tata Power has been finalized. High Tension supply is being taken at 3 locations at i.e. Race course, Dharavi & Aarey. After rigorous persuasion by MMRC, Tata Power has agreed for giving power at nominal augmentation charges. Considering request of MMRC Tata Power has submitted Tariff proposal for period up to 2019-20 wherein Metro category tariff has been proposed to be kept very reasonable. The energy charges are proposed to be reduced from existing Rs. 7.90/unit to Rs. 6.60/unit and to further reduce to Rs. 4.02 /unit in the year 2019-20 when project is likely to enter in commissioning stage.

## Launching of Green Policy:

In pursuit of its green initiatives, MMRC launched its GREEN POLICY in Oct 2015 which describes the roadmap of green energy related works to be planned in MMRC.

## Grant of Founding membership of IGBC to MMRC:

MMRC has been accorded status of Founding membership by **Indian Green Building Council (IGBC)** to pursue green initiatives in MML3 project. Besides, all 27 stations as well as Car depot have been registered for IGBC green rating.

## Key IT activities undertaken by MMRC on its digital journey are as briefed as under:

MMRC launched its WEBSITE ([www.mmrcl.com](http://www.mmrcl.com)) on 19.10.15. Its link is available on MoUD home page as well.

The Company has developed On Line Recruitment portal on its website wherein applications for fresh recruitment are now invited on line. Company has prepared its independent e-Tendering module in collaboration with ITI on the platform of tender wizard. Now we are in collaboration with **National Informatics Centre (NIC)** to develop e-Office module.



## Signing of MoU with Tata Power

MMRC has signed the MoU with Tata Power Ltd for availing the dedicated 110 kV power supply for Metro line -3 project. MMRC will require 110 kV power from September 2019 for traction load as well as other



जैसे सुरंग में वायु के आवागमन तथा पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली, अग्निशमन, वातानुकूलन, प्लैटफार्म स्क्रीन डोर, संकेतन एवं दूरसंचार, लिफ्ट तथा चल सीढ़ी तथा कार डिपो को ११० किलोवोल्टेज विद्युत की आवश्यकता है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो सेवा हेतु निर्बाधित विद्युत सेवा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान संग्रहालय, धारावी और आरे पर उप स्टेशन की योजना बनाई है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने वर्ष २०१९-२० के लिए ९० मेगा किलोवोल्टेज विद्युत की मांग की है। महाराष्ट्र विद्युत विनियामक कॉर्पोरेशन द्वारा अनुमोदित टाटा पावर का विद्युत का भाव वर्ष २०१९ के लिए रु ५.८२ प्रति यूनिट है।



मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जुलाई २०१५ से अपनी वास्तविक सूचना लोगों के साथ बांटने के लिए सोशल मीडिया फेसबुक तथा ट्विटर पर हमेशा सक्रिय है।

एक संगठन के रूप में, आपकी कंपनी मजबूत आचार-विचार निष्पादन, गुणों तथा व्यवहार द्वारा चलायमान है तथा इसके स्टैकहोल्डरों को उत्कृष्टता दर्शाने हेतु प्रतिबद्ध है।


कार्य के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में आई कठिनाइयों तथा असुविधाओं के बावजूद, मैं भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न विभागों, मुंबई मेट्रो लाइन ३ परियोजना में उनके समर्थन हेतु निदेशक बोर्ड को धन्यवाद देता हूँ।

मैं आने वाले वर्षों में कंपनी को नई ऊचाइयों पर ले जाने के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सभी दलों से उनके समर्थन की आशा करता हूँ।

**राजीव गौबा**  
अध्यक्ष

applications such as tunnel ventilation and environment control system, firefighting, Air conditioning, platform screen door, signal and telecommunication, lifts and escalators and car depot.

MMRC has planned its Receiving sub stations at Science Museum, Dharavi & Aarey for ensuring uninterrupted Power supply for Metro service. Power demand of MMRC for year 2019-20 will be 90 MVA. Tariff rate of Tata Power is minimum among all utilities i.e. @ 5.82 Rs. /Unit for year 2019 as approved by MERC.



As an organisation, your Company continues to be driven by a strong performance ethics, robust set of values and behaviors' and is committed to delivering excellence to its stakeholders.

I wish to thank the various departments of Government of India & Government of Maharashtra, the Board of Directors for their generous support to the MML3 Project, despite the difficulties and inconveniences encountered in the process of implementation of the work.

I look forward to team MMRC for support and encouragement to help your Company scale newer heights in the coming years.

**RAJIV GAUBA**  
CHAIRMAN



## सूचना

**सूचना** दी जाती है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित (कंपनी) के सदस्यों की 8 वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन 29 सितम्बर 2016 को प्रातः 11.30 बजे नई एम.एम.आर.डी.ए. बिल्डिंग, 9 वां तल, कमेटी कक्ष, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 में निम्न तथ्यों पर विचार विमर्श हेतु किया जाएगा:

### सामान्यकार्य:

- 1) निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ समाप्त वित्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा विवरण तथा 31 मार्च 2016 तक लेखापरीक्षित तुलन पत्र की प्राप्ति, विचार विमर्श तथा ग्रहण।
- 2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 तथा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक तय करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना तथा निम्न को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना।

### विशेषकार्य:

- 3) श्री राजीव गौबा, आई. ए. एस. की कंपनी निदेशक के पद पर नियुक्ति

विचार विमर्श करना तथा यदि उचित हो, बदलाव या बिना बदलाव के सामान्य संकल्प के रूप में निम्न पारित करना:

**यह संकल्प लिया जाता है कि**, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 तथा अन्य प्रावधानों के साथ नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.04.2016 को जारी पत्र सं F. No. K-1401/53/2013 MRTS-Coord, जो उचित हो, श्री राजीव गौबा, आई. ए. एस. निदेशक पहचान सं **06413989**, जो नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव हैं, 01 अप्रैल 2016 से, जब तक भारत सरकार के अन्य आदेशों द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कंपनी के पदेन मनोनीत निदेशक के पद पर नियुक्त किए जाते हैं।

**यह भी संकल्प लिया जाता है कि**, कंपनी के निदेशकों में से किसी एक को, उपरोक्त नियुक्ति की कंपनी कार्य मंत्रालय को सूचना देने तथा आवश्यक कार्यवाही करने तथा आवश्यक ई फॉर्म फाइल करने व इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए, प्राधिकृत किया जाता है।

- 4) श्री दिनेश कुमार जैन, आई. ए. एस. की कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति

विचार विमर्श करना तथा यदि उचित हो, बदलाव या बिना बदलाव के सामान्य संकल्प के रूप में निम्न पारित करना:

**यह संकल्प लिया जाता है कि**, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 तथा अन्य प्रावधानों के साथ महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 27.04.2016 को जारी पत्र सं D.O.L.N.AEO/1116/10/2016/ten, जो उचित हो, के अनुसार, श्री दिनेश कुमार, आई. ए. एस., निदेशक पहचान सं 07239310, जो अपर मुख्य सचिव (वित्त), महाराष्ट्र सरकार हैं, 27 अप्रैल 2016 से, जब तक महाराष्ट्र सरकार के अन्य आदेशों द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कंपनी के पदेन मनोनीत निदेशक के पद पर नियुक्त किए जाते हैं।

## NOTICE

**NOTICE** is hereby given that the 8th Annual General Meeting of the Members of Mumbai Metro Rail Corporation Ltd (MMRCL) will be held on 29th day of September, 2016 at 11:30 AM at 9th Floor, "Committee Room", New MMRDA Building, Bandra Kurla Complex, Bandra E, Mumbai - 400051 to transact the following business:

### Ordinary Business:

- (1) To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as at 31st March, 2016 and Statement of Profit & Loss Account for the financial year ended on that date together with the Report of the Board of Directors and Auditors thereon.
- (2) To authorise the Board of Directors of the Company to fix the remuneration of the statutory auditors of the company for the financial year 2016-17, in terms of the provisions of Section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013 and to pass the following as an Ordinary Resolution.

### Special Business:

- (3) **Appointment of Shri. Rajiv Gauba, IAS as a Director of the Company**

To consider and if thought fit, to pass the following with or without modification as an

### Ordinary Resolution:

**"RESOLVED THAT**, in terms of the Letter No. F.No. K-1401/53/2013/MRTS- Coord dated 04.04.2016 issued by the, Ministry of Urban Development, Government of India read with Section 161 and other provisions of the Companies Act, 2013, as may be applicable, Shri. **Rajiv Gauba**, IAS, Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India, bearing **DIN No. 06413989** be and is hereby appointed as an ex-officio Nominee Director of the Company with effect from 01st April, 2016 until otherwise decided by the Government of India through further orders."

**"RESOLVED FURTHER THAT**, any one of the Directors of the Company be and is hereby authorized to undertake all the necessary actions and file the necessary E-Forms to intimate the above appointment with the Ministry of Corporate Affairs and to undertake all the steps in this regard."

- (4) **Appointment of Shri Dinesh Kumar Jain, IAS as a Director of the Company**

To consider and if thought fit, to pass the following with or without modification as an Ordinary Resolution:

**"RESOLVED THAT** in terms of the Letter No: D.O.L.N.AEO/1116/10/2016/ten dated 27.04.2016, issued by the Government of Maharashtra read with Section 161 and other provisions of the Companies Act, 2013 as may be applicable, Shri. Dinesh Kumar Jain, IAS, Addl. Chief Secretary (Finance), Govt. of Maharashtra, bearing DIN: 07239310 be and is hereby appointed as an ex-officio of Government of Maharashtra, Nominee Director of the Company with effect from 27th April, 2016 until otherwise decided by the Government of Maharashtra, through further orders."

यह भी संकल्प लिया जाता है कि, कंपनी के निदेशकों में से किसी एक को , उपरोक्त नियुक्ति की कंपनी कार्य मंत्रालय को सूचना देने तथा आवश्यक कार्यवाही करने तथा आवश्यक ई फॉर्म फाइल करने व इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए, प्राधिकृत किया जाता है।

स्थान: मुंबई

तिथि: 08 सितम्बर 2016

मंडलके आदेशानुसार  
हस्ता / -  
कंपनी सचिव

**“RESOLVED FURTHER THAT** any one of the Directors of the Company be and is hereby authorised to undertake all the necessary actions and file the necessary E-forms to intimate the above appointment with the Ministry of Corporate Affairs and to undertake all the steps in this regard.”

**Place: Mumbai**

**Date: 8th September 2016**

**By Order of the Board**

**Sd/-**

**Company Secretary**

## नोट्स:

- क) उपस्थिती एवं मतदान हेतु हकदारित सदस्य उसके स्थान पर उपस्थिती व मतदान हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए हकदारित किया जाता है तथा प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के प्रावधान के अनुपालन में, एक व्यक्ति, अधिकतम 50 सदस्यों के लिए तथा कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक स्वामित्व न होने पर, प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक स्वामित्व रखनेवाले सदस्य एक अकेले व्यक्तिको प्रतिनिधिके रूप में नियुक्त कर सकते हैं जो किसी अन्य सदस्य के प्रतिनिधिका कार्य नहीं करेगा। प्रभावपूर्ण करने के लिए, प्रतिनिधिका दस्तावेज़, बैठक की शुरुआत से अधिकतम 48 घंटे पहले, पूरी तरह भरा हुआ एवं हस्ताक्षर किया हुआ, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा। इस रिपोर्ट के साथ प्रतिनिधि (प्रोक्सी) फॉर्म संलग्न है। मर्यादित कंपनी यों, सोसाइटी इत्यादि के लिए प्रतिनिधि हेतु निवेदन उचित संलक्षप/प्राधिकार, जो लागू हो, के साथ लगा हुआ होना चाहिए।
- ख) सदस्यों/प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थिती हेतु इस के साथ संलग्न उपस्थिती स्लिप पूरी तरह भरी हुई लाएँ।
- ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुपालन में, वार्षिक सामान्य बैठक में विशेष व्यवसाय के कार्य सम्पादन के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इस के साथ संलग्न है।
- घ) जब तक वार्षिक सामान्य बैठक नहीं हो जाती तब तक, कंपनी के शेयर धारकों के निरीक्षण हेतु कंपनी के संघ के ज्ञापन एवं अनुच्छेद सभी कार्य दिवसों में 11.00 बजे से 3.00 बजे के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

## नोटिसका व्याख्यात्मक विवरण

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुपालन में)

### मदसंख्या 4:

कंपनी द्वारा प्राप्त भारत सरकार के दिनांक 04.04.2016 के पत्र सं F. No. K-1401/53/2013 MRTS-Coord के संदर्भ में, श्री राजीव गौबा, आई. ए. एस., सचिव नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार, श्री मधुसूदन प्रसाद, आई. ए. एस. के स्थान पर, कंपनी के मंडल में पदेन मनोनीत निदेशक के पद पर दिनांक 01 अप्रैल 2016 से नियुक्त किए जाते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधान के अनुपालन में, उक्त नियुक्ति के लिए शेयर धारकों के अनुमोदन की आवश्यकता है।

श्री राजीव गौबा, आई. ए. एस., सचिव नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु अपनी लिखित स्वीकृति दी है तथा यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं हैं।

निदेशक मंडल में संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति की वजह से तथा उनकी संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति के रूप में उन के पास रखे हुए शेयरों के अलावा, निदेशकों या महत्वपूर्ण प्रबंध नकार्मिक या उनके संबंधियों में से, श्री राजीव गौबा, आई. ए. एस., सचिव नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार किसी भी व्यक्तिगत या निजी ढंग से संकल्पों से हितैषीया संबद्ध नहीं हैं।



## NOTES:

- a) A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS / HER BEHALF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. Pursuant to the provisions of Section 105 of the Companies Act, 2013, a person can act as a proxy on behalf of not more than fifty members and holding in aggregate not more than ten percent of the total Share Capital of the Company. Members holding more than ten percent of the total Share Capital of the Company may appoint a single person as proxy, who shall not act as a proxy for any other Member. The instrument of Proxy, in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of the Company, duly completed and signed, not later than 48 hours before the commencement of the meeting. A Proxy Form is annexed to this Report. Proxies submitted on behalf of limited companies, societies, etc., must be supported by an appropriate resolution / authority, as applicable.
- b) Members/ Proxies are requested to bring in duly filled in attendance slip attached herewith, to attend the Meeting.
- c) An Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 relating to the Special Businesses to be transacted at the Annual General Meeting (AGM) is annexed hereto.
- d) The Memorandum and Articles of Association of the Company, is available for the inspection of the Shareholders of the Company at the Registered Office of the Company on all working days between 11:00 a.m. to 3:00 p.m. until the date of the Annual General Meeting.

## EXPLANATORY STATEMENT TO THE NOTICE

(Pursuant to Section 102 to the Companies Act 2013)

### Item No. 4:

The Letter No. F.No.K-1401/53/2013/MRTS- Coord dated 04.04.2016 as received by the Company from the Government of India appointing Shri. Rajiv Gauba, IAS, Secretary Ministry of Urban Development, Government of India as an ex-officio Nominee Director on the Board of the Company, in place of Shri. Madhusudan Prasad, IAS (retd) with effect from 01st April, 2016.

The said appointment requires the approval of the shareholders by virtue of provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013.

Shri. Rajiv Gauba, IAS, Secretary Ministry of Urban Development, Government of India has given his written consent to be appointed as Director of the Company and has declared that he is not disqualified from being appointed as per the provisions of the Companies Act, 2013.

None of the Directors or Key Managerial Personnel (KMP) or their relatives, Shri. Rajiv Gauba, IAS, Secretary Ministry of Urban Development, Government of India, is interested or concerned with the resolutions respectively, in any individual or personal manner, whatsoever, other than the shares held by them as nominees of the respective Governments and by virtue of being the nominees of the respective Governments on the Board of Directors

मंडल, सदस्यों से मद संख्या 4 में दिए गए संकल्पों की सामान्य संकल्पों के रूप में अनुमोदन की सहमति देता है।

## मदसंख्या 5:

महाराष्ट्र सरकार के अपर मुख्य सचिव (सेवा) द्वारा दिनांक 27/04/2016 को जारी पत्र सं 1116/10/2016/ten के संदर्भ में, श्री दिनेश कुमार जैन, आई. ए. एस. अपर मुख्य सचिव (वित्त), महाराष्ट्र सरकार श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव (आई. ए. एस.) के स्थान पर कंपनी के मंडल में पदेन मनोनीत निदेशक के पद पर दिनांक 27 अप्रैल 2016 से नियुक्त किए जाते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधान के आधार पर उक्त नियुक्ति के लिए शेयर धारकों के अनुमोदन की आवश्यकता है।

श्री दिनेश कुमार जैन, आई. ए. एस. अपर मुख्य सचिव (वित्त), महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु अपनी लिखित स्वीकृति दी है तथा यह घोषणा की है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।

निदेशक मंडल में संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति की वजह से तथा उनकी संबन्धित सरकार के मनोनीत व्यक्ति के रूप में उनके पास रखे हुए शेयरों के अलावा, निदेशकों या महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक या उनके संबंधियों में से, श्री दिनेश कुमार जैन, आई. ए. एस. अपर मुख्य सचिव (वित्त), महाराष्ट्र सरकार किसी भी व्यक्तिगत या निजी ढंग से संकल्पों से हितैषी या संबद्ध नहीं हैं।

मंडल, सदस्यों द्वारा मद सं 5 में दिए गए संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में अनुमोदन की सहमति देता है।

स्थान: मुंबई

तिथि: 08 सितम्बर 2016

मंडल के आदेशानुसार  
हस्ता/-  
कंपनी सचिव

The Board recommends the approval of the resolutions set in Item No. 4 as Ordinary Resolutions by the Members.

## **Item No. 5:**

In term of the letter No D.O.L.N.AEO/1116/10/2016/ten dated 27.04.2016 issued by Additional Chief Secretary (Service) of Government of Maharashtra appointing Shri. Dinesh Kumar Jain, (IAS) Addl. Chief Secretary (Finance), Govt. of Maharashtra as an ex-officio Nominee Director on the Board of the Company, in place of Mr. Sudhir Kumar Shrivastava (IAS) with effect from 27th April 2016

The said appointment requires the approval of the shareholders by virtue of provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013.

Shri. Dinesh Kumar Jain, (IAS) Addl. Chief Secretary (Finance), Govt. of Maharashtra has given his written consent to be appointed as Director of the Company and has declared that he is not disqualified from being appointed as per the provisions of the Companies Act, 2013.

None of the Directors or Key Managerial Personnel (KMP) or their relatives, Shri. Dinesh Kumar Jain, (IAS) Addl. Chief Secretary (Finance), Govt. of Maharashtra is interested or concerned with the resolutions respectively, in any individual or personal manner, whatsoever, other than the shares held by them as nominees of the respective Governments and by virtue of being the nominees of the respective Governments on the Board of Directors

The Board recommends the approval of the resolutions set in Item No. 5 as Ordinary Resolutions by the Members.

**Place: Mumbai**

**Date: 8th September 2016**

**By Order of the Board**

**Sd/-**

**Company Secretary**

## सूचना

**सूचना** दी जाती है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित के सदस्यों की आस्थगित 8 वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन 30 मार्च 2017 को प्रातः 11.30 बजे नई प्रशासनिक बिल्डिंग, एम.एम.आर.डी.ए. बिल्डिंग, कमेटी कक्ष, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051 में निम्न तथ्यों पर विचार विमर्श हेतु किया जाएगा:

### 1) लेखों का ग्रहण

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण के साथ-साथ 31 मार्च 2016 तक का तुलन पत्र की प्राप्ति, विचार विमर्श तथा ग्रहण तथा निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करना।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार  
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित के लिए

स्थान: मुंबई  
तिथि: 9 मार्च 2017

हस्ता/-  
कंपनी सचिव  
ऋतु देब



## NOTICE

**NOTICE** is hereby given that the Adjourned 8th Annual General Meeting of the Company, Mumbai Metro Rail Corporation Limited, will be held on 30th day, March, 2017 at 11 a.m. at Committee Room, New Administrative Building, MMRDA Office, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051 to transact the following business:

### **ORDINARY BUSINESS:**

**1. Adoption of Accounts:**

To receive, consider, adopt and approve the Balance Sheet as at 31st March, 2016 along with the Profit and Loss Statement for the year ending on that date, the Cash Flow Statement, the Notes and the Schedules thereon along with the Auditors Report and the Directors Report thereon and take comments from Comptroller and Auditor General of India.

**By order of the Board of Directors  
For Mumbai Metro Rail Corporation Limited**

**Place: Mumbai**

**Date: 9th March, 2017**

**Sd/-  
COMPANY SECRETARY  
RITU DEB**

## सूचना

1. उपस्थिती एवं मतदान हेतु हकदारित सदस्य उसके स्थान पर उपस्थिती व मतदान हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए हकदारित किया जाता है तथा प्रतिनिधिको कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के प्रावधान तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19 के अनुपालन में, एक व्यक्ति, अधिकतम 50 सदस्यों के लिए तथा कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक स्वामित्व न होने पर, प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक स्वामित्व रखने वाले सदस्य द्वारा एक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तावित किया जाता है तो वह प्रतिनिधि किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के प्रतिनिधि का कार्य नहीं कर सकता है। प्रतिनिधि को प्रभाव पूर्ण करने के लिए, प्रतिनिधिका दस्तावेज़, बैठक की शुरुआत से अधिकतम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा। सदस्य/प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थिती हेतु इस सूचना के साथ संलग्न उपस्थिती स्लिप पूरी तरह भरकर लाएँ।
2. सचिवालय मानक 2 की अपेक्षा अनुसार सदस्यों के अवलोकन के लिए वार्षिक सामान्य बैठक के स्थान का नक्शा संलग्न है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार  
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित के लिए

स्थान: मुंबई  
तिथि: 9 मार्च 2017

हस्ता/-  
कंपनी सचिव

## NOTES:

- 1) A Member Entitled to Attend and Vote Is Entitled to Appoint a Proxy, Or, Where That Is Allowed, One or More Proxies, To Attend and Vote Instead of Himself, and That a Proxy Need Not be A Member. Pursuant to Section 105 of the Companies Act, 2013 and Rule 19 the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, a person can act as a proxy on behalf of members not exceeding 50 and holding in the aggregate not more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights. In case a proxy is proposed to be appointed by a member holding more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights, then such proxy shall not act as a proxy for any other person or shareholder. Proxies, in order to be effective, must be received at the registered office of the Company at not less than forty-eight hours before the commencement of the AGM. Members/ Proxies are requested to bring in duly filled in attendance slip attached herewith, to attend the Meeting.
- 2) Map to the venue of the AGM, as per the requirement of Secretarial Standard 2 is attached for the perusal of the members.

**By order of the Board of Directors  
For Mumbai Metro Rail Corporation Limited**

**Place: Mumbai**

**Date: 9th March, 2017**

**Sd/-  
COMPANY SECRETARY  
RITU DEB**

## निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,  
सदस्य  
मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित  
मुंबई

आपके निदेशकों को, वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के कारोबार, प्रचालन तथा वित्त स्थिति पर कंपनी के निदेशक बोर्ड की 8 वीं रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुता हो रही है।

### १. वित्तीय परिणाम एवं निष्पादन

३१ मार्च २०१५ तथा ३१ मार्च २०१६ को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:

विवरण	(राशि रूपयों में)	
	वर्ष 2015-16 के लिए	वर्ष 2014-15 के लिए
कुल आय	6,44,69,768	52,32,336
कम: प्रचालन व्यय	2,64,03,221	2,07,74,387
कम: अवमूल्यन	47,18,881	9,02,176
कम: वित्तीय व्यय	75,418	896
कम: अपवादात्मक मर्दे	0	3,02,95,460
कर पूर्व लाभ(हानि)	3,32,72,248	-4,67,40,583
कम: कर व्यय	1,13,98,797	0
कर के बाद शुद्ध लाभ(हानि)	2,18,73,451	-4,67,40,583
सामान्य संरक्षण में अंतरण	0	0
तुलन पत्र में अग्रणीत लाभ	2,18,73,451	-4,67,40,583

### २. सामान्य संरक्षण हेतु अंतरण

बोर्ड ने सामान्य संरक्षण हेतु किसी राशि का अंतरण नहीं किया है।

### ३. वित्त वर्ष २०१५-१६ के लिए लाभांश

चालू तथा पिछले वित्त वर्ष में होनेवाले नुकसान के कारण, निदेशक बोर्ड कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की मंजूरी नहीं दी है।

### ४. कंपनी की स्थिति

कंपनी अप्रैल २००८ में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक तथा राज्य सरकारी कंपनी के रूप में निगमित की गई थी। पिछले वित्त वर्ष (२०१४-१५) में, कंपनी (मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा) ५०:५० अनुपात में भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम बन गई है।

भारत सरकार ने, पत्र सं १४०११/३६/२००९ Metro/MRTS-II (Vol III) दिनांक १८/०७/२०१३ के संदर्भ में, कंपनी को मेट्रो लाइन ३ (कोलाबा-बांद्रा-सीड्हा) परियोजना के कार्य के लिए विशेष प्रोजेक्ट व्हिकल (SPV) के रूप में नियुक्त किया है।



## DIRECTORS REPORT

To,  
The Members,  
**Mumbai Metro Rail Corporation Limited**  
Mumbai

Your Directors have the pleasure in presenting to you, the 8th Report of the Board of Directors of the Company on the business, operations and financial position of the Company for the Financial Year 2015-16.

### 1. Financial Results and Performance

The financial position of the Company for the Financial Year ending on 31st March, 2016 vis-à-vis the position as on 31st March, 2015 is as follows:

Particulars	For FY 2015-16	For FY 2014-15
<b>Total Income</b>	<b>6,44,69,768</b>	<b>52,32,336</b>
<b>Less: Operating Expenses</b>	<b>2,64,03,221</b>	<b>2,07,74,387</b>
<b>Less: Depreciation</b>	<b>47,18,881</b>	<b>9,02,176</b>
<b>Less: Financial Expenses</b>	<b>75,418</b>	<b>896</b>
<b>Less: Exceptional Items</b>	<b>0</b>	<b>3,02,95,460</b>
<b>Profit (Loss) Before Tax</b>	<b>3,32,72,248</b>	<b>-4,67,40,583</b>
<b>Less: Tax Expense</b>	<b>1,13,98,797</b>	<b>0</b>
<b>Net Profit (Loss) After Tax</b>	<b>2,18,73,451</b>	<b>-4,67,40,583</b>
<b>Transfer to General Reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Profit Carried Forward to the Balance Sheet</b>	<b>2,18,73,451</b>	<b>-4,67,40,583</b>

### 2. Transfer to General Reserves:

The Board has not transferred any amount to the General Reserve.

### 3. Dividend for the Financial Year 2015-16

In lieu of the losses for the current and the previous Financial Years, the Board of Directors do not recommend any Dividend on the Equity Shares of the Company.

### 4. Status of the Company

The Company was incorporated as a State Government Company and a wholly-owned subsidiary of MMRDA, in April 2008. In the previous Financial Year(2014-15), the Company has become a 50:50 Joint Venture between the Government of India and Government of Maharashtra (through MMRDA).

The Government of India has vide their Letter No. 14011/36/2009Metro /MRTS-II (Vol III) dated 18th July 2013, appointed the Company as the Special Project Vehicle (SPV) for the execution of the Metro Line III (Colaba-Bandra-SEEPZ) Project.

भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम होने के कारण, राज्य सरकारी कंपनी से सरकारी कंपनी में बदलाव संघ के ज्ञापन तथा संघ के अनुच्छेदों में दर्शाया गया है।

## 5. कंपनी के शेयर जारी करना

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु १००/- प्रति शेयर के ५० करोड़ इक्विटी शेयरों को केवल शामिल करते हुए रु 50,00,00,00,000(पाँच हजार करोड़) है।

कंपनी ने इसकी ११ जून २०१५ तथा ७ अगस्त २०१५ को आयोजित ३४ वीं तथा ३५ वीं क्रमशः बैठकों का अनुसरण करते हुए भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के मनोनीतों को ७३,15,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं तथा कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ६२(१)(c) के प्रावधानों का अनुपालन भी किया गया है।

## 6. कंपनी का प्रचालन

केंद्र सरकार के पत्र सं १४०११/३६/२००९/Metro/MRTS-II(Vol III) दिनांक १८ जुलाई २०१३ द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार, कंपनी कोलाबा-बांद्रा-सीड्र मेट्रो लाइन ३ परियोजना के लिए विशेष प्रोजेक्ट व्हिकल है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के पास है:

१५० किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क की मुंबई मेट्रो मुख्य योजना मुंबई शहर के लिए तैयार की गई है जिसमें से १२ किलोमीटर एम.एम.आर.डी.ए. बूट प्रक्रिया द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है। वर्तमान में निगम कोलाबा-बांद्रा-सीड्र से मेट्रो लाइन-३ के कार्यान्वयन में है जोकि ३३.५ किलोमीटर है तथा जिसका कार्य २०२० तक पूर्ण करना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने शेष कॉरीडोर का कार्यान्वयन एम.एम.आर.डी.ए.(एक वैकल्पिक संस्थागत प्रबंध) से करवाने का निर्णय लिया है।

## 7. निदेशक मंडल तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

इस रिपोर्ट के अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल के गठन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इस रिपोर्ट की तिथि तक निदेशक मंडल निम्नलिखित है:

निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
श्री अजोय मेहता	00155180	27/04/2015	मनोनीत निदेशक
श्री नितिन नंदकिशो करीर	01624863	05/01/2015	मनोनीत निदेशक
श्रीमती अश्विनी सतीश भिडे	02861008	05/01/2015	प्रबंध निदेशक
श्री उर्वीन्द्र पाल सिंह मदन	03570256	02/03/2013	मनोनीत निदेशक
श्री राजीव गौवा	06413989	01/04/2016	मनोनीत निदेशक
श्री अनूप कुमार हुपता	06572327	12/08/2014	मनोनीत निदेशक
श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा	06774923	11/03/2015	मनोनीत निदेशक
श्रीमती झांजा त्रिपाठी	06859312	12/08/2014	मनोनीत निदेशक
श्री दिनेश कुमार जैन	07239310	27/04/2016	मनोनीत निदेशक
श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा	05990949	12/08/2014	मनोनीत निदेशक
श्री अजयकुमार अमरनाथ भट्ट	07110097	06/02/2015	प्रयोजनमूलक निदेशक
श्री सुबोध कुमार गुसा	07114292	14/01/2015	प्रयोजनमूलक निदेशक

The Memorandum of Association and Articles of Association reflect the change in the status of the Company, from a State Government Company to a Government Company, being a Joint Venture between Government of India and Government of Maharashtra.

## 5. Issue of Shares of the Company

The Authorized Share Capital of the Company stands at Rs. 50,00,00,00,000 (Rupees Five Thousand Crores only) consisting of 50 Crore Equity Shares of Rs. 100/- each.

The Company has made a preferential allotment of 73,15,000 Equity Shares at par to the nominees of the Government of India and Government of Maharashtra as follows in their 34th and 35th Board Meeting held on 11th June 2015 and 7th August, 2015 respectively and due compliance of the provisions of Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 have been undertaken.

## 6. Operations of the Company

Pursuant to the approval of the Central Government vide their Letter No. 14011/36/2009Metro /MRTS-II (Vol III) dated 18th July 2013 the Company is a SPV for the Metro Line III project for the Colaba-Bandra-SEEPZ Line. During the year under review, the Company has:

Mumbai Metro Master Plan prepared for the Mumbai City as about 150 km of Metro network, out of which 12 km has been implemented on BOOT process MMRDA. The Corporation is currently implementing the Metro Line-3 from Colaba-Bandra-SEEPZ which is 33.5 km project execution is expected to be completed by 2020. The State Govt. decided to implement the remaining corridor through MMRDA (an alternative institutional arrangement).

## 7. Board of Directors and Key Managerial Personnel

During the period of this Report, there were significant changes in the composition of the Board of Directors of the Company. The Board of Directors as on the date of this Report are as follows:

Name of the Director	DIN	Date of Appointment	Designation
Mr. Ajoy Mehta	00155180	27/04/2015	Nominee Director
Mr. Nitin Nandkishor Kareer	01624863	05/01/2015	Nominee Director
Ms. Ashwini Satish Bhide	02861008	05/01/2015	Managing Director
Mr. Urvinder Pal Singh Madan	03570256	02/03/2013	Nominee Director
Mr. Rajiv Gauba	06413989	01/04/2016	Nominee Director
Mr. Anoop Kumar Gupta	06572327	12/08/2014	Nominee Director
Mr. Mukund Kumar Sinha	06774923	11/03/2015	Nominee Director
Ms. Jhanja Tripathy	06859312	12/08/2014	Nominee Director
Mr. Dinesh Kumar Jain	07239310	27/04/2016	Nominee Director
Mr. Ajaykumar Amarnath Bhatt	07110097	06/02/2015	Functional Director
Mr. Subodh Kumar Gupta	07114292	14/01/2015	Functional Director

संबन्धित सरकार द्वारा निम्न निदेशकों को नामांकन का अंतरण/वापसी लेने हेतु निदेशक मंडल का हिस्सा बनने से रोक दिया गया है:

१. 27 अप्रैल २०१५ से श्री सीताराम कुंटे
२. ०१ अप्रैल २०१६ से श्री मधुसूदन प्रसाद
३. २२ अप्रैल २०१६ से श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा
४. २७ अप्रैल २०१६ से श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव

निदेशक मंडल ने उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उनकी कार्यालयीन अवधि में दिए गए योगदान एवं निवेश के लिए प्रशंसा की है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १५२ के प्रवाधानों के अनुसार, श्री राजीव गौबा और श्री दिनेश कुमार जैन की नियुक्ति कंपनी की आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है। निदेशक बोर्ड ने उनकी नियुक्ति की सिफ़ारिश की है।

क्योंकि कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४९ (४) के प्रावधान कंपनी पर वर्ष २०१६-१७ से लागू हैं, बोर्ड कंपनी के निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है।

कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण निम्नलिखित है:

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
श्रीमती अश्विनी भिडे	प्रबंध निदेशक	5 जनवरी 2015
श्रीमती ऋतु देव	कंपनी सचिव	15 अप्रैल 2015
श्रीमती इंद्रनील सरकार	मुख्य वित्तीय अधिकारी	12 जनवरी 2015

प्रयोजनमूलक निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए पारश्रमिकका विवरण इस रिपोर्ट के अनुसंलग्नक फॉर्म एम.जी.टी.-९ में दिया गया है।

## 8. बोर्ड बैठकों तथा समिति बैठकों का विवरण

### (क) बोर्ड बैठकों का विवरण

वित्त वर्ष २०१५-१६ के दौरान निदेशक बोर्ड की पाँच बैठकें हुई हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशकों की संख्या
34वीं	11 जून 2015	8
35वीं	7 अगस्त 2015	5
36वीं	18 अगस्त 2015	8
37वीं	30 नवंबर 2015	7
38 वीं	5 मार्च 2016	10



The following ceased to be a part of the Board of Directors on account of transfer/ withdrawal of nomination by the respective Government:

1. Mr. Sitaram Kunte w.e.f. 27th April, 2015
2. Mr. Madhusudan Prasad w.e.f. 1st April, 2016
3. Mr. Shailendra Kumar Sharma w.e.f. 22nd April, 2016
4. Mr. Sudhir Kumar Shrivastava w.e.f. 27th April, 2016

The Board of Directors places on record its appreciation to the above individuals for their contribution and inputs during their tenure with the Board.

Further, in terms of the provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, the appointment of Shri Rajiv Gauba and Shri Dinesh Kumar Jain are required to be approved by the Shareholders in the 8th Annual General Meeting of the Company. The Board of Directors recommend their appointment.

Since the provisions of Section 149 (4) of the Companies Act, 2013 are applicable to the Company from the Financial Year 2016-17, the Board is undertaking all necessary steps to appoint Independent Directors on the Board of Directors of the Company.

There was no change in the Key Managerial Personnel of the Company. The details of the Key Managerial Personnel are as follows:

Name	Designation	Date of Appointment
Ms. Ashwini Bhide	Managing Director	05 <sup>th</sup> January 2015
Ms. Ritu Deb	Company Secretary	15 <sup>th</sup> April 2015
Mr. Indranil Sarkar	Chief Financial Officer	12 <sup>th</sup> January 2015

The details of the remuneration paid to the Functional Director, Managing Director and Key Managerial Personnel are provided in Form MGT-9 which forms an Annexure to this Report.

## 8. Details of the Board Meetings and Committee Meetings

### (a) Board Meetings

The Board of Directors met 5 times during the Financial Year 2015-16, the details of which were as follows:

Number of Board Meeting	Date of the Board Meeting	No. of Directors Present
34 <sup>th</sup>	11 <sup>th</sup> June, 2015	8
35 <sup>th</sup>	7 <sup>th</sup> August, 2015	5
36 <sup>th</sup>	18 <sup>th</sup> August, 2015	8
37 <sup>th</sup>	30 <sup>th</sup> November, 2015	7
38 <sup>th</sup>	5 <sup>th</sup> March, 2016	10

निदेशक का नाम	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या		
	आयोजित	उपस्थिति हेतु योग्य	उपस्थित
श्री अजोय मेहता	5	5	1
श्री नितिन नंदकिशोर करीर	5	5	2
श्रीमती अश्विनी सतीश भिडे	5	5	5
श्री उरविंदर पाल सिंह मदान	5	5	3
श्री राजीव गौबा	5	0	0
श्री अनूप कुमार गुसा	5	5	4
श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा	5	5	5
श्रीमती झांजा त्रिपाठी	5	5	4
श्री दिनेश कुमार जैन	5	0	0
श्री अजयकुमार अमरनाथ भट्ट	5	5	4
श्री सुबोध कुमार गुसा	5	5	4
श्री सीताराम कुंटे	5	0	0
श्री मधुसूदन प्रसाद	5	5	4
श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा	5	5	2
श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव	5	5	0

दो बोर्ड बैठकों के बीच का समय १२० दिनों से ज्यादा नहीं हुआ है तथा प्रत्येक तिमाही में एक बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया है। सभी बोर्ड बैठकों में पर्याप्त सदस्य उपस्थित थे। कंपनी ने बोर्ड बैठकें करने के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्था द्वारा जारी सचिवालय मानक (SS-1)के अंतर्गत आवश्यक अनुपालनों का अनुसरण किया है।

## (ख) लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १७७ के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक बोर्ड ने निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है।

लेखापरीक्षा समिति का गठन निम्नलिखित है:

१. श्री यू.पी.एस. मदान
२. श्रीमती झांजा त्रिपाठी
३. श्रीमती अश्विनी भिडे
४. श्री अजय कुमार भट्ट

लेखापरीक्षा समिति की वर्ष के दौरान दिनांक १८ अगस्त २०१५ तथा ५ मार्च २०१६ को दो बार बैठक हुई थी।

## (ग) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १७८ के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक बोर्ड ने निदेशकों के बोर्ड से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

Name of Directors	No of Board Meetings held during FY 2015-16		
	Held	Eligible to attend	Attended
Mr. Ajoy Mehta	5	5	1
Mr. Nitin Nandkishor Kareer	5	5	2
Ms. Ashwini Satish Bhide	5	5	5
Mr. Urvinder Pal Singh Madan	5	5	3
Mr. Rajiv Gauba	5	0	0
Mr. Anoop Kumar Gupta	5	5	4
Mr. Mukund Kumar Sinha	5	5	5
Ms. Jhanja Tripathy	5	5	4
Mr. Dinesh Kumar Jain	5	0	0
Mr. Ajaykumar Amarnath Bhatt	5	5	4
Mr. Subodh Kumar Gupta	5	5	4
Mr. Sitaram Kunte	5	0	0
Mr. Madhusudan Prasad	5	5	4
Mr. Shailendra Kumar Sharma	5	5	2
Mr. Sudhir Kumar Shrivastava	5	5	0

The time gap between two Board Meetings did not exceed 120 days and one Board Meeting is held in every quarter. Adequate quorum was present for all Board Meetings. The Company follows the necessary compliance under Secretarial Standard-1 ("SS-1") issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) in respect of the conduct of the Board Meetings.

## (b) Audit Committee

In terms of provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013, the Board of Directors have constituted an Audit Committee of the Board of Directors.

The composition of the Audit Committee is as follows:

1. Mr. U.P.S. Madan
2. Ms. Jhanja Tripathy
3. Ms. Ashwini Bhide
4. Mr. Ajay Kumar Bhatt

The Audit Committee met twice during the year on 18th August 2015 and on 5th March 2016.

## (c) Nomination and Remuneration Committee

In terms of the provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013, the Board of Directors have constituted a Nomination and Remuneration Committee of the Board of Directors.

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन निम्न प्रकार है:

१. डॉ. नितिन करीर
२. श्रीमती अश्विनी भिड़े
३. श्रीमती झांजा त्रिपाठी

वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई।

कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति निदेशक बोर्ड द्वारा उनकी दिनांक ०८ सितम्बर २०१६ को आयोजित बैठक में अनुमोदित की गई है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति की प्रति इस रिपोर्ट के अनुसंलनक I के रूप में संलग्न है।

## 9. कंपनी के वित्त वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबन्धित है, की समाप्ती तथा रिपोर्ट की तिथि के बीच घटित हुए भौतिक बदलाव और वायदे, यदि कोई, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव हो

कंपनी के वित्त वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबन्धित है, की समाप्ती तथा रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई भौतिक बदलाव और वायदे घटित नहीं हुए हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव हो।

## 10. भविष्य में कंपनी के प्रचालन तथा भविष्य में कंपनी के चालू रहने के स्थिति पर प्रभाव डालने वाले विनियामक या न्याय या अधिकरण द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण

- राष्ट्रिय हरित अभिकरण : सम्पूर्ण आरेय कॉलोनी के साथ उक्त कार डिपो जमीन संजय गांधी राष्ट्रिय पार्क के संस्पर्श के कारण पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित करने के संबंध में राष्ट्रिय हरित अभिकरण में भारत सरकार के विरुद्ध वनशक्ति एवं अन्य का मामला निपटान हेतु शेष है। राष्ट्रिय हरित अभिकरण के दिनांक १३/०१/२०१६ के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि आदेश के अनुसार कोई निषेधात्मक राहत मंजूर नहीं कि गई थी तथा इसलिए राष्ट्रिय हरित अभिकरण के दिनांक २३/०९/२०१६ के आदेश के द्वारा आरेय कोलोन्त पर कार डिपो निर्माण कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। अगली सुनवाई दिनांक २३/०९/२०१६ को होगी।

- पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र : पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक २२/०१/२०१६ की अधिसूचना के द्वारा एस.जी.एन.पी. की सीमा से ४ किलोमीटर तक का क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। सम्पूर्ण आरेय कॉलोनी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में शामिल की गई है। यद्यपि मेट्रो कार डिपो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में निषेधात्मक कार्य नहीं है तथा आरेय कॉलोनी पर मेट्रो लाइन ३ डिपो का निर्माण करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा वर्ष २०११ में लिया गया है, ६२ हेक्टर जमीन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से हटाने के लिए केंद्र सरकार को दिनांक ९/०२/२०१६ के पत्र द्वारा आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। दिनांक ०५/०७/२०१६ को आयोजित बैठक में विशेषज्ञों की समिति ने आरेय कॉलोनी पर मेट्रो कार डिपो के निर्माण हेतु इस क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से हटाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में अंतिम अधिसूचना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्री के अनुमोदन के पश्चात जारी किया जाएगा।

## 11. निक्षेप/जमा:

समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी ने कोई निक्षेप/जमा स्वीकार नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कोई राशि बकाया नहीं है जो कंपनी (जमास्वीकृति) नियमावली, २०१४ की सीमा में आती है।



The composition of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

1. Dr. Nitin Kareer
2. Ms. Ashwini Bhide
3. Ms. Jhanja Tripathy

Nomination and Remuneration Committee meeting was not held during the year.

The Nomination and Remuneration Policy of the Company has been approved by the Board of Directors in their meeting held on 8th September, 2016.

A copy of the Nomination and Remuneration Policy is attached as Annexure I to this Report.

## **9. Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate and the date of the report**

There are no material changes and commitments, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate and the date of the report

## **10. Details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future**

- National Green Tribunal: There is case pending in National Green Tribunal (NGT) in the case of Vanshakti and Others Vs Union of India for declaring the said car depot land along with entire Aarey colony to be declared as Eco Sensitive Zone, due to its contiguity with Sanjay Gandhi National Park. In view of orders of NGT dt. 13/01/2016 wherein it was clarified that there is no prohibitory relief granted by way of ad interim order and therefore locating car depot at Aarey colony is not affected by NGT's order dt. 20/07/2015. Next hearing is scheduled on 23/09/2016.
- Eco Sensitive Zone: The Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification dt. 22/01/2016 has notified an area to an extent of up to 4 kilometers from the boundary of SGNP as the ESZ. The entire Aarey colony area is included in ESZ. Although metro car depot is not a prohibited activity in ESZ and since the decision to set up Metro line 3 depot at Aarey colony has been taken by the State Government in year 2011 itself, the objection / suggestion has been filed to Central Government vide letter dt. 29/02/2016 to exclude the said 62 Ha land from the proposed ESZ. The experts' committee in its meeting held on 05/07/2016 has accepted the suggestions of Govt of Maharashtra to exclude area for Metro Car depot at Aarey colony from proposed ESZ. Final notification in this regard will be issued on approval by Minister for Environmental & Forest, Govt of India.

## **11. Deposits:**

The Company has not taken, accepted any Deposits during the year under review. Further, there are no amounts outstanding which fall within the purview of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.

## 12. सांविधिक लेखापरीक्षक:

सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३९ (५) के अनुसार, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के कार्यालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्त वर्ष २०१५-१६ के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मै.आर.एस.वी.ए. एंड कं (फर्म पंजीकरण सं ११०५०४ डब्ल्यू) को नियुक्त किया है।

## 13. सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ:

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई टिप्पणियाँ, अभिमत या अभ्युक्तियाँ नहीं हैं जिस पर कंपनी के निदेशक मंडल से जवाब अपेक्षित हो। सभी टिप्पणियाँ, अभिमत या अभ्युक्तियाँ, यदि कोई, स्वयं व्याख्यात्मक प्रकृति के हैं।

## 14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट:

वित्त वर्ष २०१५-१६ के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा तथा लेखापरीक्षा शेष है। इसलिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट का इंतजार है।

## 15. सचिवालय लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक बोर्ड ने मै. डी.ए.कामत एंड कं, कंपनी सचिव, मुंबई को कंपनी के सचिवालय लेखापरीक्षक के लिए नियुक्त किया है। सचिवालय लेखापरीक्षा फॉर्म की प्रति अनुसंलग्नक II के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

## 16. सचिवालय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणियों का उत्तर:

सचिवालय लेखापरीक्षाओं की टिप्पणियाँ/प्रेक्षण स्वयं में सपष्टीकरण देने वाली होने के कारण, निदेशक बोर्ड से टिप्पणियाँ/उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

## 17. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेहन तथा विदेशी मुद्रा आयव्यय:

क) ऊर्जा संरक्षण:	
(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभाव:	i. मेट्रो प्रणाली में एल.ई.डी. आधारित मुख्य प्रकाश व्यवस्था ii. एल. ई. डी. आधारित साइनेजीज प्रदान करना
(ii) ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत प्रयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	i. प्राकृतिक रोशनी का रास्ता बनाना ii. डिपो इत्यादि में सौर ऊर्जा का कार्यान्वयन

## 12. Statutory Auditors:

By virtue of being a Government Company, pursuant to the provisions of Section 139(5) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of the Company are appointed by the Office of the Comptroller & Auditor General, India (CAG).

The CAG has appointed M/s RSVA&Co., Chartered Accountants (Firm Regn No:110504W) as the Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2015-16.

## 13. Comments on the Report of the Statutory Auditors:

There are no comments, observations or remarks in the Statutory Auditors' Report requiring a reply from the Board of Directors of the Company. All comments, observations and remarks, if any are self-explanatory in nature.

## 14. Report of the Comptroller & Auditor General, India (CAG):

The review and Audit by Comptroller & Auditor General, India for the Financial Year 2015-16 is pending and accordingly, the Audit Report is awaited.

## 15. Secretarial Auditors:

The Board of Directors have appointed M/s D. A. Kamat & Co, Company Secretaries, Mumbai as the Secretarial Auditors for the Company, in terms of the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013. A copy of their Secretarial Audit forms a part of this Report as Annexure II.

## 16. Reply to Comments on the Report of the Secretarial Auditors:

The comments/ observations made by the Secretarial Auditors being self-explanatory in nature, do not require further comments/ replies from the Board of Directors.

## 17. Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo:

During the Financial Year 2015-16, the details of the conservation of energy, technology absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo are as follows:

<b>A) Conservation of energy:</b>	
(i) the steps taken or impact on conservation of energy;	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. LED as base lighting in metro systems.</li> <li>ii. Providing LED base signage</li> </ul>
(ii) the steps taken by the company for utilising alternate sources of energy;	<ul style="list-style-type: none"> <li>i- Channeling natural light.</li> <li>ii- Implementing Solar energy in depot etc.</li> </ul>

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	<p>i. स्टेशनों पर सुव्यवस्थित प्रकाश प्रणाली जैसे सार्वजनिक स्थान आधारभूत लाइटिंग, प्राकृतिक प्रकाश, मिला-जुला प्रकाश, अव्यस्त समय के दौरान कम प्रकाश का प्रयोग।</p> <p>ii. ऊर्जा नियंत्रण हेतु यात्री सघनता का वीडियो अनुवीक्षण।</p> <p>iii. यात्रियों की संख्या के आधार पर नियंत्रित वातानुकूलन.</p> <p>iv. अधिकक्षमता वाले चिल्लर प्लांट का प्रयोग।</p>
--	--

<b>ख) तकनीकी आमेहन:</b>	
(i) तकनीकी आमेहन के लिए उठाए गए कदम	<p>i. निविदा मूल्यांकन के समय नई पैदा हुई ब्रेकिंग संपर्क</p> <p>ii. यान में एल.ई.डी. स्मार्ट लाइट तथा स्मार्ट वातानुकूलर</p> <p>iii. कम भार वाली बोगियाँ।</p>
(ii) उत्पादमें सुधार, लागतमें कटौती, उत्पादक विकास या आयात प्रतिस्थापन आदि से प्राप्त लाभ	<p>i. स्थायी चुंबक मोटर।</p> <p>ii. यानों में एच.वी.ए.सी. में दबाव को बदलने वाला</p>
(iii) आयात की गई तकनीक के संबंध में (वित्त वर्ष के प्रारम्भ से गिनी गई पिछले तीन वर्षों में आयात की गई)	
(क) आयात की गई तकनीक का विवरण:	
(ख) आयात वर्ष:	
(ग) क्या तकनीक पूरी तरहसे अपना ली गई है:	
(घ) यदि पूरी तरहसे अपनाई नहीं गई है तो, क्षेत्र जहां अवमेहन नहीं किया गया है तथा इसके अवमेहन न करने का कारण; तथा	
(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय	
(ग) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय	
वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह के कारण विदेशी मुद्रा आय तथा वर्ष के दौरान वास्तविक निःस्त्राव के कारण विदेशी मुद्रा व्यय	निरंक

(iii) the capital investment on energy conservation equipments;	<ul style="list-style-type: none"> <li>i- Smart lighting system at stations i.e. public occupation base lighting, natural lighting mix lighting, use of dimmer during nonpeak periods.</li> <li>ii- Video monitoring of passenger density for lighting control.</li> <li>iii- Controlled air conditioning based on public occupation.</li> <li>iv- Use of high efficiency chiller plant.</li> </ul>
<b>(B) Technology absorption:</b>	
(i) The efforts made towards technology absorption;	<ul style="list-style-type: none"> <li>i- Linking Regenerative braking during tender evaluation.</li> <li>ii- LED base smartlighting &amp; smart AC in coaches.</li> <li>iii- Light weight bogies.</li> </ul>
(ii) The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution;	<ul style="list-style-type: none"> <li>i- Permanent magnet motors.</li> <li>ii- Heat exchanger in HVAC in coaches.</li> </ul>
(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)-	
(a) The details of technology imported;	
(b) The year of import;	
(c) Whether the technology been fully absorbed;	
(d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and	
(iv)The expenditure incurred on Research and Development.	
<b>(C) Foreign exchange earnings and Outgo:</b>	
The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year and the Foreign Exchange outgo during the year in terms of actual outflows.	NIL

**18. Particulars of Loans, Investments and Guarantee in terms of Section 134(3) (g) of the Companies Act 2013**

During the year under review, the Company has not given any loans, made any investments or given guarantees on any loans, which fall within the purview of the provisions of Section 134(3)(g) of the Companies Act, 2013 and hence, there are no disclosures required to be made thereof.



## 18. कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३४ (३) (g) के अंतर्गत लोन, निवेश और गारंटी का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई लोन नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है या नहीं किसी लोन के लिए किसी प्रकार की गारंटी दी है जो कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३४(३)के प्रावधानों के कार्य क्षेत्र में आते हों। अतः कोई प्रकटीकरण देना अपेक्षित नहीं है।

## 19. संबन्धित पार्टियों के ठेकों या विन्यासों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2015-16 के लिए संबन्धित पार्टियों के ठेकों या विन्यासों का विवरण निर्धारित प्रारूप ए.ओ.सी-2 में इस रिपोर्ट के साथ 'अनुसंलग्नक III' के रूप में संलग्न है।

## 20. वार्षिक रिटर्नका उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित, वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक रिटर्न का उद्धरण फॉर्म एम.जी.टी.-9 में, इस रिपोर्ट के साथ 'अनुसंलग्नक IV' के रूप में संलग्न है।

## 21. कर्मचारी

- (i) रु 8,50,000 प्रति माह या रु 1,02,00,000 प्रति वर्ष से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कोई कर्मचारी नहीं है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रयोजनमूलक निदेशकों को दत्त पारिश्रमिक का विवरण लेखापरीक्षित लेखों में दिया गया है।
- (ii) इसके अलावा, निदेशक मंडलने बताया है कि समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान "कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोक, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2011" के अंतर्गत कंपनी को कोई शिकायत नहीं मिली है।

## 22. जोखिम प्रबंधन नीति:

कंपनी के व्यवसाय के अनुरूप कंपनी कि जोखिम प्रबंधन नीति है। निदेशक बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति नियमित रूप से, जहां तक संभव हो, इसकी समीक्षा तथा अनुवीक्षण करते हैं।

## 19. Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties

The particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in Section 188(1) of the Companies Act 2013 for the Financial Year 2015-16 in the prescribed format, AOC-2 has been enclosed to this Report as “Annexure III”.

## 20. Extract of the Annual Return

The extract of the Annual Return for the Financial Year 2015-16, in Form MGT-9 as required under the provisions of the Companies Act, 2013, is attached as “Annexure IV” to this Report.

## 21. Employees

- (i) There are no employees drawing remuneration in excess of Rs. 8,50,000 per month or Rs. 1,02,00,000 per annum. The details of the remuneration paid to the Functional Directors are as stated in the Audited Accounts for the Financial Year 2015-16.
- (ii) Further, the Board of Directors hereby state that the Company has not received any complaints under “The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2011” during the Financial Year under review.

## 22. Risk Management Policy:

The Company has a Risk Management Policy in line with the nature of the business of the Company. The Board of Directors / Audit Committee undertakes regular review and monitoring of the same, as deemed fit.

In the opinion of the Board, there are no visible risks that threaten the Company's existence.

## 23. Internal Financial Controls:

The Board of Directors inter alia review the internal policies and procedures of the Company in respect to the Financial Statements to ensure that there is an orderly and efficient detection of frauds and errors, if any. Further, internal policies and procedures are in place to determine the accuracy and completeness of the accounting records and there is a system in place for preparation of reliable financial information.

## 24. Directors Responsibility Statement

The Directors hereby state that:

- (a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

बोर्ड की राय में, कोई जोखिम नहीं पाया गया है जिससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई खतरा हो।

## 23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

वित्तीय विवरण के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि कोई धोखा या कमी पाई जाती है, को दूर करने की व्यवस्थित तथा कुशल पद्धति है, निदेशक बोर्ड समय-समय पर कंपनी की आंतरिक नीतियों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है। इसके अलावा, लेखांकन रेकॉर्ड की यथार्थता तथा पूर्णता निश्चित करने के लिए आंतरिक नीतियां तथा प्रक्रियाएं सही हैं तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने हेतु उचित प्रणाली है।

## 24. निदेशक दायित्व विवरण

निदेशकों ने यह कथित किया है कि:

- (क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, माल प्रस्थान के लिए संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ उचित लेखांकन मानकों का प्रयोग किया गया है।
- (ख) वित्त वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी की लाभ एवं हानिका सत्य एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन एवं लगातार प्रयोग किया है तथा ऐसे फैसले व अनुमान लगाए हैं जो तर्क पूर्ण तथा दूरदर्शी हैं।
- (ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी का पता लगाना तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।
- (घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखा कंपनी के लंबी अवधि तक चलते रहने के आधार पर तैयार किए हैं।
- (ङ) निदेशकों ने सभी कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा इस प्रणाली के पर्याप्त तथा प्रभाव पूर्ण संचालन हेतु उचित व्यवस्था की है।

## 25. अभिस्वीकृतियाँ

निदेशक मंडल ने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार तथा विनियामक प्राधिकरण को उनके समर्थन हेतु इसकी कृतज्ञता जताई है। मंडल ने इसके साहूकारों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों को उनके समर्थन और सहयोग हेतु भी इसकी कृतज्ञता दिखाई है।

निदेशक मंडल के लिए तथा के स्थान पर  
मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित

स्थान: मुंबई  
तिथि: 08 सितम्बर 2016

हस्ता/-  
अध्यक्ष

- (c) The directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) The directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

## 25. Acknowledgments

The Board of Directors place on record its gratitude to the Government of India, Government of Maharashtra and regulatory authorities for their support. The Board also places on record its sincere gratitude to its bankers, employees and officers for their support and co-operation.

**For, and on behalf of the Board of Directors  
Mumbai Metro Rail Corporation Limited**

**Place: Mumbai  
Date: 08. 09.2016S**

**Sd/-  
Chairman**

## निदेशक रिपोर्ट का अनुसंग्रक

फॉर्म संख्या ए.ओ.सी.-2

(अधिनियम की धारा (134) की उपधारा (3) केखंड (ज) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम (82) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के संदर्भ में तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत निश्चित सम स्तरीय कार्य सम्पादन कंपनी द्वारा संबन्धित पार्टि यों के साथ करार किए गए ठेकों/व्यवस्थापन के विवरण के प्रकटीकरण हेतु फॉर्म

### 1. विषम स्तरीय आधार पर ठेका या व्यवस्थापन या कार्य सम्पादन का विवरण :

- क) संबन्धित पार्टी का नाम या संबंधी की प्रकृति : निरंक
- ख) ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन की प्रकृति : निरंक
- ग) ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन की अवधि : निरंक
- घ) कीमत को समावेशित करते हुए ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन की मुख्य शर्तें : निरंक
- ङ) इस प्रकार के ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन में प्रवेश करने हेतु स्पष्टीकरण : निरंक
- च) बोर्ड के अनुमोदन की तिथि(तिथियाँ) : निरंक
- छ) धारा 188 के प्रथम प्रावधान के अंतर्गत सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव के पारित करने की तिथि: निरंक

### 2. सम स्तरीय आधार पर ठेका या व्यवस्थापन या कार्य सम्पादन का विवरण :

- क) संबन्धित पार्टी का नाम या संबंधी की प्रकृति : निरंक
- ख) ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन की प्रकृति : निरंक
- ग) ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन की अवधि : निरंक
- घ) कीमत को समावेशित करते हुए ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन की मुख्य शर्तें : निरंक
- ङ) इस प्रकार के ठेका/व्यवस्थापन/कार्य सम्पादन में प्रवेश करने हेतु स्पष्टीकरण : निरंक
- च) बोर्ड के अनुमोदन की तिथि(तिथियाँ) : निरंक

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

कृते बोर्ड निदेशक मंडल

स्थान: मुंबई

हस्ता- /

तिथि: 08 सितम्बर 2016

अध्यक्ष



## Annexure III to the Directors Report

### Form No. AOC-2

*(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)*

**Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto**

**1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis:**

- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship: NIL
- (b) Nature of contracts/arrangements/transactions: NIL
- (c) Duration of the contracts / arrangements/transactions: NIL
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any: NIL
- (e) Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions: NIL
- (f) Date(s) of approval by the Board: NIL
- (g) Amount paid as advances, if any: NIL
- (h) Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first provision to section 188: NIL

**2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:**

- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship: NIL
- (b) Nature of contracts/arrangements/transactions: NIL
- (c) Duration of the contracts / arrangements/transactions: NIL
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any: NIL
- (e) Date(s) of approval by the Board, if any: NIL
- (f) Amount paid as advances, if any: NIL

**For, and on behalf of the Board of Directors  
Mumbai Metro Rail Corporation Limited**

**Place: Mumbai  
Date: 8<sup>th</sup> September 2016**

**Sd/-  
Chairman**

फॉर्म संख्या एम.जी.टी. 9
वार्षिक रिटर्न का उद्घरण
31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष तक
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 82(3) तथा कंपनी(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

## I पंजीकरण तथा अन्य विवरण:

i	निगम पहचान संख्या	U60100MH20085GC181770
ii	पंजीकरणकी तिथि	30.04.2008
iii	कंपनी का नाम	मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित
iv	कंपनी का वर्ग/उप वर्ग	कंपनी शेयर द्वारा मर्यादित
v	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क विवरण	एम.एम.आर.डी.ए. बिल्डिंग, प्लॉट नं सी-14-15, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा(पूर्व), मुंबई-400051
vi	क्या कंपनी अधिसूचित है	लागू नहीं
vii	रजिस्ट्रार व ट्रांसफर दलाल, यदि कोई, का नाम, पता व संपर्क विवरण	लागू नहीं

## II कंपनी की मुख्य व्यवसाय क्रियाकलाप

कंपनी की कुल बिक्री का 10% या इससे अधिक योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों का वर्णन किया जाना चाहिए

क्रम सं	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एन.आई.सी. कोड	कंपनी का कुल बिक्री का प्रतिशत
1			
2			

## III धारित, सहायक एवं सहयोगी कंपनी का ब्यौरा

क्रम सं	कंपनी का नाम व पता	सी.आई.एन /जी.एल.एन	धारित/सहायक/सह योगी	धारित शेयरों की प्रतिशतता	लागू धारा
1	लागू नहीं				
2					

<b>FORM NO. MGT 9</b>
<b>EXTRACT OF ANNUAL RETURN</b>
<b>as on financial year ended on 31.03.2016</b>
<b>Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the C (Management &amp; Administration ) Rules, 2014.</b>

**I REGISTRATION & OTHER DETAILS:**

i	CIN	U60100MH2008SGC181770
ii	Registration Date	30.04.2008
iii	Name of the Company	MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED
iv	Category/Sub-category of the Company	COMPANY LIMITED BY SHARES
v	Address of the Registered office & contact details	MMRDA BUILDING, PLOT NO C- 14 - 15,BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (EAST), MUMBAI-400051
vi	Whether listed company	N.A
vii	Name , Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	N.A

**II PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY**

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated

SL No	Name & Description of main products/services	NIC Code of the Product /service	% to total turnover of the company
1	To carry on the business to set up, manage, operate and maintain a rail based mass rapid transport system in Mumbai to provide the General Public with fast reliable, convenient, efficient, modern and economical mode of public transport.	60212	

**III PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES**

SI No	Name & Address of the Company	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
1	N.A				
2					
3					

IV शेयरधारण प्रतिरूप (कुल इक्विटी की इक्विटी शेयर पूंजी का की प्रतिशता के अनुसार अलग-अलग ब्यौरा)									
शेयरधारकों का वर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
<b>क. प्रवर्तक</b>									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्ति/हिन्दू अविभाजित परिवार		5,000	5,000	100%	73,20,000	73,20,000	100%	99.93%	
(ख) केंद्र सरकार या राज्य सरकार									
(ग) निकाय निगम									
(घ) बैंक/विदेशी निवेशक									
(ङ) कोई अन्य									
<b>उप कुल: (क)(1)</b>		5,000	5,000	100%	73,20,000	73,20,000	100%	99.93%	
(2) विदेशी									
(क) अनिवासी भारतीय-व्यक्ति									
(ख) अन्य व्यक्ति									
(ग) निकाय निगम									
(घ) बैंक/विदेशी निवेशक									
(ङ) कोई अन्य									
<b>उप कुल: (क)(2)</b>									
<b>प्रवर्तकों का कुल हिस्सा</b>									
<b>(क) = (क)(1) + (क)(2)</b>		5,000	5,000	100%	73,20,000	73,20,000	100%	99.93%	
<b>ख. सार्वजनिक हिस्सा</b>									
(1) संस्थान									
(क) म्यूचुअल फंड									
(ख) बैंक/विदेशी निवेशक									
(ग) केंद्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार									
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड									
(च) बीमा कंपनियाँ									
(छ) विदेशी संस्थागत निवेशक									
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
(झ) अन्य (स्पष्ट करें)									
<b>उप कुल (ख)(1):</b>		5,000	5,000	100%	73,20,000	73,20,000	100%	99.93%	

IV SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share capital Break up as % to total Equity)									
Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
<b>A. Promoters</b>									
(1) Indian									
a) Individual/HUF									
b) Central Govt.or State Govt.		5,000	5,000	100%		73,20,000	73,20,000	100%	99.93%
c) Bodies Corporates									
d) Bank/FI									
e) Any other									
<b>SUB TOTAL:(A) (1)</b>		5,000	5,000	100%		73,20,000	73,20,000	100%	99.93%
<b>(2) Foreign</b>									
a) NRI- Individuals									
b) Other Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Banks/FI									
e) Any other...									
<b>SUB TOTAL (A) (2)</b>									
<b>Total Shareholding of Promoter</b>									
<b>(A)= (A)(1)+(A)(2)</b>		5,000	5,000	100%		73,20,000	73,20,000	100%	99.93%
<b>B. PUBLIC SHAREHOLDING</b>									
<b>(1) Institutions</b>									
a) Mutual Funds									
b) Banks/FI									
c) Cenntral govt									
d) State Govt.									
e) Venture Capital Fund									
f) Insurance Companies									
g) FIIS									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
<b>SUB TOTAL (B)(1):</b>		5,000	5,000	100%		73,20,000	73,20,000	100%	99.93%



IV शेयरधारण प्रतिरूप (कुल इक्विटी की इक्विटी शेयर पूंजी का की प्रतिशता के अनुसार अलग-अलग ब्यौरा)									
शेयरधारकों का वर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(2) गैर संस्थापक									
क) निकाय निगम									
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
ख) व्यक्ति									
i) रु १ लाख तक नाममात्र शेयर पूंजी धरण करने वाले व्यक्ति शेयरधारक									
ii) रु १ लाख से अधिक नाममात्र शेयर पूंजी धरण करने वाले व्यक्ति शेयरधारक									
ग) अन्य (स्पष्ट करें)									
<b>उप कुल (ख)(२):</b>									
क) जी.डी.आर.&ए.डी.आर. के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर									
<b>कुल (क+ख+ग)</b>		5000	5000	100%	7320000	7320000	100%	99.93%	

IV SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share capital Break up as % to total Equity)									
Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
<b>(2) Non Institutions</b>									
a) Bodies corporates									
i) Indian									
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs.1 lakhs									
ii) Individuals shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakhs									
c) Others (specify)									
<b>SUB TOTAL (B)(2):</b>									
<b>Total Public Shareholding (B)= (B)(1)+(B)(2)</b>									
<b>C. Shares held by Custodian for GDRs &amp; ADRs</b>									
<b>Grand Total (A+B+C)</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>		<b>73,20,000</b>	<b>73,20,000</b>	<b>100%</b>	<b>99.93%</b>

## ii) प्रवर्तकों की हिस्सेदारी

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी			वर्ष के अंत में हिस्सेदारी			वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में प्रतिशत बदलाव
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की प्रतिशतता	वचन बद्ध शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों के वचनबद्ध भारगस्त शेयरों की प्रतिशतता	
1	मुंबई महानगर शहरी विकास प्राधिकरण	*5000	100%	0	0	0.00%	0	
2	श्री मधुसूदन प्रसाद के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	0	0	0	***36,60,000	50%	0	
3	महाराष्ट्र के राज्यपाल	0	0	0	**36,60,000	50%	0	
	कुल	5000	100%		73,20,000	100 %	0	

\* श्री पी आर के मुरथी, श्री कांडला विजयलक्ष्मी, श्री सुनील लक्ष्मण पिंपालखुटे, श्री यू पी एस मदान, श्रीमती अश्विनी भिडे, श्री वेणुगोपाल रेड्डी प्रत्येक के मुंबई महानगर शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से कंपनी में 10 शेयर हैं।

\*\* श्री यू पी एस मदान ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से कंपनी के 36,59,997 शेयर लिए हुए हैं तथा डॉ नितिन नंदकिशोर करीर, श्रीमती अश्विनी भिडे तथा श्री अजयकुमार ए. भट्ट प्रत्येक के पास महाराष्ट्र राज्यपाल की ओर से कंपनी का 1 शेयर है।

\*\*\* श्री मधुसूदन प्रसाद, श्री अंबुज बाजपई, श्री दीन दयालश्रीमतीरचाना कुमार के पास भारत के राष्ट्रपति की ओर से कंपनी के शेयर हैं।





(iii) प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में बदलाव (यदि कोई बदलाव नहीं है तो स्पष्ट करें)

क्रम सं.		वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
1	मुंबई महानगर शहरी विकास प्राधिकरण				
	वर्ष के प्रारम्भमें	*5000	100%	5000	100%
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी (आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि) का कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में तिथि नुसार वृद्धि/कमी	शेयरों के अंतरण के आधार पर, 18 अगस्त 2015 तक शेयरधारिता 5000 शेयरों से कम हो गई है।	-100%	शेयरों के अंतरण के आधार पर, 18 अगस्त 2015 तक शेयरधारिता 5000 शेयरों से कम हो गई है।	-100%
	वर्ष के अंतमें	0	0.00%	0	0.00%

मुंबई महानगर शहरी विकास प्राधिकरण के पास ४९४० शेयर हैं। इसके अलावा श्री पी आर के मुरथी, श्री कांडला विजयलक्ष्मी, श्री सुनील लक्ष्मण पिंपालखुटे, श्री यू पी एस मदान, श्रीमती अश्विनी भिड़े, श्री वेणुगोपाल रेड्डी प्रत्येक के मुंबई महानगर शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से कंपनी में 10 शेयर हैं।

iv) मुख्य 10 शेयर धारकों (निदेशक, प्रवर्तक और जी.डी.आर. वए.डी.आर. धारकों के अलावा) का हिस्सेदारी प्रतिरूप

क्रम सं.		वर्ष के प्रारम्भ में हिस्से दारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
	मुख्य 10 शेयरधारकोंमें से प्रत्येक के लिए				
	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0.00%	0	0.00%
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी (आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेटइक्विटीइत्यादि)का कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में तिथि नुसार वृद्धि/कमी				
	वर्ष के अंतमें (या पृथक्कता की तिथि के समय, यदि वर्ष के दौरान पृथक होंतो)	0	0.00%	0	0.00%



(iii) CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING ( SPECIFY IF THERE IS NO CHANGE)

Sl. No.		Share holding at the beginning of the Year		Cumulative Share holding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
1	Mumbai Metropolitan Regional Development Authority				
	At the beginning of the year	* 5000	100.00%	5000	100.00%
	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc)	By virtue of transfers as on 18th August, 2015 shareholdings have decreased by 5000 shares	-100%	By virtue of transfers as on 18th August, 2015 shareholdings have decreased by 5000 shares	-100%
	At the end of the year	0	0.00%	0	0.00%

MMRDA has been holding 4940. Further Mr. P R K Murthy, Mr. Kandala Vijayalakshmi, Mr. Sunil Laxman Pimpalkhute, Mr. U P S Madan, Mrs. Ashwini Bhide, Mr. Venugopal Reddy are holding 10 shares each in the company on behalf of Mumbai Metropolitan Regional Development Authority

(iv) Shareholding Pattern of top Shareholders (other than Directors, Promoters & Holders of GDRs & ADRs)

Sl. No		Shareholding at the end of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No.of shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Top 10 Shareholders				
	At the beginning of the year	0	0.00%	0	0.00%
	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc)				
	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	0	0%	0	0%

(v) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की हिस्सेदारी

क्रम सं		वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
	निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक के लिए				
	वर्ष के प्रारम्भ में	*20		20	
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी (आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि) का कारण स्पष्टकरते हुए प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में तिथि नुसार वृद्धि/कमी				
	वर्ष के अंतमें	**3	0.00%	3	0.00%

\* वर्ष के प्रारम्भ में, मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के लिए श्री यू पी एस मदान तथा श्रीमती अश्विनी भिडे प्रत्येक के पास 10 शेयर थे।

\*\* वर्ष के अंत में, श्री नितिन करीर, श्री यू पी एस मदान तथा श्रीमती अश्विनी भिडे प्रत्येक के पास 1 शेयर है।

(v) Shareholding of Directors & KMP

Sl. No	For Each of the Directors & KMP	Shareholding at the end of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No.of shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	*20		20	
	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc)				
	At the end of the year	**3	0.00%	3	0.00%

\* At the beginning the Mr. UPS Madan and Mrs. Ashwini Bhide were holding 10 shares each on behalf MMRDA

\*\* At the end of the year Mr. Nitin Kareer, Mr. UPS Madan and Mrs. Ashwini Bhide are holding 1 share each



क्रम सं.		वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
2	श्री मधुसूदन प्रसाद के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति				
	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0.00%	0	0.00%
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी (आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)का कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में तिथिनुसार वृद्धि/कमी	*3660000	50%	*3660000	50%
	वर्ष के अंत में	3660000	50%	3660000	50%

क्रम सं.		वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता
3	महाराष्ट्र राज्यपाल				
	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0.00%	0	0.00%
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी (आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)का कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में तिथिनुसार वृद्धि/कमी	*3660000	50%	*3660000	50%
	वर्ष के अंत में	3660000	50%	3660000	50%

\* अधिमान्य रूप में जारी 3060000 तथा 595000 शेयर तथा मुंबई महानगर शहरी विकास प्राधिकरण से अंतरण द्वारा प्राप्त 5000 शेयर। इसके अलावा, श्री अंबुज बाजपई, श्री दीन दयाल श्रीमतीरचाना कुमार, डॉ नितिन नंदकिशोर करीर, श्रीमती अश्विनी मिडे तथा श्री अजयकुमार ए. भट्ट के पास महाराष्ट्र राज्यपाल की ओर से कंपनी का 1 शेयर है।

Sl. No.		Share holding at the beginning		Cumulative Share holding during	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
<b>2</b>	<b>President of India through Mr. Madhusudan Prasad</b>				
	At the beginning of the year	0	0.00%	0	0.00%
	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc)	*36,60,000	50%	36,60,000	50%
	At the end of the year	36,60,000	50%	36,60,000	50%

Sl. No.		Share holding at the beginning		Cumulative Share holding during	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
<b>3</b>	<b>Governor of Maharashtra</b>				
	At the beginning of the year	0	0.00%	0	0.00%
	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc)	*36,60,000	50%	36,60,000	50%
	At the end of the year	36,60,000	50%	36,60,000	50%

\* 3060000 shares and 595000 shares issued by way preferential issue, and 5000 shares received by way of transfer from MMRDA. Further Mr. Ambuj Bajpai, Mr. Deen Dayal, Mrs Rachna Kumar, Dr. Nitin Nandkishor Kareer, Ms. Ashwini Bhide and Mr. Ajaykumar A. Bhatt are holding 1 shares each in the company on behalf of Governor of Maharashtra



## V ऋणग्रस्तता

भुगतान हेतु अदेय बकाया/प्रोद्भूत ब्याज को सम्मिलित करते हुए कंपनी की ऋणग्रस्तता				
	सुरक्षित लोन जमा को शामिल करते हुए	असुरक्षित लोन	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन				
ii) देय किन्तु अदत्त ब्याज				
iii) अदेय प्रोद्भूत ब्याज				
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
बढोतरी				
कमी				
शुद्ध बदलाव				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में बदलाव				
i) मूलधन				
ii) देय किन्तु अदत्त ब्याज				
iii) अदेय प्रोद्भूत ब्याज				
कुल (i+ii+iii)				

## V INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment					
	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness	
<b>Indebtedness at the beginning of the financial year</b>					
i) Principal Amount					
ii) Interest due but not paid					
iii) Interest accrued but not due					
<b>Total (i+ii+iii)</b>					
<b>Change in Indebtedness during the financial year</b>					
Additions					
Reduction					
<b>Net Change</b>					
<b>Indebtedness at the end of the financial year</b>					
i) Principal Amount					
ii) Interest due but not paid					
iii) Interest accrued but not due					
<b>Total (i+ii+iii)</b>					

VI निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या निदेशक:

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक / निदेशक का नाम			कुल राशि	
		श्रीमती अधिनीमिडे	श्रीसुबोधकुमार गुसा	श्रीअजयकुमार मट्ट		
1	सकल वेतन					
	क) आयकर, 1961 की धारा 17(1) में दर्शाये पावधानों के अनुसार वेतन	17,20,648	24,42,082	24,34,162	65,96,892	
	ख) आयकर, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों की कीमत					
	ग) आयकर, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ					
2	स्टॉक विकल्प					
3	स्वेट इक्विटी					
4	कमीशन					
	लाभ का प्रतिशत					
	अन्य (स्पष्ट करें)					
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें					
	कुल (क)	17,20,648	24,42,082	24,34,162	65,96,892	
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा					

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्रम सं.	पारिश्रमिक का ब्यौरा	निदेशकों का नाम			कुल राशि	
1	स्वतंत्र निदेशक					
	(क) बोर्ड समिति बैठकों में उपस्थित रहने के लिए फीस					
	(ख) कमीशन					
	(ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें					
2	अन्य अकार्यकारी निदेशक					
	(क) बोर्ड समिति बैठकों में उपस्थित रहने के लिए फीस					
	(ख) कमीशन					
	(ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें					
	कुल (2)					
	कुल (ख) = (1)+(2)					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम					



## VI REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

### A. Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:

Sl.No	Particulars of Remuneration	Name of the MD/WTD/Manager			Total Amount	
		Ms. Ashwini Bhide	Mr. Subodh Kumar Gupta	Mr. Ajaykumar Bhatt		
1	<b>Gross salary</b>					
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax, 1961.	1,720,648	2,442,082	2,434,162	6,596,892	
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961					
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961					
2	Stock option					
3	Sweat Equity					
4	Commission as % of profit					
	others (specify)					
5	Others, please specify					
	<b>Total (A)</b>	1,720,648	2,442,082	2,434,162	6,596,892	
	<b>Ceiling as per the Act</b>					

### B. Remuneration to other directors:

Sl.No	Particulars of Remuneration	Name of the Directors			Total Amount	
1	<b>Independent Directors</b>					
	(a) Fee for attending board committee meetings					
	(b) Commission					
	(c) Others, please specify					
	<b>Total (1)</b>					
2	<b>Other Non Executive Directors</b>					
	(a) Fee for attending board committee meetings					
	(b) Commission					
	(c) Others, please specify.					
	<b>Total (2)</b>					
	<b>Total (B)=(1+2)</b>					
	<b>Total Managerial Remuneration</b>					
	<b>Overall Ceiling as per the Act.</b>					

ग. प्रबंधनिदेशक/निदेशक/पूर्णकालिकनिदेशककेअलावाप्रमुखप्रबंधकीयकार्मिककापारिश्रमिक

क्रमसं	पारिश्रमिककाविवरण	प्रमुखप्रबंधकीयकार्मिक			कुल	
		मुख्यकार्यकारीअधिकारी	कंपनीसचिव	मुख्यवित्तअधिकारी	कुल	
1	सकलवेतन					
	क) आयकर, 1961 कीधारा 17(1) मेंदर्शायेंप्रावधानोंकेअनुसारवेतन		10,96,486	18,08,388	29,04,874	
	ख) आयकर, 1961 कीधारा 17(2) केअंतर्गतअनुलब्धियोंकीकीमत					
	ग) आयकर, 1961 कीधारा 17(3) केअंतर्गतवेतनकेस्थानपरलाभ					
2	स्टॉकविकल्प					
3	स्वेटइक्विटी					
4	कमीशन					
	लाभकाप्रतिशत					
	अन्य (स्पष्टकरें)					
5	अन्य, कृपयास्पष्टकरें					
	कुल		10,96,486	18,08,388	29,04,874	



**C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD**

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel				Total
		CEO	Company Secretary	CFO	Total	
1	<b>Gross Salary</b>					
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961.		1,096,486	1,808,388		2,904,874
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961					
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961					
2	Stock Option					
3	Sweat Equity					
4	Commission					
	as % of profit					
	others, specify					
5	Others, please specify					
	<b>Total</b>		1,096,486	1,808,388		2,904,874

## VII जुर्माना/दंड/अपराधोंकामिश्रण

प्रकार	कंपनीअधि नियमकी धारा	सारांश	जुर्माना/दंड/अधिरोपित फीसकाविवरण	प्राधिकार(आर.डी./ एन.सी.एल.टी./न्या य)	कीगईअपील, यदिकोई, (विवरणदे)
<b>क. कंपनी</b>					
जुर्माना					
दंड					
मिश्रण					
<b>ख. निदेशक</b>					
जुर्माना					
दंड					
मिश्रण					
<b>ग. चूकमेंशामिलअन्यअधिकारी</b>					
जुर्माना					
दंड					
मिश्रण					

निदेशक मंडल के लिए तथा के स्थान पर  
मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित

हस्ता/-  
अध्यक्ष

VII PENALTIES / PUNISHMENT / COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/Punishment/Compounding fees imposed	Authority (RD/NCLT/Court)	Appeal made if any (give details)
<b>A. COMPANY</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
<b>B. DIRECTORS</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
<b>C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

For & on behalf of  
Mumbai Metro Rail Corporation Ltd

Sd/-

Chairman

## नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति

क्रम सं	सूचकांक
1	प्रस्तावना
2	नीति के मुख्य उद्देश्य
3	प्रभावी तिथि
4	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन
5	परिभाषा
6	प्रयोज्यता
7	निदेशक बोर्ड/प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशकों के लिए नीति की प्रयोज्यता
8	समिति के सदस्य
9	समिति की कोरम
10	समिति की बैठकें
11	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति एवं निष्कासन
12	अवधि
13	मूल्यांकन
14	निष्कासन
15	सेवानिवृत्ति
16	निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक हेतु नीति
17	कार्यान्वयन
18	संशोधन

## NOMINATION & REMUNERATION POLICY

Sr. No	INDEX
1	<i>Preamble</i>
2	<i>Key objectives of policy</i>
3	<i>Effective date</i>
4	<i>Constitution of the Nomination and Remuneration Committee</i>
5	<i>Definition</i>
6	<i>Applicability</i>
7	<i>Applicability of Policy to the Board of Directors/ Managing Directors/ Whole-time Directors</i>
8	Members of Committee
9	Quorum of Committee
10	<i>Meetings of committee</i>
11	<i>Appointment and Removal of Key Managerial Personnel And Senior Management</i>
12	<i>Term / Tenure</i>
13	Evaluation
14	Removal
15	Retirement
16	Policy for remuneration to Directors/KMP/Senior Management Personnel
17	Implementation
18	Amendment



## १. प्रस्तावना:

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १७८ (३) के प्रावधानों के साथ लागू नियमों, विनियमों की शर्तों के आधार पर, कंपनी ने नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति तैयार की है। नीति, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उसी हद तक लागू होगी जिस हद तक सरकारी कंपनियों के लिए लागू होती है।

## २. नीति के मुख्य उद्देश्य:

नीति के मुख्य उद्देश्य होंगे:

- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा अन्य वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति तथा निष्कासन के संबंध में बोर्ड को दिशा दिखाना।
- वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों या कर्मचारियों/अधिकारियों के निष्पादन का मूल्यांकन करना तथा बोर्ड को आगे के मूल्यांकन हेतु आवश्यक रिपोर्ट प्रदान करना।
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा अन्य वरिष्ठ प्रबंधन को देय पारिश्रमिक के संबंध में बोर्ड को सलाह देना।

## ३. प्रभावी तिथि:

यह नीति बोर्ड के अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होगी।

## ४. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन:

निदेशक बोर्ड ने इसकी दिनांक ५ मार्च २०१६ और २७ मई २०१६ को आयोजित ३८ वीं तथा ३९ वीं बोर्ड बैठक में समिति की संदर्भित शर्तों के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया था।

## ५. परिभाषा:

- “बोर्ड” से अभिप्राय है कंपनी का निदेशक बोर्ड।
- “निदेशक” से अभिप्राय है कंपनी के निदेशक।
- “समिति” से अभिप्राय है बोर्ड द्वारा गठित या पुनर्गठित कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति।
- “कंपनी” से अभिप्राय है मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित।
- “महाराष्ट्र सरकार” या “सरकार” से अभिप्राय है महाराष्ट्र राज्य सरकार, जब तक इस संबंध में कोई विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता।
- “केंद्र सरकार” से अभिप्राय है भारत सरकार। भारत सरकार में “भारत के राष्ट्रपति” या इसके कोई मनोनीत शामिल होंगे।
- “स्वतंत्र निदेशक” से अभिप्राय है कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४९(६) में संदर्भित निदेशक।
- “वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक” से अभिप्राय है कंपनी के कार्मिक जो निदेशक बोर्ड के अलावा कंपनी के कोर प्रबंधन के सदस्य हैं। इसमें सभी प्रयोजनमूलक प्रमुखों को शामिल करते हुए कार्यकारी निदेशक के पद से एक स्तर नीचे के प्रबंधन के सभी सदस्य शामिल होंगे चाहे उनका जो भी पदनाम हो।

## 1. PREAMBLE:

In terms of the provisions of Section 178(3) of the Companies Act, 2013 read with the applicable rules, regulations, thereof, the Company has formulated this Nomination and Remuneration Policy. This policy will be applicable to the appointment of Key Managerial Personnel and other senior employees of the Company, to the extent applicable to Government Companies.

## 2. KEY OBJECTIVES OF THE POLICY:

The Key Objectives of the Policy would be:

- a) To guide the Board in relation to appointment and removal of Key Managerial Personnel and Senior Management.
- b) To evaluate the performance of the Senior Managerial Personnel or employees and provide necessary report to the Board for further evaluation.
- c) To recommend to the Board on Remuneration payable to the Key Managerial Personnel and Senior Management

## 3. EFFECTIVE DATE:

This policy shall be effective from the date of its approval by the Board.

## 4. CONSTITUTION OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

The Board of Directors in its 38<sup>th</sup> and 39<sup>th</sup> Board Meeting held on 5<sup>th</sup> March, 2016 and 27<sup>th</sup> May, 2016 constituted the Nomination & Remuneration Committee with the terms of reference of the Committee thereof.

## 5. DEFINITIONS:

- “Board” means Board of Directors of the Company.
- “Directors” means Directors of the Company.
- “Committee” means Nomination and Remuneration Committee of the Company as constituted or reconstituted by the Board.
- “Company” means Mumbai Metro Rail Corporation Limited.
- “Government of Maharashtra” or “Government” shall mean to include the State Government of Maharashtra, unless otherwise specified in this regard
- “Central Government” means the Government of India. The Government of India shall include the President of India” or any of its Nominees.
- “Independent Director” means a director referred to in Section 149 (6) of the Companies Act, 2013.
- “Senior Management personnel” means personnel of the Company who are members of its core management team excluding Board of Directors. This would include all members of management one level below the executive directors, including all the functional heads, by whatever name called there of.

जब तक संदर्भ में अपेक्षित ना हो, नीति में प्रयोग शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ तथा इसके कहीं ओर परिभाषित न होने पर, का समय-समय पर संशोधित वही मतलब है जैसा कंपनी अधिनियम, २०१३ में परिभाषित है।

## 6. प्रयोज्यता:

कोरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक ०५ जून २०१५ के जारी अधिसूचना सं GSR ४६३(E) के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति केवल निम्न के लिए लागू होगी:

- क) प्रयोजनमूलक/पूर्णकालिक निदेशकों (महाराष्ट्र सरकार द्वारा न तो नियुक्त और मनोनीत कंपनी के कर्मचारी)
- ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी के कर्मचारी)
- ग) वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक
- घ) अन्य कार्मिक

संघ के अनुच्छेदों के संदर्भ में, इस नीति में भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार द्वारा कंपनी के बोर्ड में नियुक्त निदेशकों के लिए लागू नहीं होगा।

## 7. निदेशक बोर्ड/प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशकों के लिए नीति की प्रयोज्यता

कोरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक ०५ जून २०१५ के जारी अधिसूचना सं GSR ४६३(E) तथा कंपनी के संघ के अनुच्छेदों के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा १७८ की धारा (२), (३) और (४) के प्रावधान कंपनी के निदेशक बोर्ड पर लागू नहीं होंगे (जब तक वे कंपनी के कार्मिक न हों)।

सरकारी कंपनी होने के नाते तथा कंपनी के संघ के अनुच्छेदों के अनुसार, प्रबंध निदेशक की पारिश्रमिक तथा नियम, शर्तें, अवधि महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। तदनुसार, सरकार द्वारा की नियुक्ति जाने की स्थिति में, इस नीति में कुछ भी प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक के लिए लागू नहीं होगा।

इसके अलावा, कोरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक ०५ जून २०१५ के जारी अधिसूचना सं GSR ४६३(E) के अनुसार; मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से संबन्धित धारा २०३ की उप धारा (१), (२), (३) और (४) के प्रावधान सरकारी कंपनी के प्रबंध निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशकों के लिए लागू नहीं होंगे। अतः मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से संबन्धित नीति में कुछ भी प्रबंधन निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशकों के लिए लागू नहीं होगा।

कंपनी के संघ के अनुच्छेदों की शर्तों के अनुसार, कंपनी के निदेशक बोर्ड में निश्चित निदेशक की नियुक्ति तथा नामित करने का महाराष्ट्र सरकार तथा भारत सरकार को अधिकार है। ऐसी नियुक्तियाँ नीति के कार्यक्षेत्र से बाहर होंगी।

## 8. समिति के सदस्य:

समिति के न्यूनतम ३ निदेशक होंगे। सदस्यों की अधिकतता मतलब समिति के ५०% से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

Unless the context otherwise requires, words and expressions used in this policy and not defined herein but defined in the Companies Act, 2013 as may be amended from time to time shall have the meaning respectively assigned to them therein.

## 6. APPLICABILITY:

In terms of the Notification No. GSR 463(E) dated 5<sup>th</sup> June, 2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Nomination and Remuneration Policy shall be applicable only to:

- (a) Functional/ Whole-time Directors (being employees of the Company and not nominated or appointed by the Government of Maharashtra)
- (b) Key Managerial Personnel (being employees of the Company)
- (c) Senior Management Personnel
- (d) Other employees

Nothing in this Policy shall be applicable to the Directors appointed to the Board of the Company by Government of Maharashtra or Government of India, in terms of the Articles of Association

## 7. APPLICABILITY OF POLICY TO THE BOARD OF DIRECTORS/ MANAGING DIRECTORS/WHOLE-TIME DIRECTORS:

In terms of the Notification No. GSR 463(E) dated 5<sup>th</sup> June, 2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs, and the Articles of Association of the Company, the provisions of sub-section (2), (3) and (4) of Section 178 shall not be applicable to the Board of Directors of the Company (unless they are employees of the Company).

By virtue of being a Government Company, and in terms of the Articles of Association of the Company, the terms, conditions, tenure and remuneration of the Managing Director is determined by the Government of Maharashtra or Government of India. Accordingly, nothing in this policy shall be applicable to the appointment and remuneration of the Managing Director/ Whole-time Director, where he is appointed by the Government.

Further, as per the Notification No. GSR 463(E) dated 5<sup>th</sup> June, 2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs; the provisions of sub-section (1), (2), (3) and (4) of Section 203 pertaining to Key Managerial Personnel are not applicable to the Managing Director or Whole-time Directors of a Government Company. Hence, nothing in this Policy pertaining to Key Managerial Personnel shall be applicable to Managing Director and Whole-time Directors.

In terms of Articles of Association of the Company, Government of Maharashtra and Government of India have the right to nominate and appoint certain Directors on the Board of Directors of the Company. Such appointments shall be outside the purview of this Policy.

## 8. MEMBERS OF COMMITTEE:

The Committee shall consist of minimum 3 Directors. The majority i.e. more than 50% of the Committee shall consist of Independent Directors. The Chairman of the Committee shall be an Independent Director.

## 9. समिति का कोरम:

समिति का कोरम हेतु कम से कम २ निदेशक होंगे।

## 10. समिति की बैठकें:

समिति जब उचित समझे बैठक कर सकती है। बैठक समिति सदस्यों के लिए सुविधाजनक स्थान पर आयोजित की जाएगी। संविधान के अंतर्गत विधि द्वारा प्रतिबंधित मामलों के अलावा, समिति की बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है।

उस समय पर संविधान के अंतर्गत विधि द्वारा प्रतिबंधित मामलों के अलावा, समिति की बैठक में प्रस्तावित किसी संकल्प के पारित करने पर वह परिपत्र द्वारा भी पारित किया जा सकता है।

## 11. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति एवं निष्कासन

- क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या वरिष्ठ प्रबंधन के पद पर नियुक्ति हेतु समिति व्यक्ति की अखंडता, अर्हता, विशेषज्ञता और अनुभव की पहचान करेगी तथा कंपनी की नीति के अनुसार उसकी नियुक्ति की सिफारिश करेगी।
- ख) व्यक्ति का उसके पद पर नियुक्ति हेतु पर्याप्त अर्हता, विशेषज्ञता तथा अनुभव होना चाहिए। समिति यह निर्णय लेगी कि पद के अनुरूप उस व्यक्ति की अर्हता, विशेषज्ञता तथा अनुभव संतुष्टीजनक है या नहीं।
- ग) कंपनी ७० साल की उम्र वाले किसी व्यक्ति की पूर्णकालिक निदेशक के पद पर नियुक्ति नहीं करेगी। जब तक इस पद पर आसीन व्यक्ति की अवधि ७० वर्ष से अधिक करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेरधारकों की मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती।

## 12. अवधि:

### प्रबंधन निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक:

जब तक भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रबंधन निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक के पद पर नियुक्ति की जाती है, तब तक इस संबंध में, उनकी शर्तें तथा अवधि सरकार द्वारा तय की जाएंगी।

### स्वतंत्र निदेशक:

स्वतंत्र निदेशक कंपनी के निदेशक बोर्ड में लगातार ५ वर्षों की अवधि तक पद धारण कर सकता है तथा बोर्ड की रिपोर्ट में उस नियुक्ति के प्रकटीकरण तथा कंपनी द्वारा विशेष संकल्प पारित करने पर ही वह पुनः नियुक्ति के योग्य होगा।

कोई स्वतंत्र निदेशक प्रत्येक बार अधिकतम ५ वर्षों के लिए लगातार २ बार से ज्यादा पदभार ग्रहण नहीं कर सकता है, किन्तु ऐसा स्वतंत्र निदेशक ३ वर्ष की अवधि की समाप्ति के अंत में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के योग्य होगा। उक्त ३ वर्ष की अवधि में, स्वतंत्र निदेशक कंपनी के साथ न तो नियुक्त किया जाएगा और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कंपनी से जुड़ेगा।



## 9. QUORUM OF THE COMMITTEE

The quorum of the Committee shall be minimum 2 Directors

## 10. MEETINGS OF THE COMMITTEE

The Committee shall meet at such times and at such intervals as it may deem fit. The meetings may be held at any place convenient to the Committee Members. The Committee Meetings may also include the provision of video-conferencing, except on the matters prohibited by law, under any Statute.

Any resolution proposed to be passed at a meeting of the Committee may also be passed by circulation, unless otherwise specifically prohibited by law, under any Statute for the time being in force.

## 11. APPOINTMENT AND REMOVAL OF KEY MANAGERIAL PERSONNEL AND SENIOR MANAGEMENT

- a) The Committee shall identify and ascertain the integrity, qualification; expertise and experience of the person for appointment as KMP or at Senior Management level and recommend his / her appointment, as per Company's Policy.
- b) A person should possess adequate qualification, expertise and experience for the position he / she is considered for appointment. The Committee has authority to decide whether qualification, expertise and experience possessed by a person is sufficient / satisfactory for the position.
- c) The Company shall not appoint or continue the employment of any person as Whole-time Director who has attained the age of seventy years. Provided that the term of the person holding this position may be extended beyond the age of seventy years with the approval of shareholders by passing a special resolution.

## 12. TERM / TENURE

### Managing Director/Whole-time Director:

So long as the Managing Director/ Whole-time Directors are appointed by the Government of Maharashtra or Government of India, their terms and tenure shall be as fixed by the Government, in this regard.

### Independent Director:

An Independent Director shall hold office for a term up to five consecutive years on the Board of the Company and will be eligible for re-appointment on passing of a special resolution by the Company and disclosure of such appointment in the Board's report.

No Independent Director shall hold office for more than two consecutive terms of upto maximum of 5 years each, but such Independent Director shall be eligible for appointment after expiry of three years of ceasing to become an Independent Director.

Provided that an Independent Director shall not, during the said period of three years, be appointed in or be associated with the Company in any other capacity, either directly or indirectly.

## 13. मूल्यांकन:

प्रत्येक वर्ष या जब आवश्यक हो, समिति मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करेगी।

## 14. निष्कासन:

कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधान तथा अनुपालन, नियम एवं विनियम तथा कंपनी की नीति के तहत, कंपनी लिखित में किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या वरिष्ठ प्रबंधन के निष्कासन की सिफ़ारिश कर सकती है।

## 15. सेवानिवृत्ति:

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिनियम के लागू प्रावधानों तथा कंपनी की लागू नीतियों के अनुसार सेवानिवृत्त होंगे। बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वह कंपनी के हितलाभ में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के उसी पद/पारिश्रमिक या सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने के बाद भी कंपनी में रोक सकती है।

## 16. निदेशक/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के पारिश्रमिक के लिए नीति:

**अकार्यकारी/स्वतंत्र निदेशक का पारिश्रमिक:**

- क) अकार्यकारी/स्वतंत्र निदेशक पद पर बैठने की फीस तथा कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य अन्य पारिश्रमिक ले सकते हैं। पद पर बैठने की फीसवही होगी जो नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफ़ारिश की जाएगी तथा निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगी।
- ख) अकार्यकारी/स्वतंत्र निदेशक के सभी पारिश्रमिक (बैठक में उपस्थित होने के पारिश्रमिक के अलावा जैसा कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १९७ (५) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है) कंपनी अधिनियम, २०१३ तथा उसके अंदर निहित नियमों या समय पर लागू कानून में निहित सीमा के अंदर रहेंगे। पारिश्रमिक की राशि वही होगी जो नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफ़ारिश की जाएगी तथा निदेशक बोर्ड या शेयरधारकों, चाहे जो भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित होगी।
- ग) स्वतंत्र निदेशक स्टॉक विकल्प के योग्य नहीं होगा और ना ही कंपनी की शेयर आधारित भुगतान योजना में भाग लेने के योग्य होगा।
- घ) व्यवसायिक प्रकृति की सेवाओं के लिए अकार्यकारी/स्वतंत्र निदेशक को दत्त कोई पारिश्रमिक उक्त खंड (ख) हेतु पारिश्रमिक का हिस्सा नहीं समझी जाएगी यदि निम्न शर्तें संतुष्टीजनक पाई जाती हैं तो;
  - i. उस निदेशक द्वारा सेवा व्यावसायिक के रूप में दी गई हैं, तथा

## 13. EVALUATION

The Committee shall carry out evaluation of performance of Key Managerial Personnel and Senior Management Personnel yearly or at such intervals as may be considered necessary.

## 14. REMOVAL

The Committee may recommend with reasons recorded in writing, removal of any Key Managerial Personnel or Senior Management Personnel subject to the provisions and compliance of the Companies Act, 2013, rules and regulations and the policy of the Company.

## 15. RETIREMENT

The Key Managerial Personnel and Senior Management Personnel shall retire as per the applicable provisions of the Act and the prevailing policy of the Company. The Board will have the discretion to retain the Key Managerial Personnel, Senior Management Personnel in the same position/ remuneration or otherwise even after attaining the retirement age, for the benefit of the Company.

## 16. POLICY FOR REMUNERATION TO DIRECTORS/KEY MANAGERIAL PERSONNEL/SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

### Remuneration to Non- Executive / Independent Directors:

- a) The Non-Executive / Independent Directors may receive sitting fees and such other remuneration as permissible under the provisions of Companies Act, 2013. The amount of sitting fees shall be such as may be recommended by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board of Directors.
- b) All the remuneration of the Non- Executive / Independent Directors (excluding remuneration for attending meetings as prescribed under Section 197 (5) of the Companies Act, 2013) shall be subject to ceiling/ limits as provided under Companies Act, 2013 and rules made there under or any other enactment for the time being in force. The amount of such remuneration shall be such as may be recommended by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board of Directors or shareholders, as the case may be.
- c) An Independent Director shall not be eligible to get Stock Options and also shall not be eligible to participate in any share based payment schemes of the Company.
- d) Any remuneration paid to Non- Executive / Independent Directors for services rendered which are of professional in nature shall not be considered as part of the remuneration for the purposes of clause (b) above if the following conditions are satisfied:
  - i) The Services are rendered by such Director in his capacity as the professional; and
  - ii) In the opinion of the Committee, the director possesses the requisite qualification for the practice of that profession.

ii. समिति की राय में, निदेशक के पास उस व्यवसाय के अभ्यास के लिए उचित अर्हता है।

## मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक का पारिश्रमिक:

- क) कंपनी अधिनियम, २०१३ केई प्रावधानों के अनुपालन तथा कंपनी की नीति के अनुसार, जो उचित हो, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक का पारिश्रमिकमें स्थायी वेतन तथा प्रोत्साहन वेतन शामिल रहेगा।
- ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक का पारिश्रमिक बाजार मानक या महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार की शर्तों के अनुसार तय किया जाएगा।

## 17. कार्यान्वयन:

- क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा निदेशक बोर्ड द्वारा इस नीति के अपनाए जाने के बाद निदेशक बोर्ड की नियुक्ति को शामिल करते हुए यह पारिश्रमिक नीति कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के साथ सभी भावी रोजगार करारों में लागू होगी। बोर्ड द्वारा इस नीति के अपनाए जाने से पहले की ऐसी नियुक्ति, उक्त नियुक्ति की शर्तों तथा नियमों में किसी प्रकार के बदलाव या संशोधन के समय की नीति के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित होगी।
- ख) दूसरे पहलू में, पारिश्रमिक नीति बोर्ड के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करेगी। नीति का कोई या सभी प्रावधान कंपनी अधिनियम, २०१३ के नियमों एवं विनियमों, दिशा-निर्देशों में समय-समय पर अधिसूचित संशोधन के अनुसार होंगे। ऐसा कोई संशोधन नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति या निदेशक बोर्ड के अनुमोदन के बिना ही नीति में संशोधन के लिए प्रभावी होगा। फिर भी, ऐसा संशोधन इस नीति के साथ अनुसंग्रह रहेगा तथा सभी संबंधित लोगो के लिए कंपनी वेबसाइट पर संदर्भ के रूप रहेगा तथा अगली बैठक में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और निदेशक बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।
- ग) समिति इस नीति के सही कार्यान्वयन हेतु तथा अनुपूरक में, जब उचित समझे, दिशा-निर्देश, प्रसंस्करण, प्रारूप, रेपोर्टिंग प्रणाली तथा मैनुअल जारी कर सकती है।
- घ) समिति इसके एक या अधिक सदस्यों को इसकी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकती है।

## 18. संशोधन:

निदेशक बोर्ड इस नीति में किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, संशोधन या बदलाव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बदलाव या संशोधन इस नीति के साथ अनुसंग्रह किया जाएगा तथा बोर्ड बैठक व समिति की बैठक के कार्यवृत्त में भी नोट किया जाएगा।

## Remuneration to Key Managerial Personnel and Senior Management:

- a) The remuneration to Key Managerial Personnel and Senior Management shall consist of fixed pay and incentive pay, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and in accordance with the Company's Policy, as it may deem fit.
- b) The remuneration to the Key Managerial Personnel and Senior Management Personnel may be decided as per market standards or as per the terms of Government of Maharashtra and Government of India Regulations.

## 17. IMPLEMENTATION

- a) This Remuneration Policy shall apply to all future employment agreements with members of Company's Senior Management including Key Managerial Personnel and Board of Directors i.e. appointments made after the adoption of this Policy by the Board of Directors. Any such appointments made prior to the adoption of this policy by the Board shall be required to comply with the provisions of this policy at the time of revision, modification or any changes in the terms and conditions of the said appointments.
- b) In other respects, the Remuneration Policy shall be of guidance for the Board. Any or all the provisions of this Policy would be subject to the revision/ amendment in the Companies Act, 2013, related rules and regulations, guidelines on the subject as may be notified from time to time. Any such amendment shall automatically have the effect of amending this Policy without the need of any approval by the Nomination and Remuneration Committee and/or the Board of Directors. However, any such amendment shall be annexed to this Policy and put on the website of the Company for ready reference of all concerned persons and placed before the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors in the next meeting.
- c) The Committee may issue guidelines, procedures, formats, reporting mechanism and manuals in supplement and for better implementation of this policy as considered appropriate.
- d) The Committee may Delegate any of its powers to one or more of its members.

## 18. AMENDMENT

The Board of Directors may amend or modify or revise this Policy at any time, without assigning any reason thereof. Such modification or amendment or revision shall be annexed to this Policy and shall also be required to be noted in the Minutes of the Board Meeting and Committee Meeting.



## D. A. KAMAT & CO.

Practicing Company Secretaries

Head office: A/308, Royal Sands, Shastri Nagar, Behind Fame Adlabs, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053  
Branch Office: 402, Goyal Trade Centre, Sona Talkies Building, Shantivan, Borivali (East), Mumbai-400 066  
Contact: +91-7208023169, +91-9029661169 | office@csdakamat.com | www.csdakamat.com

फॉर्म नं एम.आर.- 3

सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी नियम 9 (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के अनुपालन में)

सेवा में,

सदस्य,

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित,

मुंबई

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित "कंपनी" द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट कार्यों के अनुपालन हेतु सचिवालय लेखापरीक्षा की है। सचिवालय लेखापरीक्षा इस तारीख से की गई थी कि हम कंपनी के आचार/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन कर सकें तथा अपना सुझाव दे सकें।

सचिवालय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के बही खातों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फॉर्म और भेजी गई रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकॉर्ड व कंपनी द्वारा और इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों से प्राप्त सूचना की जांच के आधार पर, हम यह प्रस्तुत करते हैं कि हमारे सुझाव में, 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान, कंपनी ने अधिसूचित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा इसके अलावा, कंपनी की उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालना प्रणाली है जिसकी रेपोर्टिंग निम्न प्रकार है:

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा कंपनीद्वारा अच्छे कॉर्पोरेट कार्यों के अनुपालन हेतु सचिवालय लेखापरीक्षा की है। सचिवालय लेखापरीक्षा इस तारीख से की गई थी कि हम कंपनी के आचार/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन कर सकें तथा अपना सुझाव दे सकें।

1. लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान, हमने 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पुस्तकों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फॉर्म एवं भेजी गई रिटर्न, सह व्यवसायियों द्वारा जारी रिपोर्टों तथा कंपनी द्वारा अन्य रिकॉर्ड व रजिस्ट्रों की जांच की है तथा निम्न प्रावधानों के अनुसार कथन अनुसंलग्नक 1 में दिया गया है:

## *D. A. KAMAT & CO.*

Practicing Company Secretaries

Head office: A/308, Royal Sands, Shastri Nagar, Behind Fame Adlabs, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053  
Branch Office: 402, Goyal Trade Centre, Sona Talkies Building, Shantivan, Borivali (East), Mumbai-400 066  
Contact: +91-7208023169, +91-9029661169 | office@csdakamat.com | www.csdakamat.com

**FORM NO MR-3**

### **SECRETARIAL AUDIT REPORT**

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH, 2016

*[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act 2013 and rule No.9 of Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]*

To,  
The members,  
**Mumbai Metro Rail Corporation Limited,**  
Mumbai

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Mumbai Metro Rail Corporation Limited** (hereinafter called the "Company"). Secretarial audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of the secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has during the audit period covering the financial year ended on **31<sup>st</sup> March, 2016** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has the proper Board-process and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by the Company. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing my opinion thereon.

- I. During the audit process we have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed, reports issued by various fellow professionals and other applicable records and registers and maintained by the Company for the financial year ended on **31<sup>st</sup> March, 2016** and stated in **Annexure I** according to the provisions of:



## *D. A. KAMAT & CO.*

Practicing Company Secretaries

**Head office:** A/308, Royal Sands, Shastri Nagar, Behind Fame Adlabs, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053  
**Branch Office:** 402, Goyal Trade Centre, Sona Talkies Building, Shantivan, Borivali (East), Mumbai-400 066  
**Contact:** +91-7208023169, +91-9029661169 | office@csdakamat.com | www.csdakamat.com

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निहित नियम (संदर्भ नोट 1 एवं 2)
  2. मेट्रो रेलवे (कार्य निर्माण) अधिनियम, 1978
  3. मेट्रो रेलवे (संचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002
  4. मेट्रो रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2009
  5. भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890
2. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के वित्त वर्ष 2015-16 में प्रतिभूति विनियम पर सूचीबद्ध न होने के कारण, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम एवं दिशा-निर्देश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे:
    - क) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (शेयर सारभूत अधिग्रहण एवं अधिकार) विनियम, 2011
    - ख) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 1992
    - ग) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009
    - घ) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना तथा कर्मचारी स्टॉक खरीदी योजना) दिशानिर्देश, 1999
    - ङ) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2008
    - च) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (शेयर निर्गम तथा अंतरण दलाल का पंजीकरण) विनियम, 1993
    - छ) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (डब्लिकली शेयर्स की डीलिंग) विनियम, 2009, तथा
    - ज) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (प्रतिभूति प्रति क्रय) विनियम, 1998
  3. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए सह व्यवसायियों से प्राप्त सूचना, दस्तावेजों, रिकॉर्ड, फिलिंग तथा अन्य प्रमाण पत्र या पुष्टियों तथा कंपनी तथा इसके अधिकारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों प्रणाली, रिकॉर्ड तथा विशेष रूप से कंपनी के लागू अन्य कानून के अनुपालन की समीक्षा की है। कंपनी पर लागू मुख्य कानून, नियमों, विनियमों की सूची अनुसंग्रक III के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
  4. हमने दिनांक 01 जुलाई 2015 से लागू, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सचिवालय मानक I और II के लागू प्रावधानों के अनुपालन की जांच की।

## *D. A. KAMAT & CO.*

### Practicing Company Secretaries

**Head office:** A/308, Royal Sands, Shastri Nagar, Behind Fame Adlabs, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053

**Branch Office:** 402, Goyal Trade Centre, Sona Talkies Building, Shantivan, Borivali (East), Mumbai-400 066

**Contact:** +91-7208023169, +91-9029661169 | [office@csdakamat.com](mailto:office@csdakamat.com) | [www.csdakamat.com](http://www.csdakamat.com)

1. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under (reference note.1 and 2);
2. Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978;
3. Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002;
4. Metro Railways (Amendment) Act, 2009;
5. Indian Railways Act, 1890.

**II.** Provisions of the following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') were not applicable to the Company, by virtue of not being listed on any Stock Exchanges of the Company under the financial year 2014-15 under report:

- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and
- (h) The Securities and Exchange Board (Buyback of Securities) Regulations, 1998;

**III.** We have reviewed the information, documents, records, filings and other certificates or confirmations received from fellow professionals for the period under review and the representations made by the company and its officers for the systems, records and compliances for other laws applicable specifically to the Company. The list of major laws and acts applicable to the company are stated in **Annexure III** to this Report.

**IV.** We have examined the compliances of the applicable provisions of Secretarial Standards I and II as issued by the Institute of Companies Secretaries of India and notified by the Ministry of Corporate Affairs and applicable with effect from July 1, 2015.



## *D. A. KAMAT & CO.*

Practicing Company Secretaries

**Head office:** A/308, Royal Sands, Shastri Nagar, Behind Fame Adlabs, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053  
**Branch Office:** 402, Goyal Trade Centre, Sona Talkies Building, Shantivan, Borivali (East), Mumbai-400 066  
**Contact:** +91-7208023169, +91-9029661169 | office@csdakamat.com | www.csdakamat.com

### इसके अलावा हमारा कथन है कि:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा लागू प्रावधानों के अनुरूप कार्यरत थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड में हुआ बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही किया गया है।

बोर्ड बैठकों की समय सारणी के संबंध में सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस भेजा जाता है, कार्यसूची एवं कार्यसूची का विवरणित नोट बैठक के 7 दिन पहले भेजे जाते थे, तथा बैठक से पहले और बैठक में फायदेमंद हिस्सेदारी के लिए कार्यसूची पर स्पष्टीकरण और अन्य सूचना प्राप्त करने हेतु प्रणाली अस्तित्व में है। सदस्यों के विचारों पर संतोष जताने के लिए, बहुमत का निर्णय लिया जाता है तथा कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

इसके अलावा, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार तथा संचालन के अनुरूप कंपनी में परिवीक्षा हेतु तथा लागू नियमों, कानून, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त प्रणाली है।

इसके अलावा हमारा कथन है कि रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान, उपरोक्त संदर्भित नियम, कानून, विनियम, दिशानिर्देश, मानक इत्यादि के अनुपालन में, कंपनी कार्यों पर बहुमत सहमति प्राप्त करते हुए कंपनी ने निम्न कार्य किए हैं:

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी की प्रकृति राज्य सरकारी कंपनी से भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच संयुक्त उद्यम में परिवर्तित हो चुकी है।
2. ₹ 100 प्रति शेयर वाले 73,15,000 इक्विटी शेयरों के प्रोद्भूत आबंटन के कारण, कंपनी की दत्त शेयर पूंजी ₹ 5,00,000 से बढ़कर ₹ 73,20,00,000/- हो गई है।
3. कंपनी के विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत कई न्यायालयों में मामले न्यायाधीन हैं जिसके लिए हमने प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है। मामला न्यायाधीन होने के कारण, हम उस पर अपनी टिप्पणी नहीं दे सकते हैं।

स्थान: मुंबई

तिथि: 31 अगस्त, 2016

हस्ताक्षर

फर्म का नाम: डी.ए.कामत एंड कं

साझेदार

एफ.सी.एस. संख्या 3843

सी.पी. संख्या 4965

(हमारी रिपोर्ट संलग्न नोट अनुसंलग्नक II के साथ पढ़ी जाए जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।)



## *D. A. KAMAT & CO.*

### Practicing Company Secretaries

**Head office:** A/308, Royal Sands, Shastri Nagar, Behind Fame Adlabs, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053  
**Branch Office:** 402, Goyal Trade Centre, Sona Talkies Building, Shantivan, Borivali (East), Mumbai-400 066  
**Contact:** +91-7208023169, +91-9029661169 | [office@csdakamat.com](mailto:office@csdakamat.com) | [www.csdakamat.com](http://www.csdakamat.com)

#### **We further report that:**

During the period under review, the Board of Directors of the Company have been duly constituted in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and applicable provisions. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the year under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. Majority decision is carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the year under report, the Company has undertaken following event / action having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc referred to above viz.

1. During the period under review the nature of the Company has been changed from a State Government Company to a Joint venture between Government of India and Government of Maharashtra.
2. Pursuant to the preferential allotment of 73,15,000 equity shares of Rs. 100 each, the paid up share capital of the company has been increased from Rs. 5,00,000 to Rs. 73,20,00,000
3. The company has litigations pending under different Courts and under various Acts for which we have obtained management representation for the same. The matters being subjudice, we do not comment on the same.

**Place: Mumbai**

**Date: 31<sup>st</sup> August, 2016**

**Signature**  
**Name of the Firm: D. A. Kamat & Co**  
**Partner**  
**FCS No. 3843**  
**CP No: 4965**

Our Report is to be read along with the attached Note in Annexure II and other Annexures to this Report, which form an integral part of this Report

## *D. A. KAMAT & CO.*

Practicing Company Secretaries

Head office: A/308, Royal Sands, Shastri Nagar, Behind Fame Adlabs, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053  
Branch Office: 402, Goyal Trade Centre, Sona Talkies Building, Shantivan, Borivali (East), Mumbai-400 066  
Contact: +91-7208023169, +91-9029661169 | office@csdakamat.com | www.csdakamat.com

अनुसंलग्नक I- दिनांक 31/08/2016 की सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए अनुरक्षित तथा perused दस्तावेजों की सूची

क्रम	दस्तावेजों की सूची
1.	समिति की (अनिवार्य और गैर अनिवार्य) बैठकों को शामिल करते हुए निदेशक बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त
2.	निदेशकों को जारी सूचना तथा भेजी गई कार्यसूची
3.	निदेशक बोर्ड तथा शेयरधारकों की बैठकों की उपस्थिति पंजिका
4.	कंपनी की सर्वसाधारण बैठकों की सूचना तथा कार्यवृत्त
5.	कंपनी द्वारा अनुरक्षित सांविधिक पंजिका
6.	आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट
7.	कंपनी के निदेशक बोर्ड को प्रबंधन द्वारा जारी अनुपालना प्रमाण पत्र
8.	31 मार्च 2016 तक निदेशक बोर्ड को विभागों के प्रमुख द्वारा संबन्धित मामलों के संबंध में जारी अनुपालना प्रमाण पत्र
9.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा जारी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित हित का सामान्य एवं विशेष प्रकटीकरण
10.	कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में तैयार वित्तीय विवरणों का मसौदा तथा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का मसौदा
11.	कंपनी के कर्मचारियों का वेतन विवरण
12.	टी.डी.एस. प्रमाण पत्र
13.	भविष्य निधि विवरण
14.	मजदूरी विवरण
15.	मुकदमेबाजी पर कंपनी से प्राप्त अभ्यावेदन



*D. A. KAMAT & CO.*

Practicing Company Secretaries

Head office: A/308, Royal Sands, Shastri Nagar, Behind Fame Adlabs, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053  
 Branch Office: 402, Goyal Trade Centre, Sona Talkies Building, Shantivan, Borivali (East), Mumbai-400 066  
 Contact: +91-7208023169, +91-9029661169 | office@csdakamat.com | www.csdakamat.com

**Annexure I – List of Documents maintained and perused for the purpose of the Secretarial Audit Report dated 31/08/2016**

No.	List of Documents
1.	Minutes of the Board of Directors Meetings, including Committee Meetings (mandatory and non-mandatory)
2.	Notices issued to the Directors and the Agenda Papers sent thereof
3.	Attendance Registers for the Meetings of the Board of Directors and Shareholders
4.	Notices and Minutes of the General Meetings of the Company
5.	Statutory Registers maintained by the Company
6.	Internal Audit Reports issued by the Internal Auditors
7.	Compliance Certificates issued by the Management towards the Board of Directors of the Company
8.	Compliance Certificates issued by the respective Head of Departments in respective matters to the Board of Directors as at 31 <sup>st</sup> March, 2016
9.	General and Specific Disclosures of Interest issued by the Directors and maintained by the Company as per the provisions of Section 184 of the Companies Act, 2013
10.	Draft of the Financial Statements prepared in respect to the Companies Act, 2013 and the Draft of the Auditors Report for the Financial Year 2015-16
11.	Salary Slips of the employees of the Company
12.	TDS Certificates
13.	Provident Fund Statement
14.	Wages Slip
15.	Representation received from the Company on Litigations

## *D. A. KAMAT & CO.*

Practicing Company Secretaries

Head office: A/308, Royal Sands, Shastri Nagar, Behind Fame Adlabs, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053  
Branch Office: 402, Goyal Trade Centre, Sona Talkies Building, Shantivan, Borivali (East), Mumbai-400 066  
Contact: +91-7208023169, +91-9029661169 | office@csdakamat.com | www.csdakamat.com

### अनुसंलग्नक II- 31 अगस्त 2016 की मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित की सचिवालयलेखापरीक्षा रिपोर्ट पर नोट

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट निम्न नोट्स के साथ पढ़ी जाए:

1. सचिवालय रिकॉर्ड का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर सचिवालय रिकॉर्ड पर तय अभिव्यक्त करना है।
2. सचिवालय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता से संबंधित उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए जो उचित था, हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया है। सचिवालय रिकॉर्ड में सही तथ्य दर्शाये गए हैं यह आश्चर्य अकर्मों के लिए जांच नमूना आधार पर की गई थी। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा प्रथाएँ हमारे मुझाब के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने वित्तीय रिकॉर्ड तथा कंपनी के वही खातों की शुद्धता की जांच नहीं की है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा का दायरा वित्तीय कानून तथा सम्बद्ध अधिनियमों को शामिल नहीं करता है।
4. जहां अपेक्षित है, हमने कानून, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन और घटना के संबंध में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. निगम के प्रावधानों तथा अन्य लागू कानून, नियमों एवं विनियमों, मानकों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच नमूना पर आधारित प्रक्रियाओं की जांच तक सीमित थी।
6. सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भावी व्यवहार का और न ही कंपनी के कार्यों में प्रबंधन की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है।

स्थान: मुंबई  
तिथि: 31/08/2016

हस्ताक्षर  
फर्म का नाम: डी.ए.कामत एंड कं.  
सांझेदार  
एफ.सी.एस.सं 3843  
सी.पी.संख्या 4965



*D. A. KAMAT & CO.*

Practicing Company Secretaries

Head office: A/308, Royal Sands, Shastri Nagar, Behind Fame Adlabs, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053  
Branch Office: 402, Goyal Trade Centre, Sona Talkies Building, Shantivan, Borivali (East), Mumbai-400 066  
Contact: +91-7208023169, +91-9029661169 | [office@csdakamat.com](mailto:office@csdakamat.com) | [www.csdakamat.com](http://www.csdakamat.com)

**Annexure II –Notes on the Secretarial Audit Report of Mumbai Metro Rail Corporation Limited dated 31<sup>st</sup> August,2016**

Our report of even date is to be read along with the following Notes:

- i. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
- ii. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- iii. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company. Further, the scope of our Audit does not include financial laws and allied acts.
- iv. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
- v. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
- vi. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

Place: Mumbai

Date:31/08/2016

Signature

Name of the Firm: D. A. Kamat & Co

Partner

FCS No. 3843

CP No: 4965

## *D. A. KAMAT & CO.*

Practicing Company Secretaries

Head office: A/308, Royal Sands, Shastri Nagar, Behind Fame Adlabs, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053  
Branch Office: 402, Goyal Trade Centre, Sona Talkies Building, Shantivan, Borivali (East), Mumbai-400 066  
Contact: +91-7208023169, +91-9029661169 | office@csdakamat.com | www.csdakamat.com

अनुसंलग्नक III- कंपनी और इसकी शाखाओं को लागू अन्य अधिनियमों की सूची  
कंपनी को लागू -मुख्य अधिनियम (उक्त सूचीबद्ध अधिनियम के अलावा):

1. बॉम्बे दुकान एवं अभिष्ठान अधिनियम, 1948
2. केन्द्रीय एवं स्थानीय विक्री कर अधिनियम, 1956
3. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
4. कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
6. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
7. उपदान का भुगतान अधिनियम, 1972
8. पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम, 1986
9. आय कर अधिनियम, 1961
10. कामगार की क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
11. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
12. ठेका मजदूरी (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1979
13. बाल मजदूरी (प्रतिबंध एवं विनियम) अधिनियम, 1986
14. प्रशिक्षु अधिनियम, 1961
15. कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण (रोक, निषेध एवं शिकायत) अधिनियम, 2013
16. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

*D. A. KAMAT & CO.*

Practicing Company Secretaries

Head office: A/308, Royal Sands, Shastri Nagar, Behind Fame Adlabs, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053  
Branch Office: 402, Goyal Trade Centre, Sona Talkies Building, Shantivan, Borivali (East), Mumbai-400 066.  
Contact: +91-7208023169, +91-9029661169 | [office@csdakamat.com](mailto:office@csdakamat.com) | [www.csdakamat.com](http://www.csdakamat.com)

**Annexure III – List of other Acts specifically applicable to the Company and its branches**

**Major Acts applicable to the Company (other than those listed above):**

1. Bombay Shop & Establishment Act, 1948;
2. Central & Local Sales Tax Act, 1956;
3. Employees State Insurance Act, 1948;
4. Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952;
5. Minimum Wages Act, 1948;
6. Payment of Wages Act, 1936;
7. Payment of Gratuity Act, 1972;
8. Environmental Protection Act, 1986;
9. Income Tax Act, 1961;
10. Workmen's Compensation Act, 1923;
11. The Payment of Bonus Act, 1965;
12. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1979;
13. Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986;
14. The Apprentices Act, 1961;
15. Sexual Harassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013;
16. The Maternity Benefit Act, 1961



31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष की 08 सितम्बर 2016  
को हस्ताक्षरित निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक  
एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक टिप्पणियों के अनुसंलग्नक में क्रम सं	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	लेखापरीक्षा समिति का जवाब
1.	<p><b>क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ</b></p> <p>तुलन पत्र वर्तमानदेयताएं: 344,38,36,710/- रुपए लघु अवधि प्रावधान: 2,62,684/-रुपए</p> <p>1. संबन्धित करार की शर्तों के अनुसार, तीन परामर्शकर्ताओं को दी गई कार्यसाधक अग्रिम से समायोज्य भुगतान (सितम्बर 2015 से मार्च 2016 तक) रु 60,87,26,935/- को शामिल नहीं किया गया है। देयताओं के गैर प्रावधान के परिणामस्वरूप लघु अवधि प्रावधानों तथा कार्यगत पूंजी को रु 60,87,26,935 /- के कम दर्शाया गया है।</p>	<p>नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ नोट कर ली गई हैं।</p> <p>इस संबंध में यह नोट किया गया है कि करार की शर्तों के अनुसार” ग्राहक द्वारा अग्रिम राशि का भुगतान सेवा प्रारम्भ के तीसरे माह से लेकर 12 माह के अंदर रसीदों के रूप में अग्रिम राशि के पूरा भुगतान होने तक समान किशतों द्वारा किया जाए।</p> <p>क्योंकि रसीदें वित्त वर्ष 2015-16 की समाप्ति से पहले प्राप्त नहीं हुई हैं, इसलिए इन्हें वित्त वर्ष 2015-16 के अग्रिम में समायोजित कर पाना संभव नहीं है।</p> <p>उपर्युक्त सिफारिशें नोट कर ली गई हैं। अगले वर्ष की वित्तीय विवरण तैयार करते समय, आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।</p> <p>मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इस मामले के संबंध में आवश्यक कदम उठा लिए हैं।</p>

कृते बोर्ड निदेशक मंडल

हस्ता/-  
अश्विनी भिड़े  
प्रबंध निदेशक

हस्ता/-  
ए.ए.भट्ट  
निदेशक



**Addendum to the Directors' Report for the Financial Year ended 31st March, 2016 signed on 08.09.2016**

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNT OF THE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016**

Sr. No. in Annexure of C&AG Comments	Comments of Auditor	Reply by the Audit Committee
1.	<p><b>A. <u>COMMENTS ON FINANCIAL POSITION.</u></b></p> <p><b>Balance Sheet</b>  <b>Current Liabilities. Rs.344,38,36,710/-</b>  <b>Short Term Provisions : Rs.2,62,684/-</b></p> <p>1. The above does not include Rs.60,87,26,935 (Rs.60.87 Crores) being payments adjustable (from Sept, 2015 to March 2016) from the mobilization advance given to three General Consultants as per the terms of the respective agreements. Non-provisioning of liabilities has resulted in understatement of short term provisions and CWIP by Rs. 60,87,26,935 (Rs.60.87 Crores).</p>	<p><b>Comments of the CAG are noted.</b></p> <p>In this regard it is to be noted that the terms of agreement says" The advance payment will be set off by the client in equal installments against the invoices for the first 12 months of the services commencing in the 3rd month until the advance payment has been fully set off"</p> <p>Since invoices has not been received before closing of the financial statement of 2015-16, hence it was not possible to adjust in the financial statement of 2015-16 against advances.</p> <p>The above recommendation is noted. Necessary corrective action will be taken while preparing the financial statement of next year.</p> <p>MMRC has taken necessary steps to address this matter for financial year 2016-17.</p>

**For & on behalf of the Board of Directors**

Sd/-  
**Ashwini Bhide**  
**Managing Director**

Sd/-  
**Ajaykumar A. Bhatt**  
**Director**

Place: Mumbai  
 Date: 09.03.2017



भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग  
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - I, मुंबई  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-I, MUMBAI

गोपनीय/शीघ्र डाक  
संख्या: जी ए/ सी ए-1/ लेखा/एम एम आर सी एल /2015-16/319

13 FEB 2017

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,  
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,  
एन ए एम टी टी आर आई बिल्डिंग,  
प्लॉट नं. आर 13, ई ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051

विषय: 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा दी गई टिप्पणियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं। टिप्पणियों को मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदन के विषयसूची में उचित संकेत सहित सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आगे रखा जाये।

वार्षिक सामान्य बैठक के समापन के पश्चात, वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को अपनाते हुए सामान्य वार्षिक बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को अविलंब अग्रोषित की जाए। मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की दस प्रतियाँ भी इस कार्यालय को भेजी जायें।

कृपया इस पत्र एवं संलग्नों की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

हस्ता/-  
(रूप राशि)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा  
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड -I, मुंबई

संलग्न: यथोपरि।



भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग  
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - I, मुंबई  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-I, MUMBAI

गोपनीय/शीघ्र डाक  
संख्या: जी ए/ सी ए-1/ लेखा/एम एम आर सी एल /2015-16/319

13 FEB 2017

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,  
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,  
एन ए एम टी टी आर आई बिल्डिंग,  
प्लॉट नं. आर 13, ई ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051

विषय: 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा दी गई टिप्पणियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं। टिप्पणियों को मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदन के विषयसूची में उचित संकेत सहित सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आगे रखा जाये।

वार्षिक सामान्य बैठक के समापन के पश्चात, वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को अपनाते हुए सामान्य वार्षिक बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को अविलंब अग्रोषित की जाए। मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की दस प्रतियाँ भी इस कार्यालय को भेजी जायें।

कृपया इस पत्र एवं संलग्नों की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीया.

हस्ता/-  
(रूप राशि)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा  
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड -I, मुंबई

संलग्न: यथोपरि।



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016**

The preparation of financial statements of Mumbai Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 08<sup>th</sup> September 2016.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Mumbai Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2016. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(a) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

**A. Comments on Financial Position**

**BALANCE SHEET**

**A. EQUITY AND LIABILITIES**

**Current Liabilities**

**(c) Short term provisions Rs. 2,62,684/-**

This does not include Rs. 60,87,26,935/- being payments adjustable (from September, 2015 to March 2016) from the mobilization advance given to three General Consultants as per the terms of the respective agreements. Non-provisioning of liabilities has resulted in understatement of short term provisions and CWIP by Rs. 60,87,26,935/-.

For and on the behalf of the  
Comptroller and Auditor General of India

sd/-

(Roop Rashi)

Principal Director of Commercial Audit and  
ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place : Mumbai

Date : 13 February 2017



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016**

The preparation of financial statements of Mumbai Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 08<sup>th</sup> September 2016.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Mumbai Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2016. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(a) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

**A. Comments on Financial Position**

**BALANCE SHEET**

**A. EQUITY AND LIABILITIES**

**Current Liabilities**

**(c) Short term provisions Rs. 2,62,684/-**

This does not include Rs. 60,87,26,935/- being payments adjustable (from September, 2015 to March 2016) from the mobilization advance given to three General Consultants as per the terms of the respective agreements. Non-provisioning of liabilities has resulted in understatement of short term provisions and CWIP by Rs. 60,87,26,935/-.

For and on the behalf of the  
Comptroller and Auditor General of India

sd/-

(Roop Rashi)

Principal Director of Commercial Audit and  
ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place : Mumbai

Date : 13 February 2017



## स्वतंत्र लेखापरीक्षककी रिपोर्ट

सेवा में,  
सदस्य  
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित

### वित्तीय विवरण रिपोर्ट

हम ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित(कंपनी) के वित्तीय विवरण जिसमें 31 मार्च 2016 तक का तुलन पत्र, समाप्त वर्ष की लाभ व हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना को शामिल किया गया है, का लेखापरीक्षण किया है।

### वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 133 अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों को शामिल करते हुए भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा कंपनी में नकदी प्रवाह की सही एवं स्पष्ट जानकारी देने वाले वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में विनिर्दिष्ट मामलों के लिए निदेशक बोर्ड जिम्मेदार है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताएँ को रोकने एवं पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग करने, जो उचित एवं तर्कपूर्ण है उसका निर्णय लेने तथा प्राक्कलन करने तथा किसी भी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत ब्यान से परे, सही एवं स्पष्ट जानकारी देने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखा रेकॉर्ड की यथार्थता एवं परिपूर्णता प्रभावपूर्ण सुनिश्चित करने का कार्य करने वाले पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रूपांकन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण करना भी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।

### लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन एकाएक वित्तीय विवरणों पर सुझाव व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा एवं लेखापरीक्षा मानकों तथा अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निहित नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन मामलों को शामिल करना अपेक्षित है, को शामिल किया है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप अपनी लेखापरीक्षा की थी। उन मानकों की जरूरत है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण गलत ब्यान से मुक्त है या नहीं का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की व्यवस्था तथा निष्पादन करें।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण की राशि तथा प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना होता है। प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है जैसे वित्तीय विवरण के वास्तविक





**RSVA & Co.,**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**

Block 1, 3rd Floor, Khaitan Chambers  
143-145, Modi Street, Fort, Mumbai 40001.  
Tel: 22655793 • Email: rsvafort@gmail.com

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To  
The Members of Mumbai Metro Rail Corporation Limited,

### Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **Mumbai Metro Rail Corporation Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2016, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

### Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2011. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial

कथनों में कमी, चाहे वह धोखाधड़ी से किया गया हो या गलती से, का जोखिम निर्धारण करना। जोखिम निर्धारण करते समय, लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के समय परिस्थिति के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने में सत्य एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को सही समझता है। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के पूरी तरह मूल्यांकन के साथ-साथ कंपनी निदेशकों द्वारा बनाए लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा अनुमानों का औचित्य का मूल्यांकन भी किया जाता है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, पर्याप्त है तथा वित्तीय विवरण पर हमारे लेखापरीक्षा सुझाव देने का आधार बनाने के लिए उचित है।

## सुझाव

हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित एवं निर्धारित तरीके में सूचना प्रदान करता है तथा भारत में समान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में 31 मार्च 2016 तक के कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा वर्ष के उक्त तिथितक इसकी लाभ व हानि और इसकी नकदी प्रवाह का सत्य व निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करती है।

## महत्वपूर्ण तथ्य

- (क) हम प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों से संबन्धित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न अनुसंलग्नक "विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ" के नोट २.८ के बारे में बताना चाहते हैं। आकस्मिक दायित्व को तुलन पत्र की तिथि तक परिणामित नहीं किया गया है। अतः हम इस रिपोर्ट में अपेक्षित इसके वित्तीय विवरण पर होने वाले वित्तीय प्रभाव पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- (ख) हम रु ९५.२७ करोड़ की कार्यगत पूंजी को दर्शाता नोट संख्या १० के बारे में बताना चाहते हैं। वर्ष के दौरान कार्यगत पूंजी की कुछ मद्दे गत वर्ष में कार्यगत पूंजी में शामिल नहीं की गई थी तथा लाभ व हानि से रु १.६२ करोड़ की राशि नामे कर दी गई थी। गत वर्ष के दौरान, यदि वे व्यय कार्यगत पूंजी में गिने जाते तो उस वर्ष की शुद्ध हानि से वह राशि कम हो जाती।

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

## अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित, आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों का विवरण, जहां तक उचित है, अनुसंलग्नक-1 में दी जा रही है।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:
  - (क) हमारी लेखापरीक्षा से संबन्धित अत्यंत उपयोगी एवं विश्वसनीय सभी सूचना एवं व्याख्यान हमने मांगें हैं तथा प्राप्त किए हैं।



statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

#### **Opinion**

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31<sup>st</sup> March, 2016, and its statement of profit/loss and its cash flows for the year ended on that date.

#### **Emphasis of Matter**

- a) We draw attention to the note 2.8 in the 'Significant Accounting Policies' annexed to the financial statements relating to Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. The Contingent liability has not been quantified as on the date of Balance Sheet and hence we are unable to comment on its financial impact on the financial statements contemplated in this report.
- b) We draw attention to Note No 10 showing Capital Work in Progress (CWIP) at Rs. 95.27 crores. Certain of the items considered as CWIP during the year were not considered as items of CWIP in the immediate previous year and were debited to Profit and Loss Account which is amounting to Rs. 1.62 Cr. During the previous year, if such expenses were considered as part of CWIP, net Loss would have reduced by that amount in that year.

Our opinion is not modified in respect of these matters

#### **Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure A, a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the order.
2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
  - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

- (ख) हमारे विचार में, उन बही खातों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है कि विधि के अनुपालन में, कंपनी द्वारा लेखों के बही खाते उचित स्थान पर रखे हुए हैं।
- (ग) इस रिपोर्ट के अनुसार प्रयोग में ली गई तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखापुस्तकों के करार के अनुरूप हैं।
- (घ) हमारे विचार में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण में कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।
- (ङ) 31 मार्च 2016 तक निदेशक बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड किए गए निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार, 31 मार्च 2016 तक भी कोई भी निदेशक निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- (च) कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी ने औपचारिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के कार्यान्वयन का कार्य लिया है। लेखापरीक्षा के अंतर्गत कार्यान्वयन प्रक्रिया वर्ष के दौरान अपने अंतिम चरण तक नहीं पहुंची है जोकि पूर्णतः कार्यान्वित होनी चाहिए थी। अतः कार्यान्वयन की प्रचालन प्रभावता की इसके पूर्ण होने के उपरांत समीक्षा की जाएगी।
- (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए व्याख्यानों के अनुसार:
- कंपनी पर कोई मुकदमा नहीं है जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव हो।
  - कंपनी का, संजात संविदा को शामिल करते हुए, कोई दीर्घावधि संविदान ही है जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वाभास नुकसान हो।
  - कंपनी के द्वारा निवेशक शिक्षा व सुरक्षा कोष में कोई राशि अंतरण हेतु शेष नहीं थी।
3. कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४३(५) के अंतर्गत रिपोर्ट  
कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४३(५) के अंतर्गत निर्देश

क्रम संख्या	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी का पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टे पर दी गई क्रमशः भूमि का शीर्षक/ पट्टा विलेख स्पष्ट है? यदि नहीं, पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे पर दी गई भूमि, जिसके लिए शीर्षक/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है, के क्षेत्रफल का विवरण दें।	कंपनी की तुलन पत्र की तिथि तक कोई पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति नहीं है  कंपनी के पास हुडको से पट्टे पर लिए गए परिसर के पट्टे विलेख की भौतिक प्रति है।



- (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books
- (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- (d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- (e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31<sup>st</sup> March, 2016, taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31<sup>st</sup> March, 2016 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
- (f) The Company has taken up implementation of formal Internal Financial Controls (IFC) over Financial Reporting as stipulated under the provisions of Companies Act, 2013. The implementation process has not culminated to final stage during the year under audit which needs to be implemented fully. Hence, operating effectiveness of implementation will be reviewed upon its completion.
- (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
  - i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position
  - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
  - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

3. Report u/s 143(5) of the Companies Act, 2013

Directions u/s 143(5) of the Companies Act, 2013

Sr No.	Directions	Answer
1	Whether the Company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and lease hold land for which title/lease deeds are not available?	The Company does not own any freehold Property as on the date of Balance Sheet. The Company has physical copy of Lease Deed for the premises leased from HUDCO.

2	क्या उधार/ऋण/ब्याज का अधित्याग/बट्टे खाते डालना इत्यादि का कोई मामला है? यदि है तो उसका कारण तथा राशिका विवरण दें।	लेखापरीक्षा के समय कंपनी द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष में इस प्रकार का कोई मामला घटित नहीं हुआ है।
3	अन्य दलों के पास रखे गए स्टॉक तथा सरकार या अन्य प्राधिकारों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रेकॉर्ड का रखा हुआ है?	कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान इस प्रकार की कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

आर.एस.वी.ए. एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार

हस्ता/-

स्थान: मुंबई

तिथि: 08 सितम्बर 2016

बी. एन. राव  
भागीदार  
स. सख्या 039555



2	Whether there are any cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.	As informed by the Company no such transactions took place during the year under audit.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift/grant(s) from Govt. or other authorities?	As informed by the company there are no such assets owned by the company during the year under audit.

For RSVA & CO.  
Chartered Accountants

Place: Mumbai  
Date: 08<sup>th</sup> September 2016

sd/-  
B N Rao  
Partner  
M No. 039555

## अनुसंलग्नक ए "स्वतंत्रलेखापरीक्षककी रिपोर्ट"

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षिताओं शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में:

- (i) (क) कंपनी ने परिमाणात्मक विवरण तथा स्थायी संपत्ति की स्थिति को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण दर्शाता उचित रिकॉर्ड रखा हुआ है।  
(ख) इस की स्थायी संपत्ति की प्रबंधन द्वारा चरण बद्धतरी के, जिस में तीन वर्ष की अवधि में स्थायी संपत्ति की जांच की जाती है, से वास्तविक जांच की जा चुकी है। हमारे विचार में, कंपनी के आकार तथा इस के कार्य की प्रकृतिको ध्यान में रखते हुए, वास्तविक जांच की अवधि का समय तर्कपूर्ण है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कुछ स्थायी सम्पत्तियों की जांच की गई थी तथा इस जांच के दौरान लेखा रिकॉर्ड तथा वास्तविक स्थायी परिसंपत्ति में किसी भी प्रकार की भौतिक कमी नहीं पाई गई है।
- (ii) वर्तमान में, कंपनी 'रेलवे परियोजना विकास कार्यक्रम' में कार्यरत है तथा तुलन पत्र की तिथि तक कंपनी द्वारा किसी प्रकार की प्रचालन कार्य, जिससे कोई व्यापार या माल सूची का स्टॉक प्रभावित हो, प्रारम्भ नहीं किया गया है।
- (iii) कंपनीने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में दी गई कंपनी, प्रतिष्ठान या अन्य पार्टों को किसी भी प्रकारका, सुरक्षित या असुरक्षित, ऋण मंजूरन हीं किया है। तदनुसार, आदेशके खंड 3(iii) (क) व (ख) कंपनी के लिए लागू नहीं हैं इस लिए उनपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है।
- (iv) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्याओं के अनुसार तथा हमारे विचार में, ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है।
- (v) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है। अतः जनता की जमा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश तथा अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान और अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधान तथा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियमावली, 2015 कंपनी पर लागू नहीं है।
- (vi) हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी की गतिविधियों के संबंध में लागत रेकॉर्ड के अनुरक्षण विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- (vii) (क) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्या नों के अनुसार तथा कंपनी के रेकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अविवादास्पद सांविधिक देय जैसे भविष्यनिधि, आय कर, पूंजी कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, कीमत बढ़ोतरी कर, उप कर तथा अन्य वास्तविक सांविधिक देय से संबंधित कटौती/प्रोदभूत राशि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूपसे संबंधित प्राधिकार को जमा किए गए हैं। हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्याओं के अनुसार, 31 मार्च 2016 तक उपर्युक्त के संबंध में कोई अविवादास्पद राशि देय नियत तिथि से 6 महीने से अधिक समयके लिए बकाया नहीं थे।

### “Annexure A” to the Independent Auditors’ Report

Referred to in paragraph 1 under the heading ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirement’ of our report of even date to the financial statements of the Company for the year ended March 31, 2016:

- (i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets;
 

(b) The Fixed Assets have been physically verified by the management in a phased manner, designed to cover all the items over a period of three years, which in our opinion, is reasonable having regard to the size of the company and nature of its business. Pursuant to the program, a portion of the fixed asset has been physically verified by the management during the year and no material discrepancies between the books records and the physical fixed assets have been noticed.
- (ii) Presently, the Company is engaged in ‘Railway Project Development activity’ and there are no Operating activities undertaken by the Company till the date of Balance Sheet resulting into any Stock in Trade or Inventory.
- (iii) The Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability partnerships or other parties covered in the Register maintained under section 189 of the Act. Accordingly, the provisions of clause 3 (iii) (a) to (C) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of loans, investments, guarantees, and security.
- (v) The Company has not accepted any deposits from the public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2015 with regard to the deposits accepted from the public are not applicable.
- (vi) As informed to us, the maintenance of Cost Records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of Section 148 of the Act, in respect of the activities carried on by the company.
- (vii) (a) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, and records, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Sales tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value added Tax, Cess and any other statutory dues with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above were in arrears as at March 31,

- (ख) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार, कोई आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, किसी विवाद के कारण बकाया कीमत बढ़ोतरी शुल्क देय नहीं है।
- (viii) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी ने बैंकों की देय राशि का भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने जापानी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (JICA) से 'Pass Through assistance' द्वारा रु 106.64 करोड़ की राशि का कर्ज लिया है। इसके अलावा, कंपनी के मुंबई महानगर शहरी विकास प्राधिकरण से रु 63.40 करोड़ तथा भारत सरकार से रु 30.32 करोड़ की राशि का कर्ज लिया है। हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार कोई भी कर्ज लौटने के लिए देय नहीं है।
- (ix) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन से प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने सरकारी प्रतिभूतियों तथा उक्त 8 में दर्शाए गए ऋण के अलावा अन्य मियादी ऋण को शामिल करते हुए प्रारम्भिक जन प्रस्ताव या पुनः जन प्रस्ताव के माध्यम से कोई राशि अर्जित नहीं की है। कंपनी ने उसी उद्देश्य हेतु ऋण के लिए आवेदन किया है जिसके लिए उनका पहले आवेदन किया गया था।
- (x) हमें प्रदान की गई सूचना व व्याख्यानों के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की धोखेबाज़ी न तो पाई गई है और न ही रिपोर्ट की गई है।
- (xi) हमारे विचार में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश का खंड 4(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- (xii) हमारे विचार में, संबन्धित पार्टियों से सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं तथा उपयुक्त लेखा मानकों के अनुपालन में, वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए हैं।
- (xiii) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया पर आधारित तथा प्रबंधन से प्राप्त सूचना व व्याख्यानों के आधार पर, समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई अधिमानी आबंटन या शेयर गिरवी रखना या पूर्णतः या आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। अतः इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
- (xiv) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया पर आधारित तथा प्रबंधन से प्राप्त सूचना व व्याख्यानों के आधार पर, कंपनी द्वारा निदेशक या उससे संबन्धित किसी व्यक्ति से गैर नकदी लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। अतः इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।



2016 for a period of more than six months from the date on when they become payable.

(b) According to the information and explanation given to us, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax outstanding on account of any dispute.

- (viii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in the repayment of dues to banks. The Company has availed loan from Japanese International Cooperation Agency (JICA) through 'Pass through assistance' amounting to Rs. 106.64 crores. In addition, the company has taken loans from Mumbai Metropolitan Region Development Authority Rs. 63.40 crores and Rs. 30.32 crores from Govt of India. None of these loans have become due for repayment as per information and explanations given to us.
- (ix) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer including debt instruments and term Loans other than those mentioned in clause 8 above. The Company has applied loans for the purpose for which those were taken.
- (x) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, we report that no fraud by the Company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- (xi) In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 4 (xii) of the Order are not applicable to the Company.
- (xii) In our opinion, all transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, 2013 and the details have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards.
- (xiii) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of clause 3 (xiv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- (xiv) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3 (xv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(xv) हमारे विचार में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 IA के अंतर्गत कंपनी के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। अतः इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

आर.एस.वी.ए. एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

हस्ता/-  
बी. एन. राव

भागीदार  
स. सख्या 039555

स्थान: मुंबई  
तिथि: 08 सितम्बर 2016

15) In our opinion, the company is not required to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and accordingly, the provisions of clause 3 (xvi) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

For RSVA & CO.  
Chartered Accountants

Place: Mumbai  
Date: 08<sup>th</sup> September 2016

sd/-  
B N Rao  
Partner  
M No. 039555

## 31 मार्च 2016 तक का तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

	विवरण	नोट	31मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक	
क	इक्विटी तथा देयताएं शेयर धारकों की निधि	(क) शेयर पूंजी	732,000,000	500,000	
		(ख) रिसर्व एवं अधिशेष	17,786,850	(54,086,601)	
	गैर-चालू देयताएं	(क) दीर्घावधि ऋण	<b>1,369,637,444</b>	-	
		चालू देयताएं			
	(क) अल्पावधि उधारी	1,288,444,621	819,242,072		
	(ख) अन्य चालू देयताएं	35,705,111	929,388		
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	262,684	2,047,184		
	<b>कुल</b>		<b>3,443,836,710</b>	<b>768,632,043</b>	
	ख	परिसंपत्तियाँ	गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		
			(क) स्थायी परिसंपत्तियाँ		
(i) मूर्तसंपत्तियाँ			9,876,326	5,823,727	
(ii) पूंजी कार्य प्रगति पर		952,716,388	677,277,380		
वर्तमान परिसंपत्तियाँ		(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य	1,683,640,669	83,415,454	
		(ख) अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम	782,711,660	96,997	
		(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	14,891,667	2,018,485	
		<b>कुल</b>	<b>3,443,836,710</b>	<b>768,632,043</b>	
	संलग्न वित्तीय विवरणों के रूप में तैयार नोट्स को देखें				

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते बोर्ड निदेशक मंडल

आर. एस. वी. ए. एंड कंपनी..

सनदी लेखाकार

फ़ॉर्म पंजीकरण सं 110504W

हस्ता/-

बी. एन. राव

भागेदार

सदस्यता क्रमांक 039555

स्थान: मुंबई

तिथि: 08 सितम्बर 2016

हस्ता/-

अश्विनी भिड़े

प्रबंध निदेशक

हस्ता/-

इंद्रनील सरकार

मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-

ए.ए.भट्ट

निदेशक

हस्ता/-

ऋतु देब

कंपनी सचिव



## BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

(Amount in Rs )

Particulars	Note NO.	As at 31 March, 2016	As at 31 March, 2015
		Rs.	Rs.
<b>A EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>1 Shareholders' Funds</b>			
(a) Share Capital	3	732,000,000	500,000
(b) Reserves and Surplus	4	17,786,850	(54,086,601)
<b>2 Non-Current Liabilities</b>			
(a) Long Term Borrowings	5	1,369,637,444	-
<b>3 Current liabilities</b>			
(a) Short Tem Borrowing	6	1,288,444,621	819,242,072
(b) Other Current Liabilities	7	35,705,111	929,388
(c) Short Term Provisions	8	262,684	2,047,184
<b>TOTAL</b>		<b>3,443,836,710</b>	<b>768,632,043</b>
<b>B ASSETS</b>			
<b>1 Non-Current Assets</b>			
(a) Fixed Assets			
(i) Tangible Assets	9	9,876,326	5,823,727
(ii) Capital Work-in-Progress	10	952,716,388	677,277,380
<b>2 Current Assets</b>			
(a) Cash and Cash Equivalent	11	1,683,640,669	83,415,454
(b) Short -Term Loan and Advances	12	782,711,660	96,997
(c) Other Current Assets	13	14,891,667	2,018,485
<b>TOTAL</b>		<b>3,443,836,710</b>	<b>768,632,043</b>
See accompanying notes forming part of the financial statements			

In terms of our report attached.

**For RSVA & Co.,**  
Chartered Accountants  
FRN : 110504W

**Sd/-**  
**B N Rao**  
Partner  
Membership No. : 039555

Place : Mumbai  
Date :08.09.2016

**For and on behalf of the Board of Directors**

**Sd/-**  
**Ashwini Bhide**  
Managing Director

**Sd/-**  
**A. A. Bhatt**  
Director

**Sd/-**  
**Indranil Sarkar**  
Chief Financial Officer

**Sd/-**  
**Ritu Deb**  
Company Secretary

## 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण (राशि रुपयों में)

	विवरण	नोट	31मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
१	परिचालन से राजस्व		-	-
२	अन्य आय	14	64,469,768	5,232,336
३	<b>कुल राजस्व (1+2)</b>		<b>64,469,768</b>	<b>5,232,336</b>
४	<b>व्यय</b>			
	(क) कर्मचारी हितलाभ व्यय	15	-	4,140,497
	(ख) मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	16	4,718,881	902,176
	(ग) अन्य व्यय	17	26,478,639	16,634,786
	<b>कुल व्यय</b>		<b>31,197,520</b>	<b>21,677,459</b>
			<b>33,272,248</b>	<b>(16,445,123)</b>
5	असाधारण मदें तथा कर (3+4) पूर्वलाभ/हानि असाधारण मदें		-	(30,295,460)
६	करपूर्व लाभ/हानि(5+6) करव्यय	18	33,272,248	(46,740,583)
	(क) चालूकर व्यय		11,398,797	-
	(ख) आस्थगित कर		-	-
७	वर्ष के लिए लाभ/हानि(7+8)		21,873,451	(46,740,583)
८	प्रति इक्किटी शेयरपर आय (प्रत्येकरु100/-के):		4.52	(9,348)
	(क) मूल			
	(ख) तनूकृत			
९	प्रति इक्किटी शेयर पर आय (असाधारण मदों को शामिल न करते हुए) (प्रत्येक रु100/-के):		4.52	(3,289)
	(क) मूल			
	(ख) तनूकृत			
10	संलग्न वित्तीय विवरणों के रूप में तैयार नोट्स को देखें			

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते बोर्ड निदेशक मंडल

आर. एस. वी. ए. एंड कंपनी..

सनदी लेखाकार

फ़र्म पंजीकरण सं 110504W

हस्ता/-

बी. एन. राव

भागेदार

सदस्यता क्रमांक 039555

स्थान: मुंबई

तिथि: 08 सितम्बर 2016

हस्ता/-

अश्विनी भिड़े

प्रबंध निदेशक

हस्ता/-

इंद्रनील सरकार

मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-

ए.ए.भट्ट

निदेशक

हस्ता/-

ऋतु देब

कंपनी सचिव

## STATEMENT OF PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

(Amount in Rs )				
	Particulars	Note No.	As at 31 March, 2016 Rs.	As at 31 March, 2015 Rs.
1	Revenue from Operations		-	-
2	Other Incomes	14	64,469,768	5,232,336
3	<b>Total revenue (1+2)</b>		<b>64,469,768</b>	<b>5,232,336</b>
4	<b>Expenses</b>			
	(a) Employee Benefits Expense	15	-	4,140,497
	(b) Depreciation and Amortisation Expense	16	4,718,881	902,176
	(c) Other Expenses	17	26,478,639	16,634,786
	<b>Total Expenses</b>		<b>31,197,520</b>	<b>21,677,459</b>
5	<b>Profit / (Loss) before Exceptional Items and Tax (3 ± 4 )</b>		<b>33,272,248</b>	<b>(16,445,123)</b>
6	Exceptional Items	18	-	(30,295,460)
7	<b>Profit / (Loss) before Tax (5 +6)</b>		<b>33,272,248</b>	<b>(4,67,40,583)</b>
8	<b>Tax Expense:</b>			
	(a) Tax for Current Year		11,398,797	-
	(b) Deferred Tax		-	-
	<b>Profit / (Loss) for the year (7 ± 8)</b>		<b>21,873,451</b>	<b>(4,67,40,583)</b>
9	<b>Earning per Equity Share of Rs. 100 each</b>			
	1) Basic		4.52	(9,348)
	2) Diluted			
10	<b>Earning per Equity Share of Rs. 100 each (excluding exceptional ietms)</b>			
	1) Basic		4.52	(3,289)
	2) Diluted			
	See accompanying notes forming part of the Financial Statements			

In terms of our report attached.

**For RSVA & Co.,**

Chartered Accountants

FRN : 110504W

Sd/-

**B N Rao**

**Partner**

Membership No. : 039555

Place : Mumbai

Date :08.09.2016

**For and on behalf of the Board of Directors**

Sd/-

**Ashwini Bhide**  
Managing Director

Sd/-

**Indranil Sarkar**  
Chief Financial  
Officer

Sd/-

**A. A. Bhatt**  
Director

Sd/-

**Ritu Deb**  
Company Secretary

## 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 तक समाप्त वर्ष के लिए
<b>क) प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>	<b>21,873,451</b>	<b>(16,445,123)</b>
कर उपरांत लाभ/हानि		
समायोजन:	<b>4,718,881</b>	<b>902,176</b>
मूल्यहास एवं परिशोधन		
<b>कार्य पूंजी में बदलाव से पूर्व प्रचालन लाभ</b>	<b>26,592,332</b>	<b>(15,542,947)</b>
समायोजन:		
अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम	(782,614,663)	(80,997)
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	(12,873,182)	244,799
अल्पावधिऋण	469,202,549	175,908,316
व्यापारदेय	-	(199,655)
अन्यवर्तमान देयताएं	34,775,723	911,537
अल्पावधि प्रावधान	(1,784,500)	2,047,184
<b>परिचालन से उत्पन्न नकदी</b>	<b>(266,701,741)</b>	<b>163,288,237</b>
अपवादात्मक मदों से नकदी प्रवाह	-	(30,295,460)
<b>(प्रयोग)/प्रचालन क्रिया कलापों से शुद्ध नकदी (क)</b>	<b>(266,701,741)</b>	<b>132,992,777</b>
<b>(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
स्थायी सम्पत्तियों की खरीदी	(8,771,480)	(6,587,699)
कार्यरत पूंजी में वृद्धि	(275,439,008)	(98,034,082)
	(284,210,488)	(104,621,781)
<b>(प्रयोग)/निवेशी गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ख)</b>		
<b>(ग) वित्तीय नगतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना	731,500,000	-
दीर्घावधि उधारी	1,369,637,444	-
पूंजी रिसर्व	50,000,000	-
	2,151,137,444	-
<b>(प्रयोग)/वित्तीय नगतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)</b>		
<b>नकदी एवं नकदी समतुल्य में शुद्ध बदलाव</b>	<b>1,600,225,215</b>	<b>28,370,996</b>
<b>नकदी एवं नकदी समतुल्य का अथशेष</b>	<b>83,415,454</b>	<b>55,044,458</b>
<b>नकदी एवं नकदी समतुल्य का अंतशेष</b>	<b>1,683,640,669</b>	<b>83,415,454</b>

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते बोर्ड निदेशक मंडल

आर. एस. वी. ए. एंड कंपनी..

सनदी लेखाकार

फ़र्म पंजीकरण सं 110504W

हस्ता/-

बी. एन. राव

भागदार

सदस्यता क्रमांक 039555

स्थान: मुंबई

तिथि: 08 सितम्बर 2016

हस्ता/-

अश्विनी भिड़े

प्रबंध निदेशक

हस्ता/-

इंद्रनील सरकार

मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-

ए.ए.भट्ट

निदेशक

हस्ता/-

ऋतु देब

कंपनी सचिव



## CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2016

(Amount in Rs.)

Particulars	Year ended as on 31st March 2016	Year ended as on 31st March 2015
<b>A. Cash Flows from Operating Activities</b>		
Profit/(Loss) after Tax	21,873,451	(16,445,123)
<b>Adjustments for:</b>		
Depreciation and Amortisation	4,718,881	902,176
	<b>26,592,331</b>	<b>(15,542,947)</b>
<b>Operating Profit before Working Capital Changes</b>		
Adjustments for:		
Short Term Loans and Advances	(782,614,663)	(80,997)
Other Current Assets	(12,873,182)	244,799
Short Term Borrowings	469,202,549	175,908,316
Trade Payables		(199,655)
Other Current Liabilities	34,775,723	911,537
Short Term Provisions	(1,784,500)	2,047,184
Cash Generated from Operations	<b>(266,701,741)</b>	<b>163,288,237</b>
Cash flow from Exceptional Items	-	(30,295,460)
<b>Net Cash(used in)/from Operating Activities (A)</b>	<b>(266,701,741)</b>	<b>132,992,777</b>
<b>B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
Purchase of Fixed Assets	(8,771,480)	(6,587,699)
Increase in Capital Work-in-Progress	(275,439,008)	(98,034,082)
<b>Net Cash(used in)/from Investing Activities (B)</b>	<b>(284,210,488)</b>	<b>(104,621,781)</b>
<b>C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
Issue of Equity Share Capital	731,500,000	-
Long Term Borrowings	1,369,637,444	-
Transfer to Capital Reserve	50,000,000	-
<b>Net Cash(used in)/ from Financing Activities (C)</b>	<b>2,151,137,444</b>	<b>-</b>
<b>NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>	<b>1,600,225,215</b>	<b>28,370,996</b>
OPENING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS	83,415,454	55,044,458
CLOSING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS	<b>1,683,640,669</b>	<b>83,415,454</b>

In terms of our report attached.

For RSVA & Co.,  
Chartered Accountants  
FRN : 110504W

Sd/-

**B N Rao**  
Partner  
Membership No. : 039555

Place : Mumbai  
Date : 08.09.2016

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

**Ashwini Bhide**  
Managing Director

Sd/-

**A. A. Bhatt**  
Director

Sd/-

**Indranil Sarkar**  
Chief Financial Officer

Sd/-

**Ritu Deb**  
Company Secretary

## वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट संख्या	विवरण
<b>1</b>	<p><b>कॉर्पोरेट सूचना</b></p> <p>मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का निगमीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किया गया और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(85) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। इस कंपनी का गठन मुंबई शहर में मेट्रो रेल परियोजना III के कार्यान्वयन हेतु समान इक्विटी शेयरधारण करने वाले भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विशेष परियोजना माध्यम संस्थाके तहत किया गया था। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित परिचालन, अनुरीक्षण और संबन्धित क्रियाकलापों के सुनिश्चित संधारणीय प्रचालन में है।</p>
<b>2</b>	<p><b>महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ</b></p>
<b>2.1</b>	<p><b>लेखा के आधार एवं वित्तीय विवरणों का निर्माण</b></p> <p>कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211(3)(c) के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुपालन में भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जी.ए.ए.पी) के अनुसार किया गया है जोकि वाणिज्यिक कार्य मंत्रालय दिनांक 13 सितम्बर 2013 को जारी सामान्य परिपत्र सं 15/2013 की शर्तों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संदर्भ में लागू है। उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 1956 के संबन्धित प्रावधानों तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित (लेखा मानक) नियमावली का अनुपालन करती है। वित्तीय विवरणों का निर्माण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत प्रोद्भूत आधार पर बनाया गया है। सभी व्यय प्रत्यक्ष रूप से परियोजना की लागत के लक्षणों वाले हैं तथा शेष व्यय लाभ एवं हानि विवरण में राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित हैं।</p>
<b>2.2</b>	<p><b>प्राक्कलनों का प्रयोग</b></p> <p>भारतीय जी.ए.ए.पी. के अनुसरण में तैयार की गई वित्तीय विवरण में अपेक्षित है कि प्रबंधन प्रस्तुत परिसंपत्तियों एवं देयताओं का (आकस्मिक देयता सहित) तथा वर्ष के दौरान आय एवं व्यय की राशि तथा परिसंपत्तियों, देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण पर प्रभाव डालने वाले प्राक्कलनों एवं अभिग्रहण को धारण करें। इन प्राक्कलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों और वास्तविक परिणामोंका अंतर उस अवधि में गिना जाता है जिस अवधि में परिणाम स्पष्ट किए जाते हैं।</p>
<b>2.3</b>	<p><b>मूल्यहास एवं परिशोधन</b></p> <p>कंपनी अधिनियम 2013 के अधिनियमित होने और 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद लेखांकन अवधि में इसके लागू होने के फलस्वरूप, परिसंपत्ति का उसके शेष उपयोगी जीवन के अनुसार मूल्यहास किया गया है एवं लाभ एवं हानि विवरण में भी दर्शाया गया है।</p>
<b>2.4</b>	<p><b>राजस्व अभिज्ञान</b></p> <p>1. जमाओं पर ब्याज बकाया राशि और लागू दर पर समानुपातिक आधार पर मान्य किया गया है।</p> <p>2. लागू वित्तीय वर्ष में होने वाली राजस्व एवं व्यय की मदें जोकि पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से संबन्धित नहीं हैं, उन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।</p> <p>3. अन्य गैर प्रचालन आय को प्राप्तियों के आधार पर अभिज्ञान दी गई है।</p>

## Notes forming part of the Financial Statements

Note No.	Particulars
<b>1</b>	<p><b>Corporate Information</b></p> <p>Mumbai Metro Rail Corporation Limited is incorporated under the Companies Act, 2013 and is a Government Company within the meaning of Section 2(45) of the Companies Act, 2013. The Company was set up as a Joint venture between Government of India (GOI) and Government of Maharashtra (GOM) as a Special Vehicle Project, with equal equity shareholding, to implement the Metro Rail Project III in Mumbai city. MMRCL is in operation, maintenance and allied activities to ensure sustainable operations.</p>
<b>2</b>	<p><b>Significant Accounting Policies</b></p>
<b>2.1</b>	<p><b>Basis of Accounting and Preparation of Financial Statements</b></p> <p>The financial statements of the Company are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards notified under Section 211(3)(c) of the Companies Act, 1956 which continues to be applicable in respect of section 133 of the Companies Act, 2013 in terms of a general circular no.15/2013 dated 13th September, 2013 of the Ministry of Corporate Affairs. The said financial statements comply with the relevant provisions of the Companies Act, 1956 and as notified by the Central Government under Companies (Accounting Standards) Rules. The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention. All expenditure directly attributable to the cost of the project is capitalized and the remaining expenditure is charged off as revenue expenditure in the Statement of Profit and Loss.</p>
<b>2.2</b>	<p><b>Use of Estimates</b></p> <p>The preparation of the financial statements in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amounts of revenues and expenses during the reported period and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures of contingent liabilities on the date of financial statements. Actual results could differ from these estimates. Differences between actual results and estimates are recognized in the period in which the results are crystallised.</p>
<b>2.3</b>	<p><b>Depreciation and Amortisation</b></p> <p>Consequent to the enactment of the Companies Act, 2013 (the Act) and its applicability for accounting periods commencing on or after 1st April, 2014. The asset had been depreciated over the remaining useful life of the assets and the same is recognised in the Statement of Profit and Loss.</p>
<b>2.4</b>	<p><b>Revenue Recognition</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Interest on deposit is recognized on time proportion basis taking into account the outstanding amount and the rate applicable.</li> <li>2) Items of revenue and expenditure incurred in the current financial year that are not directly related to creation of a capital asset are charged off as revenue expenditure in the Statement of Profit and Loss.</li> <li>3) Other Non-operating incomes are recognized on receipt basis.</li> </ol>

## 2.5 मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन मर्यादित से अनुदान

कंपनी ने सी.एस.आई.ए. में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन मर्यादित से ३ मेट्रो स्टेशनों के निर्माण हेतु राशि जुटाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। वर्ष के दौरान कंपनी को रु ५,००,००,०००/- की राशि प्राप्त हुई है जो पूंजी रिसर्व में दर्शाई गई है।

## 2.6 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा के लेन-देन के संबंध में की गई प्रविष्टि लेन-देन की तिथि के विनिमय दर के अनुसार लेखांकित की है। विदेशी मुद्रा में मापी गई धन संबंधी मदें रिपोर्टिंग समय के भाव पर अंतरित की गई हैं। स्थायी परिसंपत्ति के अधिग्रहण करने में धन से संबंधित मदों में होने वाला मुद्रा विनिमय अंतर को पूंजीकरण से पहले पूंजी कार्य प्रगति में समायोजित किया गया है।

## 2.7 कर्मचारी हितलाभ

i) **भविष्य निधि:** कंपनी के योग्य कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के अंतर्गत विशेष प्रतिशत योजना जिसमें दोनों, कर्मचारी तथा कंपनी, कर्मचारी वेतन में सम्मिलित अंशदान करते हैं, में हितलाभ प्राप्ति हेतु हकदारित हैं। अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि लेखा में जमा किया जाता है।

ii) **उपदान:** उपदान भुगतान अधिनियम, १९७२ के तहत, उपदान प्रत्येक कर्मचारी, जिसमें ५ वर्ष या इससे अधिक सेवा पूर्ण कर ली है, को दिया जाना अनिवार्य है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित के परियोजना फेस में होने के कारण किसी भी कर्मचारी ने अर्हता अवधि पूर्ण नहीं की है। फिर भी, प्रोद्भूत मूल्यांकन के अनुसार, लेखा पुस्तकों में रु ६,९४,५८६/- की उपदान राशि का प्रावधान किया गया है।

iii) **अर्जित छुट्टी:** मानव संसाधन पॉलिसी के तहत, कंपनी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी हितलाभ देती है। प्रोद्भूत मूल्यांकन के आधार पर, इस देनदारी शीर्ष में रु १३,०९,८४५/- की राशि का प्रावधान किया गया है।

## 2.8 प्रावधान, आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

वर्तमान में कंपनी में पिछली घटनाओं के कारण बाध्यता को देखते हुए एक प्रावधान लाया गया तथा यह संभावित है कि बाध्यता का निपटान करने हेतु संसाधनों का व्यय अपेक्षित है जिसके लिए विश्वसनीय प्राक्कलन तैयार किया जा सकता है। प्रावधान, तुलन पत्र तक बाध्यताओं के निपटान हेतु, सर्वोत्कृष्ट प्राक्कलन के आधार पर सुनिश्चित किए जाते हैं। इनकी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा चालू सर्वोत्कृष्ट प्राक्कलनों को दर्शाने हेतु समायोजित किए जाते हैं। पिछली घटनाएं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के घटित होने के बाद जिसका अस्तित्व निश्चित किया जाता है या वर्तमान बाध्यता, जिसकी पहचान इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि यह संभावित नहीं था कि बाध्यता के निपटान हेतु संसाधनों का व्यय अपेक्षित होगा, आकस्मिक दायित्व से उत्पन्न होते हैं। तुलन पत्र की तिथि, निम्न दर्शाये गए घटना के अलावा, तक कंपनी पर को आकस्मिक दायित्व नहीं है।

कंपनी ने मुकदमा संख्या १९९९ के ६८४६ में हस्तक्षेप हेतु मुंबई उच्च न्यायालय में आवेदन किया है जिसमें रिजेंसी कन्वेन्शन सेंटर एवं होटल प्राइवेट लि. वादी तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रतिवादी है। मुकदमा वादी के पक्ष में १४३०४ स्केयर मीटर अधिमापन भूमि के प्लॉट के अभिकथित पट्टा से संबंधित है जिसमें कंपनी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से गुजरने वाली भूमिगत मेट्रो लाइन ३ डालेगी। उक्त मुकदमे के अंतिम फैसले के समय कंपनी द्वारा लिए गए दायित्व के अनुसार, वादी के पक्ष में पट्टे के अभिकथित करार के विशिष्ट निष्पादन के लिए तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वादी के पक्ष में पट्टा करार के पूरा होने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वादी को मुआवजा देने में असफल होने की स्थिति में, कंपनी सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त मूल्यांकन के आधार पर वादी को मुआवजा देना स्वीकार करती है। क्योंकि मूल्यांकन की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है इसलिए तुलन पत्र की तिथि तक आकस्मिक दायित्व की गणना कर पाना संभव नहीं है।



## 2.5 Grant from Mumbai International Airport Limited (MIAL)

The company had entered into MOU with MIAL for funding of three metro stations at CSIA. During the year the company has received Grant of Rs. 5,00,00,000/-, which is shown in the Capital Reserve.

## 2.6 Foreign Exchange Transaction/Translations

Transactions in foreign currency entered into by the Company are accounted at the exchange rate prevailing on the date of the transactions. Monetary items denominated in foreign currencies are translated at exchange rates as at the reporting date. Foreign exchange difference arising in respect of monetary item relating to acquisition of fixed assets are adjusted to the carrying cost of related capital work in progress prior to capitalization.

## 2.7 Employee Benefits

**i. Provident Fund:** The eligible employees of the Company are entitled to receive benefits under provident fund contributions at a specified percentage schemes in which both employees and the Company make monthly contribution of the covered employees salary. The contributions are paid to the Regional Provident Fund Account.

**ii. Gratuity:** Gratuity is payable as per Payment of Gratuity Act, 1972 to every employee who has rendered continuous service of five years or more. MMRCCL being at its project phase and none of the employees have completed the eligibility period for Gratuity. However, provisions as per actuarial valuations are made in the books of accounts for the Gratuity amounting to Rs. 6,94,586/-

**iii. Earned Leave:** The Company provides for earned leave benefits to the employees as per the HR policy. The liability on this account is recognized on the basis of actuarial valuation amounting to Rs. 13,09,845/-

## 2.8 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset

A provision is recognized when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. A contingent liability is recognized when a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain events beyond the control of the Company or a present obligation that is not recognized because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. There are no contingent liabilities as on the date of Balance Sheet except the event mentioned below.

The Company has applied to the High Court of Bombay for an intervention in the Suit number 6846 of 1999 wherein the Plaintiff is Regency Convention Centre and Hotels Pvt. Ltd and the Defendant is Airport Authority of India (AAI) and others. The suit is in relation to an alleged Lease, in favour of the plaintiff, of plot of land admeasuring 14304 sq. Mtr under which the company shall be laying down the underground Metro Line 3 passing through the International Airport. As per the undertaking by the company in the event of final conclusion of the said suit, in a decree for specific performance of the alleged agreement to lease in favour of the plaintiff and the execution of lease deed by AAI in favour of the plaintiff pursuant to the decree, failing the compensation by AAI, the Company undertakes to pay compensation to the plaintiff based on the evaluation from a Competent Authority. Since the date of evaluation is not yet finalized, quantification of such contingent liability, if and when it arises, is not possible as on the date of Balance Sheet.

## 2.9 स्थायी परिसंपत्तियाँ

### i) मूर्त स्थायी परिसंपत्ति

स्थायी परिसंपत्ति की गणना जमा मूल्यहास एवं अपसामान्य हानि की लागत से कम पर की गई है। मशीनी कलपुर्जे, यदि कोई, जिनका प्रयोग केवल स्थायी परिसंपत्ति के मदों के आधार और जिनका प्रयोग अनियमित रूप से अपेक्षित है, को पूंजीगत किया गया है तथा संबन्धित परिसंपत्ति के मुख्य मदों के प्रयोगात्मक जीवन मूल्यहास पर किया गया है। स्थायी परिसंपत्ति से संबन्धित बाद के व्यय को तभी पूंजीगत किया जाता है जबवह व्यय भविष्य में उस संपत्ति से होने वालेलाभों को बढ़ाने वाले साबित होतथा परिसंपत्ति के पूर्व मूल्यांकित निष्पादन मानकों से अधिक हो।

### ii) पूंजी कार्य प्रगति पर

तुलन पत्र में परिसंपत्ति जो विनिर्माण के अंतर्गत है उसे कार्यगत पूंजी(सी.डब्ल्यू.आई.पी) के रूप में दर्शाया गया है। परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यय को पूंजीगत किया गया है। परियोजना के विभिन्न उपादानों से संबंधित सभी प्रत्यक्ष व्यय को संबन्धित शीर्षों में पूंजी कार्य प्रगति पर के रूप में लेखांकित किया गया है। सामान्य व्यय जोकि विनिर्माण क्रियाकलाप से सीधे संबन्धित हैं लेकिन कार्य के एक से अधिक उपादानों से संबन्धित हैं उन्हें कार्यगत पूंजी में एक साथ विनिर्माण के दौरान व्यय में दर्शाया गया है जोकि पूर्णता पर विभिन्न परिसंपत्तियों को आबंटित किया गया है। वेतन प्रकृति तथा अन्य व्ययों (परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से संबन्धित) को परियोजना विनिर्माण अधीन होने की तिथि से कार्यगत किया गया है। मेट्रो लाइन III से संबंध न रखने वाले व्यय रु १७,६५,६०,४४२/- (गत वर्ष रु ७,१४,७८,२००) के संबंध में मुंबई महानगर शहरी विकास प्राधिकरण में समायोजित किया था।

## 2.10 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुलयों में बैंक में जमा नकदी तथा बैंक में लघु मियादी जमा को सम्मिलित किया गया है।

## 2.11 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह लेखा मानक AS -३ के तहत अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा दर्शाई गई है जिसमें लाभ एवं हानि गैर नकदी प्रकृति वाले लेन-देन तथा किसी प्रकार के स्थगन या पिछले या भावी नकद प्राप्तियों या भुगतान के प्रोद्भूत के प्रभाव हेतु समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीयन कार्यों से नकदी प्रवाह उपलब्ध सूचना के आधार पर अलग किए जाते हैं।

## 2.12 निवेश

यह परिसंपत्ति ब्याज आय के माध्यम से की जाने वाली आय हेतु ग्रहण की जाती है। निवेश से संबन्धित मामले निवेश समिति द्वारा देखे व संभाले जाते हैं। वर्तमान में सभी निवेश बैंक में एक वर्ष से कम समय की परिपक्वता अवधि के लिए लघु मियादी जमा के रूप में हैं।

## 2.13 चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम की कीमत वही है जिस कीमत पर तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं, यदि कार्य के सामान्य चलन में इनकी वसूली की जाती है।

## 2.14 उधार की लागत

उधार की लागत में विदेशी मुद्रा तथा स्थानीय मुद्रा उधारी पर लगने वाला प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित है। विदेशी मुद्रा में ब्याज लागत को वित्त वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर चल रहे दर पर भारतीय रुपए में परिवर्तित किया गया है। रु ३७,४४४/- की उधारी लागत जोकि निर्माण अवधि के दौरान का ब्याज है, को कार्यगत पूंजी में शामिल किया गया है।

## 2.9 Fixed Assets

### i) Tangible fixed assets

Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any, Machinery spares which can be used only in connection with an item of fixed assets are capitalised and depreciated over the useful life of the principal item of the relevant assets. Subsequent expenditure relating to fixed assets is capitalised only if such expenditure result in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

### ii) Capital Work-in-Progress

Assets under construction as at balance sheet date, are shown as Capital Work in Progress (CWIP). Expenditures directly related to the implementation of the project have been capitalized. All direct expenditure attributable to the various components of the project are accounted as Capital Work in Progress (CWIP) under respective heads. Common expenses which are directly related to the construction activities, but attributable to more than one component of works are grouped under Capital Work in Progress (CWIP) as expenses during construction to be allocated to various assets on completion. Expenses in the nature of salaries and other expenses (directly attributable to the project) have been considered as part of Capital Work in Progress (CWIP) since project is under construction. Expenses which are not related to Metro Line III were written back to MMRDA of Rs. 17,65,60,442/- (Previous Year Rs. 7,14,78,200/-)

## 2.10 Cash and Cash Equivalents

Cash and Cash equivalents for purpose of Cash Flow Statement comprises Cash at Bank and Short Term Deposits with banks.

## 2.11 Cash Flow Statement

Cash Flows are reported using the indirect method as per AS-3, whereby profit or loss is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferral or accruals of past or future cash receipt or payments. The Cash Flow from operating, investing and financing activities of the company are segregated based on the available information.

## 2.12 Investment

It is assets held for earning income by way of Interest income. All matters related to investment were considered and handled by Investment Committee. Currently all investments are in the form of Short Term Fixed Deposit with Banks with maturity less than one year.

## 2.13 Current Assets, Loans and Advances

The Current Assets, Loans and Advances have values at which they are stated in the Balance Sheet, if realized in the ordinary course of business.

## 2.14 Borrowing cost

Borrowing costs, include accrued interest on both Foreign Currency and Local Currency borrowings. Interest cost in Foreign Currency have been converted to Indian Rupee at the rates that exists on the closing of business or the last working day of the financial year. The Borrowing cost of Rs. 37,444/-, being interest during construction period has been added to Capital Work-in-Progress.

## 2.15 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को आरोग्य अवधि के लाभ एवं हानि को लाभअवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत पद्धति से भाग कर की जाती है।

## 2.16 पट्टा परिसंपत्तियाँ

कंपनी ने वर्ष के दौरान गृह एवं नगर विकास कॉर्पोरेशन मर्यादित (HUDCOLtd) से ३ वर्ष की अवधि का करार किया है। पट्टे की राशि सभी करों को शामिल करते हुए रु ८,६७,९८२/- प्रति माह है।

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते बोर्ड निदेशक मंडल

आर. एस. वी. ए. एंड कंपनी..  
सनदी लेखाकार  
फ़र्म पंजीकरण सं 110504W  
हस्ता/-  
बी. एन. राव  
भागेदार  
सदस्यता क्रमांक 039555

हस्ता/-  
अश्विनी भिड़े  
प्रबंध निदेशक

हस्ता/-  
ए.ए.भट्ट  
निदेशक

हस्ता/-  
इंद्रनील सरकार  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-  
ऋतु देब  
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई  
तिथि: 08 सितम्बर 2016



## 2.15 Earning per shares

Basic earnings per shares are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholder by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

## 2.16 Lease Assets

The company has entered into Lease Agreement during the year for a period of 3 years with Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO Ltd). The lease amount per month is Rs.8,67,982/- including all taxes.

In terms of our report attached.

**For RSVA & Co.,**  
Chartered Accountants  
FRN : 110504W

**Sd/-**  
**BN Rao**  
Partner  
Membership No. : 039555

**Place : Mumbai**

**Date : 08.09.2016**

**For and on behalf of the Board of Directors**

**Sd/-**  
**Ashwini Bhide**  
Managing Director

**Sd/-**  
**Indranil Sarkar**  
Chief Financial Officer

**Sd/-**  
**A. A. Bhatt**  
Director

**Sd/-**  
**Ritu Deb**  
Company Secretary

## वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट 3 शेयर पूंजी

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक		31 मार्च 2015 तक	
	शेयरों की संख्या	रुपए	शेयरों की संख्या	रुपए
(क) प्राधिकृत रु100/-प्रति इक्विटी शेयर	500,000,000	50,000,000,000	500,000,000	50,000,000,000
(ख) जारी, अभिदत्त तथा पूर्णप्रदत्त रु100/-प्रति इक्विटी शेयर	7,320,000	732,000,000	5,000	500,000
<b>कुल</b>	<b>7,320,000</b>	<b>732,000,000</b>	<b>5,000</b>	<b>500,000</b>
<b>(i) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ तथा अंतमें बकाया शेयरों की संख्या तथा राशिका मिलान:</b>				
विवरण	अथ शेष	नए जारी	बोनस	अंत शेष
मतदान अधिकार वाले इक्विटी शेयर				
<b>31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष</b>				
- शेयरों की संख्या	5,000	7,315,000	-	7,320,000
- राशि (रु)	500,000	731,500,000	-	732,000,000
<b>31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष</b>				
- शेयरों की संख्या	5,000	-	-	5,000
राशि (रु)	500,000	-	-	500,000
<b>(ii) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयर धारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:</b>				
शेयरका प्रकार/शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2016 तक		31 मार्च 2015 तक	
	धारित शेयरों की संख्या	उस प्रकार के शेयर की प्रतिशतता	नियंत्रित शेयरों की संख्या	उस प्रकार के शेयर की प्रतिशतता
मतदान अधिकार वाले इक्विटी शेयर मुंबई	3,660,000	50	-	-
भारत सरकार द्वारा धारित शेयर	3,660,000	50	5,000	100
महाराष्ट्र सरकार द्वारा धारित शेयर				

## Notes forming part of the Financial Statements

### Note 3 Share Capital

Particulars	As on 31 March, 2016		As on 31 March, 2015	
	Number of shares	Rs.	Number of shares	Rs.
<b>(a) Authorised</b>				
Equity Shares of 100 each	500,000,000	50,000,000,000	500,000,000	50,000,000,000
<b>(b) Issued, Subscribed &amp; fully paid up</b>				
Equity Shares of 100 each	7,320,000	732,000,000	5,000	500,000
<b>Total</b>	<b>7,320,000</b>	<b>732,000,000</b>	<b>5,000</b>	<b>500,000</b>

#### (i) Reconciliation of the number of shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:

Particulars	Opening Balance	Fresh issue of Shares	Bonus issue of Shares	Closing Balance
Equity Shares with voting rights				
Year ended 31 March, 2016				
- Number of Shares	5,000	7,315,000		7,320,000
- Amount (Rs)	500,000	731,500,000		732,000,000
Year ended 31 March, 2015				
- Number of Shares	5,000	-	-	5,000
- Amount (Rs)	500,000	-	-	500,000

#### (ii) Details of Shares held by each Shareholder holding more than 5% shares:

Class of shares / Name of Shareholder	As on 31 March, 2016		As on 31 March, 2015	
	Number of shares held	% holding in that class of shares	Number of shares held	% holding in that class of shares
Equity Shares with voting rights				
Shares held by Govt. of India	3,660,000	50	-	-
Shares held by Govt. of Maharashtra	3,660,000	50	5,000	100

## वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

### नोट ४ आरक्षित एवं अतिशेष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
	रुपए	रुपए
(क) पूंजी आरक्षित (नोट सं 2.5 का संदर्भ)	50,000,000	-
(ख) लाभ/हानिके विवरण में अधिशेष/कमी 01-04-2015 को अधिशेष	(54,086,601)	(7,346,018)
जमा: वर्षकालाभ/हानि	21,873,451	(46,740,583)
<b>अंतशेष</b>	<b>17,786,850</b>	<b>(54,086,601)</b>

### नोट 5 दीर्घावधि ऋण

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
	रुपए	रुपए
(क) उधारी		
भारत सरकार से ऋण (उप-ऋण)	303,200,000	-
पी.टी.ए. द्वारा जे.आई.सी.ए. ऋण	1,066,437,444	-
<b>कुल</b>	<b>1,369,637,444</b>	<b>-</b>

### नोट 6 अल्पावधि उधारी

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
	रुपए	रुपए
एमएमआरडीएसे अग्रिम		
मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (नोट सं 2.9 (b) का संदर्भ) (ब्याज मुक्त ऋण)	634,000,000	-
	654,444,621	819,242,072
<b>कुल</b>	<b>1,288,444,621</b>	<b>819,242,072</b>



## Notes forming part of the Financial Statements

### Note 4 Reserves and surplus

(Amount in Rs )

Particulars	As on 31 March, 2016	As on 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
(a) Capital Reserve (Refer to Note no. 2.5 )	50,000,000	
(b) Surplus / (Deficit) in Statement of Profit and Loss		
Opening balance as on 1-4-2015	(54,086,601)	(7,346,018)
Add: Profit / (Loss) for the year	21,873,451	(46,740,583)
<b>Closing balance</b>	<b>17,786,850</b>	<b>(54,086,601)</b>

### Note 5 Long -Term Borrowing

(Amount in Rs )

Particulars	As on 31 March, 2016	As on 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
<b>(a) Borrowings</b>		
Loan From Govt. of India (Sub-Debt)	303,200,000	-
JICA Loan through PTA	1,066,437,444	-
<b>Total</b>	<b>1,369,637,444</b>	<b>-</b>

### Note 6 Short -Term Borrowing

(Amount in Rs )

Particulars	As on 31 March, 2016	As on 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
Advance from MMRDA	634,000,000	
Mumbai Metropolitan Region Development Authority (Refer to Note no. 2.9 (b) (The loan is interest free )	654,444,621	819,242,072
<b>Total</b>	<b>1,288,444,621</b>	<b>819,242,072</b>

## वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

### नोट 7 अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
	रुपए	रुपए
<b>(क) व्यय हेतु देनदारी</b>		
सामान्य परामर्शदाता को देय	9,398,803	-
व्यवसायिक फीस देय	1,334,700	-
लेखापरीक्षों को देय	70,350	94,950
विज्ञापन एजेंसी को देय	1,188,253	-
बकाया व्ययों हेतु देय	3,868,317	109,006
<b>(ख) अन्य देय</b>		
देय ई.एम.डी	600,000	-
<b>(ग) सांविधिक देय राशि</b>		
देय सा.भ.नि/अं.भ.नि./कर्म.भ.नि. (वित्त वर्ष १५-१६)	1,031,658	338,542
देय छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान (वित्त वर्ष १५-१६)	1,549,642	-
देय उपदान (वित्त वर्ष १५-१६)	694,586	-
देय व्यवसायिक कर (वित्त वर्ष १५-१६)	25,700	7,800
देय टी.डी.एस. (वित्त वर्ष १५-१६)	4,514,231	-
देय टी.डी.एस. (वित्त वर्ष १४-१५)	-	252,597
देय आयकर (वित्त वर्ष १५-१६)	11,398,797	-
अन्य देय	30,074	126,493
<b>कुल</b>	<b>35,705,111</b>	<b>929,388</b>

### नोट 8 अल्पावधि प्रावधान

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
	रुपए	रुपए
<b>(क) वेतन हेतु प्रावधान</b>		
देय वेतन (वित्त वर्ष १५-१६)	227,697	1,986,396
देय वेतन प्रेषण (वित्त वर्ष १५-१६)	34,987	60,788
<b>कुल</b>	<b>262,684</b>	<b>2,047,184</b>

### Note 7 Other Current Liabilities

(Amount in Rs )

Particulars	As on 31 March, 2016	As on 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
<b>(a) Creditor for Expenses</b>		
Payable to General Consultants	9,398,803	-
Professional Fees Payable	1,334,700	-
Payable to Auditors	70,350	94,950
Payable to Advertising Agency	1,188,253	-
Payable for Outstanding Expenses	3,868,317	109,006
<b>(b) Others Payable</b>		
EMD Payable	600,000	-
<b>(c) Statutory Dues Payable</b>		
GPF/CPF/EPF Payable (FY 15-16)	1,031,658	338,542
Leave salary & Pension contribution Payables (FY 15-16)	1,549,642	-
Gratuity Payable (FY 15-16)	694,586	-
Profession Tax Payable (FY 15-16)	25,700	7,800
TDS Payable (FY 15-16)	4,514,231	-
TDS Payable (FY 14-15)	-	252,597
Income Tax Payable (FY 15-16)	11,398,797	-
Others Payables	30,074	126,493
<b>Total</b>	<b>35,705,111</b>	<b>929,388</b>

### Note 8 Short Term Provisions

(Amount in Rs )

Particulars	As on 31 March, 2016	As on 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
<b>(a) Provision for Salary</b>		
Salary Payable (FY 15-16)	227,697	1,986,396
Salary Remittances Payable (FY 15-16)	34,987	60,788
<b>Total</b>	<b>262,684</b>	<b>2,047,184</b>

## वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट 9 : स्थायी परिसंपत्ति

(राशि रु. में)

क्रम सं	व्यौरा	सकल ब्लॉक		मूल्यहातास/अवमूल्यन			शुद्ध ब्लॉक		
		01.04.2015 तक	जमा	कटौती/समायोजन	31.03.2016 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31.03.2016 तक	01.04.2015 तक
1	कम्प्यूटर एवं बाह्य उपकरण	19,75,214	39,84,485	-	59,59,699	22,50,127	-	29,05,424	11,71,066
2	कार्यालय उपकरण	87,495	23,97,503	-	24,84,998	2,77,924	-	21,72,997	53,418
3	मोटर कार	46,97,745	23,89,492	-	70,87,237	21,90,830	-	47,97,905	45,99,243
	कुल-चालू वर्ष	67,60,454	87,71,480	-	1,55,31,934	47,18,881	-	98,76,326	58,23,727
	गत वर्ष	1,72,755	65,87,699	-	67,80,454	9,02,176	-	58,23,727	-



## Notes forming part of the Financial Statements

(Amount in Rs)

Sr No.	Tangible Assets	Gross Block				Accumulated Depreciation				Net Block		
		Balance as on 1st April, 2015	Additions/ (Disposals)	Revaluation	As At 31.03.2016	Balance as on 1st April, 2015	Depreciation charge for the year	On disposals	Balance as on 31st March, 2016	Balance as on 1st April, 2015	Balance as on 31st March, 2016	
1	Computer & Peripherals	1,975,214	3,984,485	-	5,959,699	804,148	2,250,127	-	3,054,275	1,171,066	2,905,424	
2	Office Equipments	87,495	2,397,503	-	2,484,998	34,077	277,924	-	312,001	53,418	2,172,997	
3	Motor Car	4,697,745	2,389,492	-	7,087,237	98,502	2,190,831	-	2,289,332	4,599,243	4,797,905	
<b>Total</b>		<b>6,760,454</b>	<b>8,771,480</b>	-	<b>15,531,934</b>	<b>936,727</b>	<b>4,718,882</b>	-	<b>5,655,608</b>	<b>5,823,727</b>	<b>9,876,326</b>	
	Previous Year	172,755	6,587,699	-	6,760,454	34,551	902,176	-	936,727	5,823,727	5,823,727	
												-

## वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट 10 कार्यगत पूंजी

(राशि रुपयों में)

क्रम संख्या	विवरण	01.04.2015 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	एम एम आर डी ए को लौटाई गई राशि	31.03.2016 को अंत शेष
		(क)	(ख)	(ग)	(क + ख - ग)
<b>1</b>	<b>मेट्रो 3 परियोजना</b>				
<b>क</b>	<b>कंसल्टेंसी फीस</b>				
(I)	अन्तरिम कंसल्टेंसी फीस	35,10,98,556	12,07,31,095	-	47,18,29,651
(ii)	परामर्शदाता फीस	-	11,28,63,751	-	11,28,63,751
(iii)	परामर्शदाता फीस	28,51,50,069	24,45,700	15,09,99,044	13,65,96,725
(iv)	पी एम सी - वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स एवं खरीदी केंद्र मेट्रो 4 का विकास	93,42,997	-	-	93,42,977
<b>ख</b>	<b>ऋण लागत</b>				
(I)	जे.आई.सी.ए. ऋण पर ब्याज	-	37,444	-	37,444
<b>ग</b>	<b>भूमि अधिग्रहण की लागत</b>				
(I)	पट्टे की लागत तथा अन्य पट्टे व्यय	-	7,50,186	-	7,50,186
(ii)	सर्वेक्षण प्रभार	24,16,500	13,40,500	-	37,57,000
(iii)	मुंबई-मेट्रो रेलवे पर व्यय (कोलाबा-बांद्रा)	37,07,880	-	-	37,07,880
(iv)	सुरक्षा बल व्यय	-	1,02,53,894	-	1,02,53,894
<b>घ</b>	<b>निर्माण लागत</b>				
(i)	धारावी पुल का विनिर्माण	-	10,00,00,000	-	10,00,00,000
<b>ङ</b>	<b>कर्मचारी पारिश्रमिक तथा अन्य व्यय</b>				
(i)	वेतन एवं मजदूरी	-	6,32,37,139	-	6,32,37,139
(ii)	भविष्य निधि एवं अन्य में नियोक्ता अंशदान	-	35,28,990	-	35,28,990
(iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	-	44,11,602	-	44,11,602
<b>च</b>	<b>विधि तथा व्यावसायिक फीस व्यय</b>				
(I)	विधि तथा व्यावसायिक फीस	-	1,68,35,559	-	1,68,35,559
<b>छ</b>	<b>अन्य परियोजना व्यय</b>				
(i)	बैठक एवं सभा व्यय	-	14,64,996	-	14,64,996
(ii)	शेयर जारी करने के लिए स्टांप शुल्क	-	7,31,500	-	7,31,500
(iii)	विज्ञापन व्यय	-	69,00,855	-	69,00,855
(iv)	सॉफ्टवेयर व्यय	-	6,65,123	-	6,65,123
(v)	परियोजना अध्ययन व्यय	-	27,24,146	-	27,24,146
(vi)	यात्रा व्यय	-	30,76,970	-	30,76,970
<b>2</b>	<b>मेट्रो लाइन 3 परियोजना से भिन्न</b>				
क	परामर्श-एकीकृत टिकट प्रणाली हेतु तकनीकी सहायता	98,30,998	-	98,30,998	-
ख	कंसल्टेंसी फीस	1,57,30,400	-	1,57,30,400	-
	<b>कुल</b>	<b>67,72,77,380</b>	<b>45,19,99,450</b>	<b>17,65,60,442</b>	<b>95,27,16,388</b>

## Notes forming part of the Financial Statements

### Note: 10 Capital Work-in-Progress

(Amount in Rs )

Sr No.	Particulars	Balance as at 1.04.2015	Additions during the year	Written Back to MMRDA	Balance as at 31.03.2016
		(A)	(B)	(C)	(A+B-C)
<b>1</b>	<b>Project Metro 3</b>				
<b>A</b>	<b>Consultancy Fees</b>				
(i)	Interim Consultancy Fees	351,098,556	12,07,31,095	-	471,829,651
(ii)	General Consultancy Fees	-	112,863,751	-	112,863,751
(iii)	Consultancy Fees	285,150,069	2,445,700	150,999,044	136,596,725
(iv)	PMC- Dev. of Comm.Complex & Shopping Centre 4 Metro	9,342,977	-	-	9,342,977
<b>B</b>	<b>Borrowing Cost</b>				
(i)	Interest on JICA loan	-	37,444	-	37,444
<b>C</b>	<b>Cost of Land Acquisitions</b>				
(i)	Lease Cost & Other Lease Expenses	-	750,186	-	750,186
(ii)	Survey Charges	2,416,500	1,340,500	-	3,757,000
(iii)	Exp. On Mumbai Metro Rly (Colaba- Bandra)	3,707,880	-	-	3,707,880
(iv)	Security Guard Expenses	-	10,253,894	-	10,253,894
<b>D</b>	<b>Construction Cost</b>				
(i)	Reconstruction of Dharavi Bridge	-	100,000,000	-	100,000,000
<b>E</b>	<b>Employee's Remunerations and Other Expenses</b>				
(i)	Salary and Wages	-	63,237,139	-	63,237,139
(ii)	Employer Contribution to Providend Fund & Others	-	3,528,990	-	3,528,990
(iii)	Staff Welfare Expenses	-	4,411,602	-	4,411,602
<b>F</b>	<b>Legal and Professional Fees Expenses</b>				
(i)	Legal and Professional Fees	-	16,835,559	-	16,835,559
<b>G</b>	<b>Other Project Expenses</b>				
(i)	Meeting and Conference Expenses	-	1,464,996	-	1,464,996
(ii)	Stamp Duty on Issue of Shares	-	731,500	-	731,500
(iii)	Advertising Expenses	-	6,900,855	-	6,900,855
(iv)	Software Expenses	-	665,123	-	665,123
(v)	Project Study Expenses	-	2,724,146	-	2,724,146
(vi)	Travelling Expenses	-	3,076,970	-	3,076,970
<b>2</b>	<b>Other than Metro Line 3 Projects</b>				
<b>A</b>	Consult - Tech Assistant for Integrated Ticketing	9,830,998 15,730,400	- -	9,830,998 15,730,400	- -
<b>B</b>	Consultancy Fees				
	<b>Grand Total</b>	<b>677,277,380</b>	<b>451,999,450</b>	<b>176,560,442</b>	<b>952,716,388</b>

## वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

### नोट 11 नकदी एवं नकदी समतुल्य

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
	रुपए	रुपए
(क) नकद	13	-
ख) बैंकशेष		
(i) चालूखातोंमें		
भारतीय यूनाइटेड बैंक	7,383,969	58,405,454
एच डी एफ सी बैंक	701,502,948	510,000
भारतीय स्टेट बैंक	487,868	-
(ii) अल्पावधि जमा		
भारतीय यूनाइटेड बैंक	20,000,000	-
एच डी एफ सी बैंक	954,265,871	24,500,000
<b>कुल</b>	<b>1,683,640,669</b>	<b>83,415,454</b>

### नोट 12 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
	रुपए	रुपए
(i) आपूर्तिकर्ता को अग्रिम		
परामर्शदाता को अग्रिम	782,648,916	-
लेनदारों को अग्रिम	31,544	31,997
(ii) स्टाफ को अग्रिम	31,200	65,000
<b>कुल</b>	<b>782,711,660</b>	<b>96,997</b>

### नोट 13 अन्य चालू परिपत्तियाँ

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
	रुपए	रुपए
i) आपूर्तिकर्ता के पास जमा		
M/S औटोकेयर	30,000	30,000
एम.टी.एन.एल.	16,000	16,000
ii) अन्य		
जमापरप्रोदभूतब्याज	8,341,329	1,726,656
पूर्वदत्त बीमा	-	53,978
दत्त अग्रिम किराया	26,836	-
जमा सेवा कर	243,607	-
प्राप्य टी. डी. एस.	6,233,895	191,851
<b>कुल</b>	<b>14,891,667</b>	<b>20,18,485</b>



## Notes forming part of the Financial Statements

### Note 11 Cash and Cash Equivalents

(Amount in Rs )

Particulars	As on 31 March, 2016	As on 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
(a) Cash on Hand	13	-
<b>(b) Balances with banks</b>		
(i) In current accounts		
United Bank of India	7,383,969	58,405,454
HDFC Bank	701,502,948	510,000
State Bank of India	487,868	-
(ii) Short Term Deposits		
United Bank of India	20,000,000	-
HDFC Bank	954,265,871	24,500,000
<b>Total</b>	<b>1,683,640,669</b>	<b>83,415,454</b>

### Note 12 Short Term Loans and Advances

(Amount in Rs )

Particulars	As on 31 March, 2016	As on 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
<b>i) Advance to Supplier</b>		
Advances to General Consultant	782,648,916	-
Advances to Creditors	31,544	31,997
<b>ii) Advance to Staff</b>	31,200	65,000
<b>Total</b>	<b>782,711,660</b>	<b>96,997</b>

### Note 13 Other Current Assets

(Amount in Rs )

Particulars	As on 31 March, 2016	As on 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
<b>i) Deposits with Suppliers</b>		
AutoCare	30,000	30,000
MTNL	16,000	16,000
<b>ii) Others</b>		
Interest Accrued on Deposits	8,341,329	1,726,656
Prepaid Insurance	-	53,978
Advance Rent Paid	26,836	-
Service Tax Credit	243,607	-
TDS Receivable	6,233,895	191,851
<b>Total</b>	<b>14,891,667</b>	<b>2,018,485</b>

## वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

### नोट 14 अन्य आय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 तक समाप्त वर्ष के लिए
	रुपए	रुपए
मियादीजमापरब्याज	62,338,944	1,918,507
टी.डी.एस. वापसी पर प्राप्त ब्याज	8,629	-
अन्य आय	4,795	-
प्राप्त भर्ती फीस	1,833,900	-
प्राप्त निविदा फीस	283,500	3,313,829
<b>कुल</b>	<b>64,469,768</b>	<b>5,232,336</b>

### नोट 15 कर्मचारी हितलाभ व्यय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 तक समाप्त वर्ष के लिए
	रुपए	रुपए
वेतनएवंमजदूरी	-	3,493,276
भविष्यतथाअन्यनिधियोंमेंअंशदान	-	348,709
स्टाफ कल्याण व्यय	-	298,512
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>4,140,497</b>

### नोट 16 मूल्यहास

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 तक समाप्त वर्ष के लिए
	रुपए	रुपए
मूल्यहास	4,718,881	902,176
<b>कुल</b>	<b>4,718,881</b>	<b>902,176</b>

## Notes forming part of the Financial Statements

### Note 14 Other Income

(Amount in Rs )

Particulars	For the year ended 31 March, 2016	For the year ended 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
Interest Earned on FD	62,338,944	1,918,507
Interest Received on TDS Refund	8,629	-
Other Income	4,795	-
Recruitment Fees Received	1,833,900	-
Tender Fees Received	283,500	3,313,829
<b>Total</b>	<b>64,469,768</b>	<b>5,232,336</b>

### Note 15 Employees Benefit Expenses

(Amount in Rs )

Particulars	For the year ended 31 March, 2016	For the year ended 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
Salary and Wages	-	3,493,276
Employer Contribution to Provident Fund & Others	-	348,709
Staff Welfare Expenses	-	298,512
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4,140,497</b>

### Note 16 Depreciation

(Amount in Rs )

Particulars	For the year ended 31 March, 2016	For the year ended 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
Depreciation	4,718,881	902,176
<b>Total</b>	<b>4,718,881</b>	<b>902,176</b>

## वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

### नोट 17 अन्य व्यय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 तक समाप्त वर्ष के लिए
	रुपए	रुपए
विज्ञापन व्यय	-	4,353,474
पुस्तक एवं पत्रिकाएँ	17,250	-
बैंक प्रभार	75,418	896
कार किराए पर लेने का व्यय	8,417,592	19,797
कार बीमा व्यय	255,212	10,796
कंपनी पंजीकृत कार्यालय फीस	28,800	-
बिजली व्यय	1,516,290	-
मानदेय व्यय	10,000	-
विधिक एवं व्यावसायिक फीस	1,680,906	956,489
बैठक एवं सभा व्यय	2,090,266	23,746
सदस्यता व्यय	24,126	-
मोटर कार व्यय	528,995	-
अखबार एवं पत्रिका व्यय	11,469	-
कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय	1,807,891	887,501
सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	34,350	34,200
डाक एवं तार व्यय	9,533	-
छपाई एवं स्टेशनरी	2,976,725	2,252,346
पूर्व अवधि मर्दे (नोट सं 17 के संदर्भ में)	168,588	4,472,808
दर्रे एवं कर	423,860	206,774
मुरम्मत एवं अनुरक्षण	3,824,471	25,500
कर लेखापरीक्षा फीस	40,000	40,000
सुरक्षा प्रभार	-	1,469,022
टेलीफोन व्यय	384,354	263,999
यात्रा व्यय	1,314,756	1,617,438
जल व्यय	43,487	-
इंटरनेट व्यय	794,300	-
<b>कुल</b>	<b>26,478,639</b>	<b>16,634,786</b>

### नोट 17 (क) पूर्व अवधि समायोजन

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 तक समाप्त वर्ष के लिए
	रुपए	रुपए
क) यात्रा व्यय (विदेश दौरा)	-	4,429,022
ख) कार किराए पर लेने का व्यय	160,295	-
ग) वित्त वर्ष 14-15 के टी.डी.एस. पर ब्याज	8,293	-
घ) एम.टी.एन.एल. तथा अन्य व्यय	-	43,786
<b>कुल</b>	<b>168,588</b>	<b>4,472,808</b>

### नोट 18 अपवादात्मक मर्दे

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 तक समाप्त वर्ष के लिए
	रुपए	रुपए
आर ओ सी प्रभार (प्राधिकृत पूंजी में बढ़ोतरी हेतु)	-	28,032,176
प्रारम्भिक व्यय बट्टे खाते डालना	-	2,263,284
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>30,295,460</b>



## Notes forming part of the Financial Statements

### Note 17 Other Expenses

(Amount in Rs )

Particulars	For the year ended 31 March, 2016	For the year ended 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
Advertising Expenses	-	4,353,474
Books & Periodicals	17,250	-
Bank Charges	75,418	896
Car Hiring expenses	8,417,592	19,797
Car Insurance Expenses	255,212	10,796
Company ROC Fees	28,800	-
Electricity Expenses	1,516,290	-
Honorarium Expenses	10,000	-
Legal & Professional Fees	1,680,906	956,489
Meeting & Conference Expenses	2,090,266	23,746
Membership Expenses	24,126	-
Motor Car Expenses	528,995	-
Newspaper & Magzines Expenses	11,469	-
Office & Administrative Expenses	1,807,892	887,501
Payment to Statutory Auditors	34,350	34,200
Postage & Telegram Expenses	9,533	-
Printing & Stationery	2,976,725	2,252,346
Prior Period Items (Refer Note no.17 (a))	168,588	4,472,808
Rates & Taxes	423,860	206,774
Repairs & Maintenance	3,824,471	25,500
Tax Audit Fees	40,000	40,000
Security Charges	-	1,469,022
Telephone Expenses	384,354	263,999
Travelling Expenses	1,314,756	1,617,438
Water Charges	43,487	-
Internet Expenses	794,300	-
<b>Total</b>	<b>26,478,640</b>	<b>16,634,786</b>

### Note: 17 (a) Prior Period Adjustment

(Amount in Rs )

Particulars	For the year ended 31 March, 2016	For the year ended 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
a) Travelling Exp (Foreign Tour )	-	4,429,022
b) Car Hiring expenses	160,295	-
c) Interest on TDS FY 14-15	8,293	-
d) MTNL & Other Expenses	-	43,786
<b>Total</b>	<b>168,588</b>	<b>4,472,808</b>

### Note: 18 Exceptional Items

(Amount in Rs )

Particulars	For the year ended 31 March, 2016	For the year ended 31 March, 2015
	Rs.	Rs.
ROC charges (for increase in authorised capital)	-	28,032,176
Preliminary expenses written off	-	2,263,284
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>30,295,460</b>

## वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

### प्रकटीकरण एवं लेखांकन मानक

नोट	विवरण				
19	सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम के संबंध में 31 मार्च 2016 तक की सूचना 31 मार्च 2016 तक सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम को कोई राशि देय नहीं थी।				
20	संबन्धित दल प्रकटीकरण				
20क	दलों से संबन्धित सूचना:				
	सम्बन्धों का विवरण		संबन्धित पार्टी का नाम		
	मुख्य प्रबंधकीय कर्मी		श्रीमती अश्विनी भिडे, प्रबंध निदेशक श्री सुबोध कुमार गुसा, निदेशक-परियोजना श्री अजयकुमार अमरनाथ भट्ट, निदेशक-प्रणाली श्री इंदनील सरकार, मुख्य वित्तीय अधिकारी कुमारीरितू देव, कंपनी सचिव		
	होल्टिंग एकक (100% शेयर होल्टिंग)		मुंबई महानगर शहरी विकास प्राधिकरण		
	नोट: संबन्धित दल प्रबंधन द्वारा विन्हित किए गए हैं।				
20ख	31 मार्च 2016 तक संबन्धित दलों की बकाया राशि का विवरण:				
		मुख्य प्रबंधकीय कर्मी	मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के संबंधी	होल्टिंग एकक	कुल
	वेतन			-	
	वित्त वर्ष 15-16	95,01,766	-	-	95,01,766
	वित्त वर्ष 14-15	20,22,628	-	-	20,22,628
	वर्ष के अंत तक बकाया शेष				
	अल्पावधि उधारों				
	वित्त वर्ष 15-16	-	-	65,44,44,621	65,44,44,621
	वित्त वर्ष 14-15	-	-	81,92,42,072	81,92,42,072
	नोट: उपरोक्त सूचना कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर पहचान की गई संबन्धित दलों की सूचना पर निर्धारित की गई है, जिस पर लेखापरीक्षा द्वारा विश्वास किया गया है।				

### Disclosures under Accounting Standards

Note No.	Particulars				
19	<b>Information in respect of Micro, Small &amp; Medium Enterprise as on 31<sup>st</sup> March, 2016</b> There was no amount due to micro, small and medium enterprises as at 31 <sup>st</sup> March, 2016.				
20	<b>Related Party Transactions</b>				
20.a	<b>Details of Related Parties:</b>				
	<b>Description of Relationship</b>	<b>Names of Related Parties</b>			
	Key Management Personnel (KMP)	Ms. Ashwini Bhide, Managing Director Mr. Subodh Kumar Gupta, Director- Projects Mr. Ajaykumar Amarnath Bhatt, Director- Systems Mr. Indranil Sarkar, Chief Financial Officer Ms. Ritu Deb, Company Secretary			
	Holding Entity (Holding 50% shares)	Mumbai Metropolitan Region Development Authority			
	Note: Related parties have been identified by the Management.				
20.b	<b>Details of Related Party Balances outstanding as at 31<sup>st</sup> March, 2016:</b>				
		<b>KMP</b>	<b>Relatives of KMP</b>	<b>Holding Entity</b>	<b>Total</b>
	Salaries			-	
	FY 2015-16	95,01,766	-	-	95,01,766
	FY 2014-15	20,22,628	-	-	20,22,628
	<u>Balances Outstanding at the end of the year</u>				
	-				
	Short Term Borrowing				
	FY 2015-16			65,44,44,621	65,44,44,621
	FY 2014-15	-	-	81,92,42,072	81,92,42,072
		-	-	-	-
	Note: The above information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information provided by the company, which has been relied upon by the Auditor				

## वित्तीय विवरण निर्माण में टिप्पणी आधार

नोट	विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 तक समाप्त वर्ष के लिए
		रुपए	रुपए
21	<b>प्रति शेयर आय (ए.एस. -२०) के संबंध में प्रकटीकरण</b>	21,873,451	(46,740,583)
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/हानि	-	
	कम: अधिमान लाभांश तथा उस पर कर इक्विटी से संबन्धित वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/हानि	21,873,451 4,836,380	(46,740,583) 5,000
	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या प्रति शेयर मूल्य	4.52 4.52	(9,348.12) (9,348.12)
	प्रति शेयर आय-मूल		
	प्रति शेयर आय- तनुकरण		
22	<b>ए.एस.22-आय पर करके लेखाके संबंध में प्रकटीकरण</b> लेखामानक-22 के अनुसार, प्रबंधन ने पर्याप्त भावी आय की अनिश्चितताध्यान में रखते हुए तथा तर्क के साथ आस्थगितकर सम्पत्तियोंको स्वीकार नहीं किया है।		
23	<b>ए.एस.-28-सम्पत्तियों की हानि के संबंधमें प्रकटीकरण</b> वर्तमान में, परिसम्पत्तियों के नुकसान के संबंध में कोई संकेत नहीं हैं। अतःवित्तीयविवरण में किसी प्रकार की परिसंपत्ति पर हुई हानि का विवरण नहीं है।		
24	चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के समरूप बनाने के लिए जहां आवश्यक है गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है।		

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते बोर्ड निदेशक मंडल

आर. एस. वी. ए. एंड कंपनी..  
सनदी लेखाकार  
फ़र्म पंजीकरण सं 110504W

हस्ता/-  
अश्विनी भिड़े  
प्रबंध निदेशक

हस्ता/-  
ए.ए.भट्ट  
निदेशक

हस्ता/-  
बी. एन. राव  
भागेदार  
सदस्यता क्रमांक 039555

हस्ता/-  
इंद्रनील सरकार  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-  
ऋतु देब  
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई  
तिथि: 08 सितम्बर 2016



## Notes forming part of the Financial Statements

Note No.	Particulars	For the year ended 31 <sup>st</sup> March, 2016	For the year ended 31 <sup>st</sup> March, 2015				
		Rs	Rs				
21	<b>Disclosure in respect of AS-20 - Earnings per Share</b>						
	Net profit / (loss) for the year	21,873,451	(46,740,583)				
	Less: Preference Dividend and tax thereon	-	-				
	Net profit / (loss) for the year attributable to the equity shareholders	21,873,451	(46,740,583)				
	Weighted average number of equity shares	4,836,380	5,000				
	Par value per share	-	-				
	Earnings per share – Basic	4.52	(9,348.12)				
	Earnings per share - Diluted	4.52	(9,348.12)				
22	<b>Disclosure in respect of AS - 22 - Accounting for Taxes on Income</b>						
	In view of uncertainty of sufficient future income & as a matter of prudence the management has not recognised deferred tax assets in accordance with AS- 22						
23	<b>Disclosure in respect of AS - 28 - Impairment of Asset</b>						
	Presently, no indication exists for the impairment of assets & hence no impairment loss on asset is considered in the financial.						
24	Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.						
<p>In terms of our report attached.</p> <p><b>For RSVA &amp; Co.,</b> Chartered Accountants FRN : 110504WSd/-</p> <p>Sd/- <b>B N Rao</b> Partner Membership No. : 039555</p> <p>Place : Mumbai Date : 08.09.2016</p> <p style="text-align: center;"><b>For and on behalf of the Board of Directors</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">Sd/- <b>Ashwini Bhide</b> Managing Director</td> <td style="text-align: center;">Sd/- <b>A. A. Bhatt</b> Director</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sd/- <b>Indranil Sarkar</b> Chief Financial Officer</td> <td style="text-align: center;">Sd/- <b>Ritu Deb</b> Company Secretary</td> </tr> </table>				Sd/- <b>Ashwini Bhide</b> Managing Director	Sd/- <b>A. A. Bhatt</b> Director	Sd/- <b>Indranil Sarkar</b> Chief Financial Officer	Sd/- <b>Ritu Deb</b> Company Secretary
Sd/- <b>Ashwini Bhide</b> Managing Director	Sd/- <b>A. A. Bhatt</b> Director						
Sd/- <b>Indranil Sarkar</b> Chief Financial Officer	Sd/- <b>Ritu Deb</b> Company Secretary						

## फॉर्म सं एमजीटी -11

### प्रोक्सी फॉर्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुपालन में )

सी आई एन सं : 60100MH2008SGC181770

कंपनी का नाम : मुंबई मेट्रो रेल निगम मर्यादित

पंजीकृत कार्यालय : एम.एम.आर.डी.ए. बिल्डिंग, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

सदस्य/सदस्यों का नाम	
पंजीकृत पता	
ई मेल पता	
फोलियो सं/ग्राहक पहचान सं	

मैं/हम उपरोक्त कंपनी के सदस्य/सदस्यों होने के नाते,

1. नाम.....  
पता.....  
ई मेल पता.....  
हस्ताक्षर  
(उसके फेल होने पर).....
2. नाम.....  
पता.....  
ई मेल पता.....  
हस्ताक्षर  
(उसके फेल होने पर).....
3. नाम.....  
पता.....  
ई मेल पता.....  
हस्ताक्षर  
(उसके फेल होने पर).....

को कंपनी की दिनांक 29 सितम्बर 2016 , बृहस्पतिवार को प्रातः 11.30 बजे कमेटी कक्ष , 6ठी मंजिल, एमएमआरडीए बिल्डिंग, मुंबई- 400051 में आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए या मेरे/हमारे स्थान पर उपस्थित रहने तथा मत देने (मतदान में) हेतु मेरे/ हमारे प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता/करते हूँ/हैं।

हस्ताक्षरित ..... 2016 के .....दिवस पर

राजस्व स्टम्प

चिपकाएँ सदस्य के हस्ताक्षर

प्रोक्सी धारक(धारकों) के हस्ताक्षर

नोट: प्रोक्सी के इस फॉर्म को प्रभावपूर्ण होने के लिए , पूरा भरा हुआ होना चाहिए तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा बैठक के कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए ।

**Form No. MGT-11**

**Proxy form**

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

**CIN: 60100MH2008SGC181770**

**NAME OF THE COMPANY: MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

**REGISTERED OFFICE: MMRDA Building, Bandra Kurla Complex, Bandra E, Mumbai – 400051.**

<b>Name of the Member (s):</b>	
<b>Registered Address:</b>	
<b>E-Mail Id:</b>	
<b>Folio No/Client Id:</b>	

I/We, being the member (s) of the above named company, hereby appoint

1 Name: \_\_\_\_\_  
 Address: \_\_\_\_\_  
 E-Mail Id: \_\_\_\_\_  
 Signature: \_\_\_\_\_  
 (or failing him) \_\_\_\_\_

2 Name: \_\_\_\_\_  
 Address: \_\_\_\_\_  
 E-Mail Id: \_\_\_\_\_  
 Signature: \_\_\_\_\_  
 (or failing him) \_\_\_\_\_

3 Name: \_\_\_\_\_  
 Address: \_\_\_\_\_  
 E-Mail Id: \_\_\_\_\_  
 Signature: \_\_\_\_\_  
 (or failing him) \_\_\_\_\_

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the company, to be held on Thursday, 29th September, 2016 at 11:30 A.M at Committee Room, 9th Floor, New MMRDA Building, BKC, Bandra E, Mumbai-400051 or at any adjournment meeting thereof

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ of 2015

Affix  
revenue  
stamp

**Signature of Member**

**Signature of Proxy Holder(s)**

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting







## MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(JV of Govt. of India and Govt. of Maharashtra)

MMRDA Building, Plot No.14-15, BKC, Bandra (E), Mumbai – 400 051.

E-mail : [contact@mmrcl.com](mailto:contact@mmrcl.com) Web : [www.mmrcl.com](http://www.mmrcl.com)

CIN : U60100MN20085GC181770